BLOCK-01- आजीवन शिक्षा (Lifelong Learning)

Unit-1 आजीवन शिक्षा की मूल अवधारणा तथा इसकी विशेषताएं (Basic Concept of Lifelong Learning and its Characteristics)

इकाई की रूपरेखा :-

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 आजीवन शिक्षा का अर्थ

1.4 आजीवन शिक्षा की मूल अवधारणा

अपनी उन्नति जानिए

1.5 आजीवन शिक्षा का महत्व

1.6 आजीवन शिक्षा के लाभ

1.7 आजीवन शिक्षा की विशेषताएं

अपनी उन्नति जानिए

1.8 सारांश

1.9 शब्दावली

1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

आजीवन शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें मनुष्य जीवन भर विभिन्न गतिविधियों से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करते रहता है, यही अनुभव ज्ञान के रूप में उसके जीवन में संरक्षित होते रहता है। ये अनुभव रुपी ज्ञान मनुष्य को जीवन में सामंजस्य स्थापित करने, अद्यतन ज्ञान को प्राप्त करने तथा समाज व राष्ट्र के

प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बनाते है। आजीवन शिक्षा को "जीवन भर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, नागरिक, सामाजिक और रोजगार-संबंधी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है"। इसे अक्सर बचपन के औपचारिक शिक्षा के वर्षों के बाद और वयस्कता में होने वाली शिक्षा माना जाता है। यह जीवन के अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से खोजा जाता है क्योंकि शिक्षार्थी पेशेवर या व्यक्तिगत कारणों से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ये प्राकृतिक अनुभव उद्देश्यपूर्ण या आकस्मिक रूप से आ सकते हैं। आजीवन सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें लोग अलग-अलग संदर्भों में सीखते हैं। इन वातावरणों में न केवल स्कूल बल्कि घर, कार्यस्थल और ऐसे स्थान भी शामिल हैं, जहाँ लोग अवकाश या अन्य खाली समय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। हालाँकि, जहाँ सीखने की प्रक्रिया को सभी उम्र के शिक्षार्थियों पर लागू किया जा सकता है, वहीं वयस्कों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो संगठित शिक्षा की ओर लौट रहे हैं। इसके ढाँचे पर आधारित कार्यक्रम हैं जो शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 4 और यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ़लॉन्ग लर्निंग, जो वंचित और शिक्षा की मुख्य धारा से अलग पड़े शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। आजीवन शिक्षा सतत शिक्षा की अवधारणा से इस मायने में अलग है कि इसका दायरा व्यापक है। बाद की शिक्षा के विपरीत, जो स्कूलों और उद्योगों की जरूरतों के लिए विकसित वयस्क शिक्षा की ओर उन्मुख है, इस प्रकार की शिक्षा आम तौर पर व्यक्तियों में मानवीय क्षमता के विकास से संबंधित है। आजीवन शिक्षा समग्र शिक्षा पर केंद्रित है और इसके दो आयाम हैं, अर्थात्, सीखने के लिए आजीवन और व्यापक विकल्प। ये सीखने को इंगित करते हैं जो पारंपरिक शिक्षा प्रस्तावों और आधुनिक सीखने के अवसरों को एकीकृत करता है। इसमें लोगों को यह सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जाता है कि कैसे सीखना है और ऐसी सामग्री, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का चयन करना है। आजीवन शिक्षा ज्ञान और उसके अधिग्रहण की एक अलग अवधारणा पर आधारित है। इसे न केवल सूचना या तथ्यात्मक ज्ञान के असतत टुकड़ों के कब्जे के रूप में समझाया गया है, बल्कि नई घटनाओं को समझने की एक सामान्यीकृत योजना के रूप में भी बताया गया है, जिसमें उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति का उपयोग भी शामिल है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

1. आजीवन शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे ।
2. आजीवन शिक्षा की मूल अवधारणा से परिचित हो सकेंगे ।
3. आजीवन शिक्षा के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
4. आजीवन शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे ।

5. आजीवन शिक्षा की उपयोगिता की व्याख्या कर सकेंगे।

1.3 आजीवन शिक्षा का अर्थ

आजीवन शिक्षा मनुष्य के जीवन में स्वयं द्वारा शुरू की गई शिक्षा का एक पहल है जो व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। हालाँकि आजीवन शिक्षा की कोई मानकीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे औपचारिक शैक्षणिक संस्थान, जैसे कि स्कूल, विश्वविद्यालय या कॉर्पोरेट प्रशिक्षण के बाहर होने वाली शिक्षा के संदर्भ में लिया जाता है। चिंतनशील शिक्षण और आलोचनात्मक सोच सीखने वाले को सीखने के तरीके सीखने के माध्यम से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकती है, जिससे वे अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित, और नियंत्रित करने में बेहतर सक्षम हो सकते हैं। आजीवन शिक्षा के अंतर्गत स्व-निर्देशित सीखने, सहयोग, प्रतिबिंब और चुनौती को महत्व दिया जाता हैं; उनके सीखने में जोखिम लेना एक अवसर के रूप में देखा जाता है, न कि एक खतरे के रूप में। डनलप और ग्रैबिंगर का कहना है कि उच्च शिक्षा के छात्रों को आजीवन सीखने वाले बनने के लिए, उन्हें आत्म-निर्देशन, मेटाकॉग्निशन जागरूकता और सीखने के प्रति एक प्रवृत्ति की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

डेलर्स रिपोर्ट के अनुसार आजीवन सीखना और सीखने के चार स्तंभ होते है। इसमें तर्क दिया कि औपचारिक शिक्षा मानव विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक अन्य प्रकार के सीखने की हानि के लिए ज्ञान के अधिग्रहण पर जोर देती है, जीवन भर सीखने के बारे में सोचने की आवश्यकता पर बल देती है, और यह संबोधित करती है कि हर कोई काम, नागरिकता और व्यक्तिगत पूर्ति के लिए प्रासंगिक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता है। सीखने के चार स्तंभ निम्नलिखित हैं:-

1. जानना सीखना
2. करना सीखना
3. सीखना
4. साथ-साथ रहना सीखना

सीखने के चार स्तंभों की परिकल्पना 'आजीवन सीखने' की धारणा की पृष्ठभूमि में की गई थी, जो स्वयं 'आजीवन शिक्षा' की अवधारणा का एक रूपांतर है, जैसा कि 1972 के फॉरे प्रकाशन ‘लर्निंग टू बी’ में प्रारंभिक रूप से अवधारणाबद्ध किया गया था।

1.4 आजीवन शिक्षा की मूल अवधारणा

प्रायः शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालय में विधिवत अध्ययन करने से लिया जाता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को शिक्षा दी जाती है। वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के विषय में डॉ. वी. डी. भाटिया का कथन है कि – "उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य या मंजिल का पता नहीं है। विद्यार्थी उस पतवारविहीन नौका के समान है जो समुद्र में लहरों के थपेडे खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है।" शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु के समान रहता है। वह अपने जीवन आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परम्परा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। एडीसन ने लिखा है कि "शिक्षा द्वारा मानव के अन्दर में निहित उन सभी व्यक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है। इन गुणों को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जाता है।' परन्तु इसके साथ-साथ मनुष्य जन्म से लेकर विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त कई प्रकार के अनुभव व ज्ञान प्राप्त करते रहता है। आजीवन शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य हर जगह जैसे- समाज में, घर में, यात्रा करते समय, एक दूसरे से अन्तःक्रिया के द्वारा तथा अनौपचारिक साधनों से भी निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहता है यही अनुभव तथा ज्ञान आजीवन शिक्षा के अंतर्गत आता है।

आजीवन शिक्षा के अंतर्गत अनियमित शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती है। इसलिए इसे आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। यह स्वभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है। यह शिक्षा पूर्वनिर्धारित नहीं होती है। बालक इसे अपने परिवार के अन्दर और आस-पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसे खुले वातावरण में सार्वजनिक जगहों पर, उठते-बैठते, खेलते-कूदते, बात-चीत करके स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक ग्रहण करता है। यह पत्राचार, सम्पर्क कार्यक्रमों, जन संचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती हैं। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि या समय-सारणी होती है। यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्बाध रूप से लगातार चलती रहती है। यह शिक्षा जीवन के प्रत्येक अनुभव से प्राप्त की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन- परिवार, समुदाय, मित्र-मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। श्री सौरभ खरे के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी निर्धारित नियमानुसार पद्धति आदि नहीं होती बल्कि सीखने वाला ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता है तथा वह अपने विवेक से सीखता है जैसे प्राचीनकाल में गुरु दत्तात्रेय जी के द्वारा 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया गया था। यद्यपि इसमें सीखने वाला महत्त्वपूर्ण है तथापि सिखाने वाले के द्वारा भी किसी भी समय किसी भी स्तर पर कुछ भी सिखाया जा सकता है।

जीवनपर्यन्त शिक्षा (Lifelong learning) से तात्पर्य उस शिक्षा है जो स्वैच्छिक और स्वप्रेरित ढंग से जीवन भर चलती रहती है। जिसका कोई अन्त न हो। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्तिगत कारणों से की जा सकती है या व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार स्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक हो सकता

है कि अपने व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्र में होने वाले ने अनुसन्धानों या विकासों से अवगत हो सके। जीवनपर्यन्त शिक्षा, वह महत्वपूर्ण शिक्षा है जिससे द्वारा मनुष्य जीवन का उद्धार एवं विकास किया जा सकता है।

अपनी उन्नति जानिए

भाग- 1

प्र0 1. आजीवन शिक्षा किसे कहते है?

प्र0 2. सीखने के होते स्तंभ हैं?

प्र0 2. आजीवन शिक्षा मनुष्य के किस उम्र में चलती है?

1.5 आजीवन शिक्षा का महत्व

चाहे व्यक्तिगत रुचियों और जुनूनों का पीछा करना हो या पेशेवर महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना हो, आजीवन शिक्षा से हमें व्यक्तिगत पूर्णता और संतोष प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह मानता है कि मनुष्य में अन्वेषण, सीखने और विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यह हमें उन विचारों और लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपने जीवन की गुणवत्ता और आत्म-मूल्य की भावना को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें प्रेरित करते हैं। आजीवन शिक्षा मनुष्य के जीवन में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है।

औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक आजीवन शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें इतने अनुभव प्रदान करती है कि वह मनुष्य के जीवन को ही एक शैली तथा दर्शन प्रदान कर देती है। औपचारिक शिक्षा केवल कुछ ज्ञान प्रदान करती है, जबकि आजीवन शिक्षा हमें जीवन के हर क्षेत्र से सम्बन्धित हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। आजीवन या अनौपचारिक शिक्षा हमें यह ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है जो हमारे जीवन में वास्तविक रूप से काम आता है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा हम जीवन के कुछ वर्षों तक (सामान्यतया विद्यार्थी जीवन तक ही) प्राप्त करते हैं जबकि आजीवन तथा अनौपचारिक शिक्षा जीवनपर्यन्त चलती है। आजीवन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कारण इसमें शिक्षा-व्यय कम होता है। इस प्रकार आजीवन शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जीवन में मनुष्य अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है।

1.6 आजीवन शिक्षा के लाभ

अपने जीवन में आजीवन सीखने को शामिल करने से कई दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. आत्म-प्रेरणा का विकास- कभी-कभी हम किसी काम को सिर्फ इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें वह करना ही पड़ता है, जैसे काम पर जाना या घर की सफाई करना। यह पता लगाना कि हमको क्या प्रेरित करता है, आपको पुनः चालक की सीट पर ले जाता है और यह याद दिलाता है कि आप जीवन में वास्तव में वह सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।

2. लक्ष्यों की पहचान- एक व्यक्ति के रूप में जो चीज आपको प्रेरित करती है, उसे पुनः प्रज्वलित करने से बोरियत कम होती है, जीवन अधिक दिलचस्प बनता है, और भविष्य के अवसर भी खुल सकते हैं।आप कभी नहीं जानते कि यदि आप अपनी रुचियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे आपको कहां ले जाएंगी।

3. व्यावसायिक कौशल का विकास- जब हम कोई नया कौशल सीखने या नया ज्ञान प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, तो हम अन्य मूल्यवान कौशल भी विकसित कर रहे होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कुछ नया सीखने के लिए दूसरे कौशलों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, सिलाई सीखने के लिए समस्या-समाधान की आवश्यकता होती है। चित्र बनाना सीखने में रचनात्मकता विकसित करना शामिल है। कौशल विकास में पारस्परिक कौशल, रचनात्मकता, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, नेतृत्व, चिंतन, अनुकूलनशीलता और बहुत कुछ शामिल हो सकता है।

4. आत्मविश्वास का विकास- किसी चीज़ में अधिक ज्ञान या कुशलता प्राप्त करने से हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, यह आत्मविश्वास सीखने और सुधार करने के लिए समय और प्रयास समर्पित करने की संतुष्टि से उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमें उपलब्धि की भावना मिलती है। हमारे पेशेवर जीवन में, यह आत्मविश्वास हमारे ज्ञान में विश्वास की भावना तथा हमने जो सीखा है उसे लागू करने की क्षमता हो सकती है।

5- व्यावहारिकता का विकास- कभी-कभी आजीवन सीखने का उपयोग उस प्रकार के व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे नियोक्ता संगठन के भीतर चाहते हैं। नियोक्ता यह पहचान रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा प्रमाण-पत्र प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने का एकमात्र तरीका नहीं है और आजीवन सीखना वांछित विशेषता हो सकती है। आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था की तेज़ गति के कारण, संगठन आजीवन सीखने को कर्मचारी विकास में एक मुख्य घटक के रूप में देख रहे हैं । विचार यह है कि कर्मचारियों को संगठन के लिए अनुकूल और लचीला होने के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर व्यक्तिगत सीखने में संलग्न होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तिगत शिक्षण को अक्सर निरंतर शिक्षण कहा जाता है।

6- रूचि का विकास- अधिकांश लोग अपनी दिनचर्या में किसी न किसी समय अन्य लोगों से बातचीत करके, व्यक्तिगत रुचि के आधार पर इंटरनेट ब्राउज़ करके, समाचार पत्र पढ़कर या व्यक्तिगत रुचि में संलग्न होकर कुछ नया सीखते हैं। हालांकि, यदि व्यक्तिगत, पारिवारिक या कैरियर कारणों से कुछ नया सीखने के लिए अधिक प्रयास करना महत्वपूर्ण है, या अधिक संगठित संरचना की आवश्यकता हैं।

7- जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक- व्यक्तियों को अपने जीवन भर जागरूकता पैदा करने और विभिन्न पहलुओं को सीखने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, सीखना व्यक्तियों के जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जब वे विभिन्न पहलुओं को सीखेंगे, तो वे अपने व्यक्तित्व, कैरियर की संभावनाओं और जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। शैक्षणिक अवधारणाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला लेने के अलावा, व्यक्तियों को अन्य अवधारणाओं को भी सीखने की आवश्यकता है। उन्हें विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में अपनी क्षमताओं और योग्यता को उन्नत करने की आवश्यकता है जो उन्हें अच्छे इंसान बनने और अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र की उत्पादकता और कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बना सकें। आजीवन सीखने में, व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त करते हैं, इनमें दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग, सतत शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम शामिल हैं। परिवार के सदस्यों के साथ-साथ प्रशिक्षकों और साथी छात्रों सहित समुदाय के सदस्य व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

1.7 आजीवन शिक्षा की विशेषताएं

जैसे-जैसे विज्ञान एवं तकनीकी तथा व्यासायिक एवं निजी क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का संचार भी हो रहा हैं। नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है, और हमेशा नए कौशल के साथ कार्यबल में नए चेहरे शामिल होते हैं। यदि व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं चल रहे हैं, तो निजी जीवन तथा समाज में सामंजस्य स्थापित करना एक चुनौती रहता है।

आजीवन सीखने से व्यक्ति अपने कौशल को निखार सकते हैं ताकि वह आने वाले वर्षों में अपने जीवन एवं कार्यस्थल के लिए एक परिसंपत्ति बन सकें। साथ ही, अपनी पेशेवर क्षमताओं को विकसित करके, वह अपने करियर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं। यह किसी भी नियोक्ता का विश्वास और सम्मान अर्जित करने में बहुत मददगार होगा। आजीवन शिक्षा की विशेषताओं को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा समझा जा सकता है :-

1. कैरियर में उन्नति - आजीवन सीखने का मतलब सिर्फ़ अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है। यह नई भूमिकाओं के लिए भी दरवाज़ा खोल सकता है - या यहाँ तक कि एक नया करियर भी। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपना वर्तमान व्यवसाय है में संतुष्टि नहीं है तो आप एक ऑनलाइन कोर्स करने

पर विचार कर सकते हैं जो आपके पसंदीदा क्षेत्र में मूल्यवान प्रमाणन प्रदान करता है। कुछ मामलों में, यह स्कूल वापस जाने की आवश्यकता के बिना करियर परिवर्तन को संभव बना सकता है।

2. नई प्रेरणा का विकास- बहुत से लोग समय के साथ अपने करियर में रुचि खोते हुए पाते हैं। नौकरी एक रूटीन बन जाती है, जिसमें दिन-ब-दिन एक ही उबाऊ काम को बिना सोचे-समझे पूरा करना पड़ता है। जो पहले नया और रोमांचक हुआ करता था, वह पुराना हो जाता है। सौभाग्य से, आजीवन सीखने से आपके जुनून को फिर से जगाने में मदद मिल सकती है। नए कौशल विकसित करना शायद यह पता लगाने का रहस्य हो सकता है कि आपको अपने करियर की ओर पहली बार किस चीज़ ने आकर्षित किया था।

4. सॉफ्ट स्किल्स का विकास- वयस्क सतत शिक्षा सिर्फ़ आपको जो सिखाती है, उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी है। नई चीज़ें सीखने की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स को मज़बूत करने में मदद करती है, जैसे:

- लक्ष्य की स्थापना
- आत्म अनुशासन
- रचनात्मकता
- महत्वपूर्ण सोच
- समय प्रबंधन
- समस्या को सुलझाना
- अनुकूलन क्षमता

इन चरित्र गुणों को मजबूत करने से आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुंचने में अनिवार्य रूप से मदद मिलेगी।

5. शारीरिक एवं मानसिक विकास- अध्ययनों से पता चला है कि आजीवन सीखने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य और कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सीखने के मानसिक लाभों में ये शामिल हो सकते हैं:

- बेहतर संज्ञानात्मक कार्य
- अधिक समय तक ध्यान देने की क्षमता
- मजबूत स्मृति
- बेहतर तर्क कौशल

- मनोभ्रंश का जोखिम कम हो जाता है

6. आत्मसुधार- आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्म-सुधार बहुत ज़रूरी है। नए कौशल हासिल करके, व्यक्ति अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपने आत्म-सम्मान को बढ़ा सकते हैं। और जैसे-जैसे वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन कौशलों का उपयोग करेंगे, आपका उद्देश्य और भी बढ़ेगा।

7. नेटवर्किंग के अवसर- वयस्क सतत शिक्षा के लिए कई विकल्पों में प्रशिक्षकों और साथी शिक्षार्थियों के साथ मिलकर काम करना शामिल है। यह व्यक्ति को समान विचारधारा वाले पेशेवरों से जुड़ने और अपने व्यक्तिगत नेटवर्क को बढ़ाने की अनुमति देता है। समय के साथ, यह व्यक्ति के करियर को अप्रत्याशित दिशाओं में ले जाने के लिए मूल्यवान अवसर पैदा कर सकता है। भले ही ऐसा न हो, अपने क्षेत्र में एक नया दोस्त बनाना कभी भी नुकसानदेह नहीं होता है।

8- समायोजन के गुणों का विकास- आजीवन सीखने वाला आजीवन सीखने में औपचारिक शिक्षा को निरंतर पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के साथ जोड़ा जाता है। जैसे-जैसे तकनीक तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आजीवन सीखने वालों को नए कौशल सीखने होंगे और पेशेवर और व्यक्तिगत वातावरण में तेज़ी से होने वाले बदलावों के अनुकूल होना होगा।

अपनी उन्नति जानिए

भाग-2

सत्य असत्य का चयन कीजिये

प्र0 1. आत्म-प्रेरणा का विकास आजीवन शिक्षा का लाभ है। सत्य/असत्य

प्र0 2. आजीवन शिक्षा मनुष्य के जीवन को ही एक शैली तथा दर्शन प्रदान करती है। सत्य/असत्य

प्र0 2. आजीवन शिक्षा मनुष्य के निश्चित उम्र में चलती है।

1.8 सारांश

आजीवन शिक्षा कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, चाहे वह व्यक्तियों, शहरों, राष्ट्र राज्यों या शिक्षा नीति निर्माताओं के वैश्विक समुदाय के लिए हो। यह संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडे का केंद्र है और यूनेस्को के काम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आजीवन शिक्षा सीखने और जीने के एकीकरण में निहित है, जो सभी उम्र के लोगों (बच्चों, युवाओं, वयस्कों और बुजुर्गों, लड़कियों और लड़कों, महिलाओं और पुरुषों) के लिए सीखने की गतिविधियों को कवर करती है, सभी जीवन-व्यापी संदर्भों (परिवार, स्कूल, समुदाय, कार्यस्थल, आदि) में और विभिन्न तरीकों (औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक) के

माध्यम से, जो एक साथ, सीखने की जरूरतों और मांगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। आजीवन सीखने की यूनेस्को परिभाषा में पाँच आवश्यक तत्व हैं। इसमें शामिल होना है- सभी आयु समूह, शिक्षा के सभी स्तर, सभी सीखने के तरीके, सभी सीखने के क्षेत्र और स्थान तथा विभिन्न उद्देश्य। आजीवन सीखने की क्षमता को साकार करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और बहु-स्तरीय नीतियों के विकास की आवश्यकता होती है। इसके लिए गैर-औपचारिक या अनौपचारिक वातावरण में अर्जित कौशल की मान्यता, सत्यापन और मान्यता की भी आवश्यकता होती है।

आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देने का अर्थ है ऐसी व्यवस्थाएँ बनाना जो सभी उम्र के लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार को साकार करें, और उनकी क्षमता को खुला रखने के अवसर प्रदान करें- उनके व्यक्तिगत विकास के लिए और समाज के सतत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए।

साथ मिलकर काम करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आजीवन शिक्षा सामाजिक न्याय, सतत विकास और वैश्विक नागरिकता सहित कई परस्पर संबंधित एजेंडों में पूर्ण योगदान दे। यूआईएल इस दृष्टि के केंद्र में है।

1.9 शब्दावली

संज्ञानात्मक स्वास्थ्य- आजीवन सीखने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य और कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सीखने के मानसिक लाभों में ये शामिल हो सकते हैं: बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, अधिक समय तक ध्यान देने की क्षमता, मजबूत स्मृति, बेहतर तर्क कौशल, मनोभ्रंश का जोखिम कम हो जाता है

आत्मविश्वास में सुधार- किसी चीज़ में अधिक ज्ञान या कुशलता प्राप्त करने से हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, यह आत्मविश्वास सीखने और सुधार करने के लिए समय और प्रयास समर्पित करने की संतुष्टि से उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमें उपलब्धि की भावना मिलती है। हमारे पेशेवर जीवन में, यह आत्मविश्वास हमारे ज्ञान में विश्वास की भावना तथा हमने जो सीखा है उसे लागू करने की क्षमता हो सकती है।

नई प्रेरणा- बहुत से लोग समय के साथ-साथ अपने वर्तमान करियर तथा व्यवस्था में रुचि खोते हुए पाते हैं। नौकरी एक रूटीन बन जाती है, जिसमें दिन-ब-दिन एक ही उबाऊ काम को बिना सोचे-समझे पूरा करना पड़ता है। जो पहले नया और रोमांचक हुआ करता था, वह पुराना हो जाता है। आजीवन सीखने से व्यक्ति के जुनून को फिर से जगाने में मदद मिल सकती है। नए कौशल विकसित करना शायद यह पता लगाने का रहस्य हो सकता है कि मनुष्य को अपने करियर की ओर पहली बार किस चीज़ ने आकर्षित किया था।

1.1. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

भाग- 1

उत्तर- 1. जीवन भर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधि को आजीवन शिक्षा कहते है।

उत्तर- 2. चार

उत्तर- 3. जीवनपर्यन्त

भाग- 2

उत्तर- 1. सत्य

उत्तर- 2. सत्य

उत्तर- 3.असत्य

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- नरेन्द्रदेव आचार्य (2011) बौद्धधर्म-दर्शन मोतीलाल बनारसीदास पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली
- सक्सेना एन.आर.स्वरुप, चतुर्वेदी शिखा (2012) आर.लाल.बुक डिपो मेरठ
- ओड .एल.के. (2011) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर
- खान बसीम (2016) भारतीय दर्शन में समाधी परम्परा (सन्दर्भ : बौद्ध एवं योग दर्शन) साहित्यघर जयपुर।
- वाकडे मनीषा (2020) बौद्ध निकायों का इतिहास, भारत भारती प्रकाशन वाराणसी
- https://hindi.webdunia.com/buddha-jayanti-special/buddha-purnima-2021
- https://hi.wikipedia.org/wiki
- https://nios.ac.in/media/documents/bgp/Secondary_Hindi/Bharatiya_Darshan_247/247_book1/247-Book1_L8.pdf

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. आजीवन शिक्षा से आप क्या समझते है? स्पष्ट कीजिए।

2. आजीवन शिक्षा के महत्व को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

3.आजीवन शिक्षा की विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझाइए।

Unit-2

सतत शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा, आजीवन सीखना (Continuing Education and Extension Education, Lifelong Learning)

इकाई की रूपरेखा :-

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 सतत शिक्षा का अर्थ
2.4 सतत शिक्षा के प्रकार
2.5 सतत शिक्षा का महत्व
अपनी उन्नति जानिए
2.6 विस्तार शिक्षा का अर्थ
2.7 विस्तार शिक्षा के उद्देश्य
2.8 विस्तार शिक्षा के सिद्धांत
2.9 आजीवन सीखना का अर्थ
2.10 आजीवन सीखना का महत्व
2.11 आजीवन सीखने की उपयोगिता
अपनी उन्नति जानिए
2.12 सारांश
2.13 शब्दावली
2.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
2.16 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

सतत शिक्षा के द्वारा मनुष्य को निरंतर विस्तृत होती ज्ञान की दुनिया (Knowledge Society) के लिए आवश्यक नवीन विचारों व तकनीकी से लोगों को परिचित कराया जाता है। सतत शिक्षा व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलती रहती है। आजीवन सीखने को "जीवन भर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधियों तथा उनसे प्राप्त अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, नागरिक, सामाजिक तथा रोजगार-संबंधी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है"। इसे अक्सर बचपन के औपचारिक शिक्षा के वर्षों के बाद और वयस्कता में होने वाली शिक्षा माना जाता है।

यह जीवन के अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से खोजा जाता है क्योंकि शिक्षार्थी पेशेवर या व्यक्तिगत कारणों से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ये प्राकृतिक अनुभव उद्देश्यपूर्ण या आकस्मिक रूप से आ सकते हैं। आजीवन सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें लोग अलग-अलग संदर्भों में सीखते हैं। इन वातावरणों में न केवल स्कूल बल्कि घर, कार्यस्थल और ऐसे स्थान भी शामिल हैं जहाँ लोग अवकाश गतिविधियाँ करते हैं। हालाँकि, जहाँ सीखने की प्रक्रिया को सभी उम्र के शिक्षार्थियों पर लागू किया जा सकता है, वहीं वयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो संगठित शिक्षा की ओर लौट रहे हैं। इसके ढाँचे पर आधारित कार्यक्रम हैं जो शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य - 4 और यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ़लॉन्ग लर्निंग, जो वंचित और शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। आजीवन शिक्षा सतत शिक्षा की अवधारणा से इस मायने में अलग है कि इसका दायरा व्यापक है। बाद की शिक्षा के विपरीत, जो स्कूलों और उद्योगों की जरूरतों के लिए विकसित वयस्क शिक्षा की ओर उन्मुख है, इस प्रकार की शिक्षा आम तौर पर व्यक्तियों में मानवीय क्षमता के विकास से संबंधित है। आजीवन शिक्षा समग्र शिक्षा पर केंद्रित है और इसके दो आयाम हैं, अर्थात्, सीखने के लिए आजीवन और व्यापक विकल्प। ये सीखने को इंगित करते हैं जो पारंपरिक शिक्षा प्रस्तावों और आधुनिक सीखने के अवसरों को एकीकृत करता है। इसमें लोगों को यह सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जाता है कि कैसे सीखना है और ऐसी सामग्री, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का चयन करना है। आजीवन शिक्षा ज्ञान और उसके अधिग्रहण की एक अलग अवधारणा पर आधारित है। इसे न केवल सूचना या तथ्यात्मक ज्ञान के असतत टुकड़ों के कब्जे के रूप में समझाया गया है, बल्कि नई घटनाओं को समझने की एक सामान्यीकृत योजना के रूप में भी बताया गया है, जिसमें उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति का उपयोग भी शामिल है। विस्तार शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय उन लोगों को प्रदान करते हैं जो छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं। व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ाने, नए कौशल सीखने या अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करने के लिए विस्तार पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

1. सतत शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. सतत शिक्षा की मूल अवधारणा से परिचित हो सकेंगे।
3. सतत शिक्षा के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
4. विस्तार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. विस्तार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे।
6. आजीवन सीखने के अर्थ को समझ सकेंगे।

7. आजीवन सीखने की उपयोगिता का विश्लेषण कर सकेंगे।

2.3 सतत शिक्षा का अर्थ

संयुक्त राज्य अमेरिका में सतत शिक्षा का इतिहास बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक क्लब से शुरू होता है। 1727 से 1765 तक, फ्रैंकलिन और उनके दोस्तों का एक समूह उन विचारों को साझा करने के लिए मिले, जो उन्हें और उनके समुदाय को लाभ पहुंचा सकते थे। आज, सतत शिक्षा में कई सीखने के अवसर शामिल हैं - ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, कार्यशालाएँ, व्यावसायिक प्रमाणपत्र, डिग्री और बहुत कुछ- जो वयस्कों के लिए हैं और जिन्होंने पहले ही अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी कर ली है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में सतत शिक्षा मनुष्य के जीवन में उन्नति तथा नौकरी की संभावनाओं और आय क्षमता में सुधार कर सकती है। नियोक्ता भी अत्यधिक कुशल कार्यबल से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि यह उन्हें संगठन के भीतर से पदोन्नति करने, टर्नओवर को कम करने और कंपनी के बारे में उत्पादकता और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने की अनुमति देता है। बहुत से लोग अपने जीवन में उन्नति तथा करियर को आगे बढ़ाने, नए कौशल सीखने और जीवन में बहुत कुछ करने के लिए सतत शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। सतत शिक्षा के लिए कई रास्ते हैं जो अलग-अलग रुचियों और लक्ष्यों के अनुकूल हो सकते हैं। जो लोग सतत शिक्षा में रुचि रखते हैं, वे विभिन्न सतत शिक्षा विकल्पों को जानने से उन्हें स्वयं के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

सतत शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो विभिन्न प्रकार के पोस्ट-सेकेंडरी लर्निंग विकल्पों को संदर्भित करता है, जिसमें डिग्री प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स, कैरियर ट्रेनिंग और बहुत कुछ शामिल है। कई लोग नए कौशल सीखने और व्यक्तिगत रुचियों को पूरा करने के लिए सतत शिक्षा का चयन करते हैं। सतत शिक्षा व्यक्तियों को अपने व्यवसाय से संबंधित कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करके उन्हें करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। सतत शिक्षा के अनुभवों को भी जीवन में शामिल कर यह सिद्ध किया जा सकता है कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं।

2.4 सतत शिक्षा के प्रकार

सतत शिक्षा का संचालन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

1. पोस्ट-सेकेंडरी डिग्री प्रोग्राम- पोस्ट-सेकेंडरी डिग्री प्रोग्राम सतत शिक्षा का एक सामान्य रूप है। पोस्ट-सेकेंडरी डिग्री प्रोग्राम में एसोसिएट डिग्री, मास्टर डिग्री और अन्य डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं। पोस्ट-सेकेंडरी डिग्री हासिल करना व्यक्ति के करियर को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

2. व्यावसायिक प्रमाणपत्र- पेशेवर प्रमाणपत्र व्यक्ति के जीवन में उन्नति करने तथा शिक्षा जारी रखने का एक और विकल्प है। व्यावसायिक प्रमाणपत्र हासिल करने से व्यक्ति को अपने करियर को आगे बढ़ाने

और नए कौशल सीखने में मदद मिल सकती है। सतत शिक्षा के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हैं जिसके द्वारा वह विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।

3. स्वतंत्र अध्ययन- एक और प्रकार की सतत शिक्षा स्वतंत्र अध्ययन करना है। स्वतंत्र अध्ययन ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिन्हें शिक्षार्थी अपनी विशिष्ट रुचियों और लक्ष्यों के अनुरूप डिज़ाइन कर सकते हैं। वह किसी अन्य अकादमिक पेशेवर के साथ काम कर सकते हैं।

4. व्यावसायिक कार्यक्रम- पेशेवर कार्यक्रमों में भाग लेना व्यक्ति की शिक्षा जारी रखने का एक और तरीका है। यह शिक्षा विभिन्न कार्यक्रम नियोक्ताओं, पेशेवर संगठनों और उद्योगों में अन्य संस्थाओं के माध्यम से हो सकते हैं। कुछ सामान्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएँ भी शामिल होते हैं।

5. ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग- व्यक्ति रोजगार के साथ-साथ ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग भी ले सकते हैं जिससे वे अपने कैरियर तथा व्यसाय में प्रगति हासिल कर सकते है। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग एक अतिरिक्त ट्रेनिंग है जिसे व्यक्ति नौकरी मिलने के बाद पूरा कर सकते हैं। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मनुष्य को नए कौशल और ज्ञान सीखने में मदद कर सकती है जिसे वह अपनी मौजूदा व्यवसाय में लागू कर सकते हैं और अपने पूरे करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं।

6. स्वयंसेवा- स्वयंसेवा सीखने का एक और तरीका है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति कई तरह के स्वयंसेवी अवसरों की तलाश कर सकते हैं जो उसको किसी व्यवसाय या उद्योग के बारे में ज़्यादा जानने, कौशल का अभ्यास करने और अनुभव हासिल करने की अनुमति देते हैं। स्वयंसेवा पेशेवर संबंध बनाने का एक अवसर भी हो सकता है।

7. शोध- मनुष्य सतत शिक्षा के रूप में शोध भी कर सकते हैं। अगर वह शिक्षा जगत में काम करते हैं, तो शोध करना व्यक्ति की भूमिका का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने करियर और विशेषज्ञता से संबंधित शोध विषय चुन सकते हैं। अपना शोध पूरा करने के बाद, वह कोई पेपर या अध्ययन प्रकाशित करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे उसको अपने करियर क्रेडेंशियल्स को बेहतर बनाने और साथ ही अपनी विशेषज्ञता के बारे में ज़्यादा जानने में मदद मिल सकती है।

8. ऑनलाइन कोर्स- ऑनलाइन कोर्स शिक्षार्थी की शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक और तरीका है। शिक्षार्थी मुफ़्त या किफ़ायती ऑनलाइन कोर्स खोज कर यह कार्य कर सकते हैं। मनुष्य अपनी विशिष्ट रुचियों और लक्ष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम खोजने के लिए एक खोज इंजन का उपयोग कर सकते हैं।

9. व्यावसायिक लाइसेंस नवीनीकरण- शिक्षार्थी व्यावसायिक लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, कक्षाएं और परीक्षाएँ भी पूरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा में काम करते हैं, तो आपको अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त प्रशिक्षण पूरा करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया आपको अपने पेशे के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सीखने में मदद कर सकती है।

10. भाषा सीखना- भाषा सीखना एक और सतत शिक्षा का विकल्प है। कई भाषाओं को जानना एक ऐसा कैरियर कौशल है जिसे सभी उद्योगों में महत्व दिया जाता है। शिक्षार्थी रूचि, आनंद या अन्य व्यक्तिगत कारणों से भी भाषा सीखना चुन सकते हैं। भाषा सीखना शुरू करने के कुछ तरीके ऑनलाइन कोर्स के लिए साइन अप करना और भाषा सीखने वाला ऐप डाउनलोड करना हैं।

2.5 सतत शिक्षा का महत्व

सतत ऐसी शिक्षा को इंगित करती है, जो कभी रुकती नहीं, जैसे कि नव साक्षर की शैक्षिक यात्रा, प्रौढ़ साक्षरता से होती हुई उत्तर साक्षरता और आगे सतत शिक्षा तक चलती रहती है। जो लोग उच्च शिक्षा स्तर पर हैं, वे सतत रूप से निरंतर विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। यह ऐसी शिक्षा को भी इंगित करती है, जो एक बार समाप्त होकर फिर शुरू जाती है। लोग विभिन्न स्तरों पर पढ़ना-लिखना छोड़ देते हैं और आगे चलकर वापस अपनी शिक्षा को पुनः शुरू करना चाहते हैं। सतत शिक्षा ऐसी शिक्षा है, जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है, यह आवश्यक होता जा रहा है, कि लोग विभिन्न नए-नए कौशलों को निरन्तर सीखते रहें, जैसे कि डाक्टर, नर्स, शिक्षक, कृषक आदि सभी सतत शिक्षा के अवसर ढूंढते रहते हैं। सतत शिक्षा के द्वारा विभिन्न वर्गों के जन समुदाय तथा व्यक्तियों को सामर्थ्य प्रदान करना, जिससे कि वे अपने बौद्धिक विकास, व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यता के बीच की खाई (gap) को भर सकें। वे आवश्यक कौशलों और कार्यों के प्रति रूचि का विकास कर सकें, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें, विशेषज्ञतापरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर, वर्तमान ज्ञान की दुनिया के साथ कदम मिला कर चल सकें।

यह शिक्षा सामान्य रुचि के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है जिससे कि लोग वर्तमान विश्व की सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूक होकर बेहतर और पूर्ण जीवन जी सकें। उपरोक्त अभिकरणों के अतिरिक्त इस कार्य में व्यापक स्तर पर कार्यरत अभिकरणों में विश्वविद्यालयों का स्थान सर्वोपरि है। विश्वविद्यालय सतत शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न लक्ष्य समूहों या वर्गों के लिए लघु कालीन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, वर्कशाप, सेमिनार तथा अधिवेशनों का आयोजन करते हैं। विश्वविद्यालय सतत शिक्षा के कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में ज्ञान तथा कौशल की अभिवृद्धि करना है। अप्रशिक्षित सेवारत विद्यार्थियों तथा अधिगमकर्ताओं की विशाल जनसंख्या को सतत शिक्षा प्रदान करने की चुनौती मुक्त व दूरस्थ अधिगम प्रणाली ने ग्रहण की है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ व सतत शिक्षा विभाग तथा पत्राचार संस्थान सभी स्तरों पर सतत् शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। जो लोग और अधिक ऊंची शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री वाले पाठ्यक्रमों का संचालन सतत शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। सतत शिक्षा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि (insight) के सार्थक उपयोग द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा सकता है।

यह जीवन पर्यन्त शिक्षा व सतत शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करने में मनुष्य को सक्षम बनता है। सतत शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सामर्थ्य प्रदान करना, जिससे कि वे अपने बौद्धिक नेतृत्व और उपलब्ध संसाधनों का लाभ समाज को पहुंचा सकें। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थियों को सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक बनाया जा सके। अब धीरे-धीरे मुक्त व दूरस्थ अधिगम प्रणाली ने सतत शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन 'इंटरनेट' (Internet) के माध्यम से करना शुरू किया है।

अपनी उन्नति जानिए

प्र0 1. सतत शिक्षा के कार्यक्रम है।

प्र0 2. सतत शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है?

2.6 विस्तार शिक्षा का अर्थ

विस्तार शिक्षा एक अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान है, जिसमें भौतिक, जैविक और सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त प्रासंगिक विषय-वस्तु शामिल होती है और अपनी प्रक्रिया में ज्ञान, अवधारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के एक समूह में संश्लेषित होती है, जो मुख्य रूप से वयस्कों के लिए स्कूल से बाहर गैर-क्रेडिट शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख होती है। विस्तार शिक्षा एक विज्ञान है, जो लोगों के व्यवहार-जटिलता में नियोजित परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन किए गए ज्ञान के निर्माण, संचरण और अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके व्यवसायों, उद्यमों और संस्थानों को बेहतर बनाने के तरीकों को सीखकर बेहतर जीवन जीने में मदद करना है। विस्तार शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय उन लोगों को प्रदान करते हैं जो छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं। व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ाने, नए कौशल सीखने या अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करने के लिए विस्तार पाठ्यक्रम का उपयोग कर सकते हैं।

2.7 विस्तार शिक्षा के उद्देश्य

उद्देश्य वह लक्ष्य है जिसके लिए हमारे प्रयासों को निर्देशित किया जाना चाहिए। विस्तार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है:-

1. लोगों को उनकी समस्याओं को खोजने और उनका विश्लेषण करने तथा उनकी महसूस की गई आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता करना।
2. लोगों में नेतृत्व विकसित करना तथा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समूहों को संगठित करने में उनकी सहायता करना।
3. आर्थिक व व्यावहारिक महत्व की शोध जानकारी को इस तरह से प्रसारित करना कि लोग इसे समझ सकें।

4. लोगों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों को जुटाने तथा उनका उपयोग करने में सहायता करना, जिनकी उन्हें बाहर से आवश्यकता है।

5. प्रबंधन समस्याओं को हल करने के लिए फीडबैक जानकारी एकत्र करना तथा उसे प्रसारित करना।

2.8 विस्तार शिक्षा के सिद्धांत

विस्तार शिक्षा के कई सिद्धांत होते है जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

1. लोगों की ज़रूरत और रुचि का सिद्धांत- विस्तार कार्य लोगों की ज़रूरतों और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। हमेशा ज़रूरतों और रुचियों के अनुसार कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। ये ज़रूरतें व्यक्ति से व्यक्ति, गाँव से गाँव, ब्लॉक से ब्लॉक, राज्य से राज्य में अलग-अलग होती हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए एक ही कार्यक्रम नहीं हो सकता।

2. जमीनी स्तर पर संगठन का सिद्धांत- स्थानीय समुदाय में ग्रामीण लोगों के एक समूह को विस्तार कार्य प्रायोजित करना चाहिए। वे स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। स्थानीय समूह को संगठित करने का उद्देश्य नई प्रथाओं या कार्यक्रमों के महत्व को प्रदर्शित करना है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें।

3. सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत- विस्तार कार्य उन लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है जिनके साथ काम किया जाता है। विस्तार कार्यकर्ता और ग्रामीण लोगों के बीच संस्कृति में हमेशा अंतर होता है। सफलता तब मिलती है जब विस्तार पेशेवरों को विस्तार कार्यक्रम शुरू करने से पहले लोगों के ज्ञान और कौशल, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों और उपकरणों, उनके रीति-रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों आदि के स्तर को का ज्ञान होता है।

4. सहयोग और जन भागीदारी का सिद्धांत- विस्तार एक सहकारी उपक्रम है। यह एक संयुक्त लोकतांत्रिक उद्यम है जिसमें ग्रामीण लोग अपने गांव, ब्लॉक और राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर एक साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आखिरकार लोगों के सहयोग के बिना काम सफल नहीं हो सकता और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। विस्तार शिक्षा का पहला काम लोगों का सहयोग और काम में उनकी भागीदारी है। विस्तार शिक्षा लोगों को खुद की सहायता करने में मदद करता है। अच्छा विस्तार कार्य ग्रामीण परिवारों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने की दिशा में होता है, न कि उन्हें तैयार समाधान देने की दिशा में। इन कार्यक्रमों में लोगों की वास्तविक भागीदारी और अनुभव उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है और वे करके भी सीखते हैं। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि विस्तार शिक्षा का काम उनका अपना काम है। विस्तार कार्य में भागीदारी लोगों में काम के प्रति आत्मविश्वास पैदा करती है। यह जरूरी नहीं है कि समाज के सभी सदस्य इसमें भाग लें, लेकिन विस्तार पेशेवरों को लोगों की अधिकतम भागीदारी के लिए प्रयास करना चाहिए।

5. सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत- विस्तार शिक्षा इस बात से शुरू होती है कि शिक्षार्थी क्या जानता है, उसके पास क्या है और वह क्या सोचता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा ग्राहकों के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण के साथ, विस्तार पेशेवरों को कार्यक्रम के प्रत्येक चरण से संबंधित सीमाओं, वर्जनाओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों को खोजने तथा समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य दृष्टिकोण का चयन किया जा सके।

6. करके सीखने का सिद्धांत- इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तियों को स्वयं कार्य करके तथा उसमें भाग लेकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो उसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है तथा कठिनाइयों का अनुभव होता है। विस्तार पेशेवर समस्याओं को समझने तथा किसानों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होते हैं, तथा इस प्रकार, वे उचित जानकारी तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

7. प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत- यह बहुत कठिन है कि विस्तार कर्मियों को सभी समस्याओं के बारे में जानकारी हो। इसलिए, यह आवश्यक है कि विशेषज्ञ समय-समय पर लोगो को प्रशिक्षण प्रदान करें।

8. विस्तार शिक्षण विधियों के उपयोग में अनुकूलनशीलता का सिद्धांत- लोग एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, एक समूह दूसरे समूह से भिन्न होता है तथा स्थान-स्थान पर स्थितियाँ भी भिन्न होती हैं। विस्तार कार्यक्रम लचीला होना चाहिए, ताकि बदलती परिस्थितियों को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। विस्तार पेशेवरों को विस्तार विधियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे स्थिति के अनुसार उचित विधि का चयन कर सकें। शिक्षण विधियाँ लचीली होनी चाहिए ताकि उन्हें लोगों पर उनके आयु वर्ग, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक मानक और लिंग के अनुसार ठीक से लागू किया जा सके। विस्तार शिक्षा में अनुकूलनशीलता के सिद्धांत के अनुसार दो या अधिक विधियों को लागू किया जाना चाहिए।

9. नेतृत्व का सिद्धांत- विस्तार शिक्षा तथा कार्य स्थानीय नेतृत्व के पूर्ण उपयोग पर आधारित है। स्थानीय नेतृत्व का चयन और प्रशिक्षण उन्हें विस्तार कार्य करने में मदद करने के लिए सक्षम बनाना कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। लोगों का स्थानीय नेतृत्व पर अधिक विश्वास होता है और उन्हें एक नया विचार प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इसे कम से कम प्रतिरोध के साथ स्वीकार किया जा सके।

10. पूरे परिवार का सिद्धांत- विस्तार कार्य की सफलता की संभावना अधिक होगी यदि विस्तार पेशेवरों के पास टुकड़ों में या अलग और उदासीन दृष्टिकोण के बजाय पूरे परिवार का दृष्टिकोण हो। इसलिए, विस्तार कार्य पूरे परिवार के लिए है, यानी पुरुष, महिला और बच्चों के लिए।

2.9 आजीवन सीखने का अर्थ

आजीवन शिक्षा या जीवनपर्यन्त शिक्षा आधारभूत शिक्षा है। यह वैयक्तिक प्रशिक्षण का ध्येय रखती है। क्रियात्मक, सांस्कृतिक और कलात्मक अर्थों में व्यक्ति को अवकाश प्राप्ति के अधिकार के प्रति सजग करती है तथा व्यक्ति को स्थायी ढंग से शैक्षिक साधनों की पात्रता दिलाती है, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, सृजनात्मक सामर्थ्य प्रशस्त हो सके। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सरकार ने सतत आजीवन कौशल शिक्षा योजना के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किये हैं। शिक्षा के द्वारा नवसाक्षरों, प्रौढ़ों तथा शिक्षा प्राप्तकर्ता को कोई-न-कोई कौशल प्राप्त करने या सीखने के अवसर प्रदान किये गये हैं। अनवरत शिक्षा केन्द्रों पर कौशल प्राप्त करने या सीखने के अवसर प्रदान किये गये हैं। अनवरत शिक्षा केन्द्रों पर कौशल ग्रहण करने पर मुख्य जोर दिया जाता है। ये केन्द्र मूल साक्षरता, साक्षरता जीवनोपयोगी कौशल, साक्षरता कौशल में सुधार, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों और आजीवन व्यावसायिक कौशल की खोज तथा सामाजिक और पेशे से सम्बन्धित विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय माँग के अनुसार अवसर उपलब्ध कराते हैं।

इस दृष्टि से आजीवन शिक्षा वह शिक्षा है जो वयस्कों को दी जाती है। इसमें पढ़ने-लिखने के साथ-साथ व्यवसाय या धन्धे से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, जैसे-ग्रामीण क्षेत्रों में सूत कातना, चटाई बुनना, वैज्ञानिक ढंग से कृषि करना, रस्सी बनाना, डेयरी का काम, रंगाई-छपाई का कार्य करना, मुर्गी पालन आदि। इसी प्रकार नगर क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक कौशल के कुछ विशिष्ट कार्यों की शिक्षा दी जाती है; जैसे- मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, मूर्तिकला, फल संरक्षण का कार्य, काष्ठ कला तथा शिल्पकला, जिल्दसाजी का कार्य, चमड़े की तरह-तरह की वस्तुएँ बनाना, घर पर सिलाई, कला हाथ से कागज बनाना, रेडियो, घड़ी, टी० वी० आदि की मरम्मत करना, दरी-कालीन बुनना आदि। आजीवन कौशल की शिक्षा के अन्तर्गत जीवनोपयोगी व्यावसायिक शिक्षा देना एक मुख्य कार्य है। समयानुसार इसमें व्यापक परिवर्तन भी किये जाते हैं। यह पूर्ण मानवीय शिक्षा कहलाती है। यह व्यक्ति को साक्षर बनाने के साथ-साथ छोटे-मोटे व्यवसाय में भी दक्ष बनाती है। यह व्यक्ति को बताती है कि स्वयं सीखने का कला-कौशल जीवन भर काम आता है तथा व्यक्ति को धन प्राप्ति तथा आजीविका प्राप्ति से सम्बन्धित कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं।

इस सम्बन्ध में डॉ० मुखर्जी ने लिखा है "आजीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह जीवनभर अपने परिवार का भरण-पोषण बड़ी शान्ति के साथ कर सकता है।" ओमप्रकाश आर्य ने उल्लेख किया है- "जीवन कौशल शिक्षा सतत शिक्षा का एक अंग है। यह ऐसे अवसर प्रदान करती है, जिससे प्रौढ़ अपने व्यवसाय, उत्तरदायित्व तथा विभिन्न सीमाओं में निवास करते हुए अपनी अभिरुचि तथा क्षमता के अनुसार व्यवसाय के क्रम को जारी रख सकता है।" आजीवन कौशल शिक्षा के अन्तर्गत

शालीनता, सभ्यता, परोपकारिता, ज्ञान वृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक तथा कलात्मक शिक्षा को प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं।

2.10 आजीवन सीखने का महत्व एवं उपयोगिता

माना जाता है कि "आजीवन सीखना" शब्द पहली बार 1968 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में प्रयुक्त सामग्री में दिखाई दिया था। आजीवन सीखने का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर नए कौशल में महारत हासिल करने की प्रक्रिया से है। बहुत से लोग व्यक्तिगत विकास और आत्म-साक्षात्कार के लिए अपनी शिक्षा जारी रखते हैं, जबकि अन्य इसे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में देखते हैं। पिछले पचास वर्षों में, निरंतर वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों ने सीखने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाला है। सीखने को अब उस समय और स्थान में विभाजित नहीं किया जा सकता है जहां हम ज्ञान प्राप्त करते हैं (स्कूल) और समय और स्थान जहां हम उस ज्ञान (कार्यस्थल) को लागू करते हैं। इसके विपरीत, सीखने को एक ऐसी चीज के रूप में देखा जा सकता है जो हर समय दूसरों के साथ और हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारी दैनिक बातचीत के परिणामस्वरूप होती है। आज कैरियर में कई बदलाव उतने ही सामान्य हैं जितने 100 साल पहले किसी के जीवन भर एक ही क्षेत्र में काम करते थे। हमारी अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू के तकनीकी परिवर्तन का मतलब है कि हमें नए कौशल सीखना चाहिए और एक अभूतपूर्व गति और पैमाने पर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

आजीवन सीखने का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन भर ज्ञान और कौशल प्राप्त करना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करती है। आज की तेज़-तर्रार दुनिया में, आजीवन सीखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति और बदलते नौकरी बाजार के साथ, व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नवीनतम कौशल और ज्ञान के साथ अपडेट रहना चाहिए। आजीवन सीखने के अनेक लाभ हैं। यह व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रासंगिक बने रहने और उन्नति करने में मदद करता है। आजीवन सीखने से व्यक्तिगत वृद्धि और विकास आजीवन सीखने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है, समस्या-समाधान और महत्वपूर्ण सोच कौशल में सुधार हो सकता है और उद्देश्य और पूर्ति की भावना प्रदान की जा सकती है।

2.11 आजीवन सीखने की उपयोगिता

आजीवन शिक्षा का अर्थ है- निरन्तर चलाने वाली अथवा जीवन पर्यन्त चलने वाली शिक्षा आजीवन शिक्षा का मूल सिद्धान्त यही है कि शिक्षा एक जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है" यह प्रक्रिया विद्यालयी अथवा विश्वविद्यालयी शिक्षा के पश्चात ही समाप्त नहीं हो जाती। शिक्षा की उच्चतम डिग्रियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी जीवन और समाज की निरन्तर बढ़ती जटिलताओं से अनुकूलन करने के लिए अपने ज्ञान की पुनश्चर्या अथवा नवीनीकरण करने की आवश्यक्ता होती है। आंशिक रूप से शिक्षित तथा साक्षर लोगों के लिए जीवन पर्यन्त या आजीवन शिक्षा की आवश्यकता होती है।

आजीवन सीखना शिक्षा का वह हिस्सा है जिसका प्रारम्भ बुनियादी या प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चातू होता है। आजीवन सीखने का सम्बन्ध विशेष रूप से ऐसे पाठ्यक्रमों से है जो, पूर्णकालिक अग्रिम शिक्षा (full time further education), या उच्च शिक्षा (Higher education) से अलग हैं तथा आवश्यक नहीं है कि इनके लिए प्रमाणपत्र मिले। इसलिए अंशकालिक अग्रिम शिक्षा (part time further education), बहुत कुछ प्रौढ़ शिक्षा तथा निरन्तर योग्यता व व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी कुछ सामान्यतः आजीवन सीखने के अंतर्गत ही आता है। आजीवन सीखने के कई अभिकरण है जिनके द्वारा व्यक्ति कही भी कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन अभिकरणों में मुख्य रूप से- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आल इण्डिया रेडियो (AIR), दूरदर्शन, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन प्रभाग, गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, फिल्म प्रभाग श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम विभाग तथा राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान आदि।

उपरोक्त अभिकरणों के अतिरिक्त इस कार्य में व्यापक स्तर पर कार्यरत अभिकरणों में विश्वविद्यालयों का स्थान सर्वोपरि है। विश्वविद्यालय आजीवन सीखने तथा सतत शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न लक्ष्य समूहों या वर्गों के लिए लघु कालीन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, वर्कशाप, सेमिनार तथा अधिवेशनों का आयोजन करते हैं। विश्वविद्यालय आजीवन सीखने तथा सतत शिक्षा के कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में ज्ञान तथा कौशल की अभिवृद्धि करना है।

अपनी उन्नति जानिए

भाग -2 सत्य असत्य का चयन कीजिये

प्र0 1. जीवन कौशल शिक्षा सतत् शिक्षा का एक अंग है।

प्र0 2. विस्तार शिक्षा एक विज्ञान है।

प्र0 2. आजीवन सीखना निश्चित समय तक चलती है।

2.12 सारांश

सतत शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहता है तथा वह विस्तृत होती ज्ञान की दुनिया के लिए आवश्यक नवीन विचारों व तकनीकी से परिचित होते रहता है। सतत शिक्षा व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलती रहती है। आजीवन शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें व्यक्ति जीवन भर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधियों तथा उनसे प्राप्त अनुभवों से नित्य नए-नए ज्ञान प्राप्त करता है। जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, नागरिक, सामाजिक तथा रोजगार-संबंधी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है। विस्तार शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय उन लोगों को प्रदान करते हैं जो छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं। यह शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उन्नति, नए कौशल सीखने या अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करने के लिए उपयोगी हो सकता है। आजीवन शिक्षा

या जीवनपर्यन्त शिक्षा आधारभूत शिक्षा है। क्रियात्मक, सांस्कृतिक और कलात्मक अर्थों में व्यक्ति को अवकाश प्राप्ति के अधिकार के प्रति सजग करती है तथा व्यक्ति को स्थायी ढंग से शैक्षिक साधनों की पात्रता दिलाती है, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, सृजनात्मक सामर्थ्य का विकास होता है। आजीवन सीखने से व्यक्ति अपने जीवन में तथा समाज में समायोजन करने में सक्षम होता है तथा बदलती परिस्थितियों के साथ तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार नवीन ज्ञान प्राप्त करने में भी सक्षम होता है।

2.13 शब्दावली

स्वतंत्र अध्ययन- एक और प्रकार की सतत शिक्षा स्वतंत्र अध्ययन करना है। स्वतंत्र अध्ययन ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिन्हें आप अपनी विशिष्ट रुचियों और लक्ष्यों के अनुरूप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अक्सर किसी प्रोफेसर या किसी अन्य अकादमिक पेशेवर के साथ काम कर सकते हैं।

विस्तार शिक्षा- विस्तार शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय उन लोगों को प्रदान करते हैं जो छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने, नए कौशल सीखने या अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करने के लिए विस्तार पाठ्यक्रम ले सकते हैं।

आजीवन सीखना- आजीवन सीखना या जीवनपर्यन्त शिक्षा आधारभूत शिक्षा है। यह वैयक्तिक प्रशिक्षण का ध्येय रखती है। क्रियात्मक, सांस्कृतिक और कलात्मक अर्थों में व्यक्ति को अवकाश प्राप्ति के अधिकार के प्रति सजग करती है

2.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

भाग -1

उत्तर-1 डिग्री प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स, कैरियर ट्रेनिंग आदि।

उत्तर-2 सतत शिक्षा के कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में ज्ञान तथा कौशल की अभिवृद्धि करना है।

भाग -2

उत्तर-1 सत्य

उत्तर-2 सत्य

उत्तर-3 असत्य

2.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शर्मा, डॉ आर. ए, (2010) " शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार'' आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
- त्यागी, गुरसरनदास (2015) "शिक्षा के सिद्धांत" अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।

- लाल, प्रो . रमन बिहारी व पलोड सुनीता (2010) शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार।
- चौबे डॉ.सरयू प्रसाद तथा चौबे डॉ . अखिलेश (2005) "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार" इंटरनेशनल पब्लिकेशन।
- सक्सेना, डॉ सरोज (2004) शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार" साहित्य प्रकाशन आगरा।

2.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. सतत शिक्षा से आप क्या समझते है। स्पष्ट किजिए।
2. सतत शिक्षा के महत्व को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए।
3. विस्तार शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
4. आजीवन सीखने की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

UNIT-3 (इकाई-3)

ऐतिहासिक विकास का अर्थ एवं संकल्पना (Meaning and concept of historical development)

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 आजीवन सीखने का संप्रत्यय
3.4 आजीवन सीखने का ऐतिहासिक विकास एवं संकल्पना
3.5 आजीवन सीखने का ऐतिहासिक पहलू
3.6 आजीवन सीखने का महत्व
3.7 आजीवन सीखने से लाभ
3.8 सारांश
3.9 शब्दावली
3.10 अभ्यास हेतु प्रश्न
3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना-

पूर्व की इकाइयों में आपने आजीवन सीखने का अर्थ, प्रत्यय विशेषतायें, सतत शिक्षा, बाल मनोविज्ञान एवं प्रौढ़ मनोविज्ञान आदि विन्दुओं के बारे में भलीभांति अध्ययन कर लिया होगा। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मनुष्य जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारम्भ कर देता है और अपने जीवन के अतिम समय से पूर्व तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ सीखता रहता है। अभी तक आप न केवल शिक्षा की अवधारणा को समझ गए होंगे अपितु आजीवन सीखने के प्रत्यय को भी समझ गये होंगे। विश्व के सभी समाजों ने अपने समाज के विकास के लिए जन्म से मृत्यु तक सीखने पर बल दिया है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनैतिक रूप से कुछ भी हो सकता है। सीखने का तात्पर्य केवल विद्यालय जाने से ही नहीं होता अपितु जीवन के विभिन्न चरणों में सफलतापूर्वक जीवन कैसे निर्वाह करना है यह महत्वपूर्ण है जो कि आजीवन सीखने पर बल देता है। मनुष्य की विकास यात्रा पाषाण युग से आरम्भ हो कर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक पहुँच गई है और ये यात्रा लगभग 5000 वर्ष की रही होगी जिसमे से भी आखिरी के 200 वर्ष मानव विकास यात्रा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यद्धपि आजीवन सीखना सभी प्रकार के समाजों का अहम् हिस्सा है फिर भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के समाजों की प्रकृति, व्यक्तियों, समुदायों के सीखने की गुणवत्ता अलग-अलग होती है जो कि समाजों की पृष्ठभूमि और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

आजीवन सीखने का विचार नया नहीं है अपितु यह तो मनुष्य के इस पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ ही आरम्भ हो गया था, हालांकि सीखने की गति प्रारंभ में अत्यधिक धीमी रही होगी जो कालान्तर में बढ़ते ही चली गई। आजीवन सीखना व्यक्तियों, समुदायों के जीवन और कामकाज का अविभाज्य हिस्सा होता है और समय के साथ अपनी- अपनी आवश्यकताओं एवं प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने के लिए और अस्तित्व को बचाए रखने के साथ-साथ प्रकृति के साथ समायोजन बनाये रखने के लिए आजीवन सीखते रहना अति आवश्यक है। किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पर्यावरण एवं तकनीकी सरोकार उसे आजीवन सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।

आजीवन सीखना शब्द बहुत पुराना नहीं है, 1920 के दशक में अनुमानत: पहलीबार 1921 में येक्सली और 1926 में लिंडमेन द्वारा उपयोग किया गया था भारत में आजीवन शिक्षा, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद चर्चा में आया और फिर यूनेस्को ने आजीवन सीखने के प्रत्यय को प्रमुखता से रखा। आजीवन सीखने से सम्बंधित कार्यक्रम हमारे देश भारत में भी चलाये जा रहे हैं जिनमें साक्षरता कार्यक्रम, व्यस्क शिक्षा, सतत शिक्षा, कौशल परक शिक्षा आदि बहुत से कार्यक्रम हैं।

3.2 उद्देश्य-

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप;

- आजीवन सीखने के संप्रत्यय को समझ सकेंगे।
- आजीवन सीखने के ऐतिहासिक पहलुओं को समझ सकेंगे।
- आजीवन सीखने के ऐतिहासिक विकास को समझ सकेंगे।
- आजीवन सीखने के विकास की संकल्पना को समझ पायेंगे।
- आजीवन सीखने के महत्व को समझ सकेंगे।
- आजीवन सीखने से होने वाले लाभों के बारे में जान सकेंगे।

3.3 आजीवन सीखने का संप्रत्यय;

प्रकृति ने सभी प्रकार के जीवों में मनुष्य को एक अलग पहचान दी है, और वह पहचान उसे उसके सीखने की क्षमता के आधार पर मिली है। यदि हम आज से 5000 वर्ष पूर्व मनुष्य एवं किसी जीव की तुलना करते तो शायद इतना अंतर नहीं पाते जितना की आज पाते है, एक तरफ अन्य जीव अनेकों पीढ़ियों के बाद भी अपने उसी आकर, रूप एवं ज्ञान के साथ आज तक वैसा जीवन जी रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर मनुष्य ने अपने सीखने की क्षमता के कारण बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर लिया है अपितु वह उसे संजो कर रखने में भी कामयाब हुआ है, जिसे उसकी भावी पीढियां उपयोग में ला सकती हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपने आप को समय के साथ एक प्रकार से अद्यतन (update) किया है।

और वह आज अपनी आवश्यकताओं को अपने ज्ञान एवं तकनीक के द्वारा पूरा कर रहा है। आजीवन सीखना किसी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में बनाये रखता है साथ ही रोजगार एवं व्यवसाय में निरंतर अवसर प्रदान करता है। बहुत से व्यवसाय अथवा पेशे ऐसे होते हैं जहाँ व्यक्ति को समय- समय पर अपनी कार्य कुशलता का प्रमाण देना पडता है ऐसे पेशों में व्यक्ति को आजीवन सीखते रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति में उच्च पदों पर आशीन मंत्री गण, चिकत्सा सेवा में सर्जरी करने वाले चिकित्सक, हवाई जहाज चलने वाले पायलट, विश्विद्यालयों के प्रोफेसर, सूचना तकनीकी से जुड़े प्रोफेसनल्स, कुशल खिलाड़ी आदि। आजीवन सीखने के लिए आजीवन शिक्षण संस्थान होते हैं जो आजीवन सीखने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं उदाहरण के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्व विद्यालय एक ऐसा विश्व विद्यालय है जहाँ सीखने की कोई उपरी आयु सीमा नहीं है अर्थात आप यहाँ से किसी भी उम्र में न्यूनतम योग्यताओं के साथ आजीवन किसी न किसी पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आजीवन सीखने के प्रमुख रूप से तीन प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा (Formal Education),औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जहाँ कुछ औपचारिकतायें होती हैं जैसे विद्यालय जहाँ प्रतिदिन उपस्थित होना आवश्यक होता है। अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education) अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जहां औपचारिकताएं नहीं होती और हम बिना औपचारिकता के ज्ञान प्राप्त करते हैं। और स्व निर्देशित-शिक्षा (Self-directive education) स्व निर्देशित शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जहाँ व्यक्ति को स्वयं निर्देशों का पालन करके सीखने की गति को बढ़ाते जाना है। आजीवन सीखने के दृष्टिकोण को व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और समझ को बढाने के लिए जीवन भर अपना सकते हैं। आजीवन सीखने का लाभ यह है कि हम अपनी पेशेवर क्षमताओं को विकसित करके अपनी कार्य कुशलता को वर्तमान परिपेक्ष्य में भी बनाये रख सकते हैं। आजीवन सीखने का अर्थ यह है कि हम स्वयं को अपने वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार दो व्यक्तियों को लकड़ी काटने का काम दिया गया और निश्चित समय में एक व्यक्ति ने थोड़ी सी लकड़ियाँ काटी जबकि दूसरे व्यक्ति ने उसी समय में पहले व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक लकड़ियाँ काटी। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आपने इतनी अधिक लकड़ियाँ कैसे काटी तो उसने उत्तर दिया कि मै एक बार लकड़ी काटने के पश्चात् अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा लेता था जिससे कि मेरी कुल्हाड़ी अधिक लकड़ी काट पायी। यहाँ पर इस कहानी का यह अभिप्राय है कि यदि हम अपने जीवन में अपने सीखने रूपी कुल्हाड़ी में समय-समय पर धार लगाते रहें तो हम अपने पेशेवर जिन्दगी में कई गुना अधिक सफल परिणाम दे सकते हैं। आजीवन शिक्षा का मानना है कि व्यक्ति में सीखने, अन्वेषण एवं विकास की स्वाभाविक प्रवृति होती है, और यही स्वाभाविक प्रवृति हमें अपने जीवन में हमारे स्वयं के द्वारा बनाये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रेरणा के द्वारा हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की और केन्द्रित होते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सफल होते हैं। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है यहाँ आजीवन सीखना स्व- निर्देशित (self-directed) विकास का प्रतीक है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही

स्व-शिक्षा सम्पूर्ण विश्व के देशों में एक मुख्य साधन के रूप में दिखाई दी है, दूसरे पक्ष में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यतायें अपने आस-पास की दुनियां अथवा समाज से निपटने के लिए आजीवन सीखते रहती थी।

3.4 आजीवन सीखने का ऐतिहासिक विकास एवं संकल्पना

सीखना वैश्विक स्तर पर प्रत्येक समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। आजीवन सीखने की अवधारणा में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति गर्भ से कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक सीखते रहता है। सीखने की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित पायी जाती है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवों से तो सीखता है साथ ही अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से भी सीखता है। महाभारत नामक महाकाव्य में अभिमन्यु नामक चरित्र ने अपने पिता अर्जुन एवं अन्य पांडवों की अनुपस्थिति में कुरुक्षेत्र के मैदान में आचार्य द्रोणाचार्य द्वारा बनाये गये चक्रव्यूह (जो कि सैनिकों की चक्र वाली आकृति का प्रतिरूप था) को भेदने का फैसला लिया। ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु को यह ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में प्राप्त हुआ था, जब उनके पिता अर्जुन उनकी माता सुभद्रा को चक्र चक्रव्यूह भेदने की बात सुना रहे थे। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में बालक भ्रूणावस्था के दौरान गर्भ में भी सीखने की क्षमता रखता था और यह क्रम मृत्यु तक जारी रहता है। प्राचीन काल से ही प्रसिद्द महाकाव्य रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और बिभिन्न ग्रंथों से आजीवन सीखने की तस्वीर स्पष्ट होती है। हमारे देश में जन्मे बहुत से लेखकों एवं दार्शिनिकों जैसे कि महात्मा गाँधी, रविन्द्र नाथ टैगोरे, महर्षि अरविन्द, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ-साथ अन्य नेताओं और समाज सुधारकों ने आजीवन सीखने को बढ़ावा दिया।

3.5 आजीवन सीखने का ऐतिहासिक पहलू :

प्राचीन काल में शिक्षा प्राकृतिक रूप से सीखने का हिस्सा थी, वैसा ही जैसे आजकल वन्य जीव जंतु प्रकृति से सीखते हैं। मनुष्य अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए एवं अपने समुदाय को बचाने के लिए सीखता ही चला गया। प्रारंभ में ज्ञान और कौशल मौखिक माध्यमों से प्रसारित किये जाते थे। कालान्तर में ज्ञान को लिखित रूप में रखने के लिए भाषा की लिखित लिपियाँ विकसित की गई और ज्ञान का सरंक्षण एवं प्रसारण किया गया, ज्ञान के सरक्षण के क्रम में ज्ञान को प्रसारित करने के लिए संस्थानों का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि आजीवन शिक्षा का विकास आजीवन शिक्षार्थी शब्द से हुआ है जिसे लिस्ली वाटकिंस द्वारा बनाया गया था। क्लिंट टेलर तथा टेम्पल द्वारा एक जिले के मिशन वक्तब्य में प्रयोग किया गया था। आजीवन सीखने का मतलब है कि सीखना केवल स्कूल अथवा कालेज तक ही सीमित नहीं है अपितु सीखना जीवन भर चलता रहता है। कुछ शिक्षा विदों का मानना है कि 'आजीवन शिक्षा' शब्द का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। पहला आजीवन शिक्षा संसथान 1962 में द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च जो अब द न्यू स्कूल के नाम से जाना जाता है; में सेवानिवृति के समय से सीखने से सम्बंधित था।

यूनेस्को द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर लाइफलॉन्ग लर्निंग (UILL) की स्थापना की गई जिसे बाद में यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर एडूकेशन (UIE) के नाम से जाना जाने लगा जिसका तत्कालीन उद्देश्य अंतरर्राष्ट्रीय समझ के माध्यम से लोगों एवं राष्ट्रों के बीच संबंधों को वेहतर बनाना। धीरे धीरे यह संस्था अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजीवन शिक्षा के सन्दर्भ में कार्य करने लगी और 1970 में इस संस्था को आजीवन शिक्षा का कार्य पूर्ण रूप से सौंपा गया। 2006 में यह संस्था के रूप में जर्मन नागरिक कानून के तहत एक पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को संस्थान बन गया। इस संस्था का नाम पुन: यूनेस्को इंस्टिट्यूट फॉर लाइफलॉन्ग लर्निंग (UIL)कर दिया गया जो आजीवन सीखने के नजरिये से व्यस्क शिक्षा के साथ-साथ स्कूल से बहार और अनौपचारिक शिक्षा पर लम्बे समय से कार्य कर रहा है। आज के वैश्वीकरण एवं तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में हम सभी को ज्ञान की आवश्यकता है जिससे हम आज के इस दोड़ में स्वयं को प्रतिभागी बना सकें। हमें अपने कार्य और निजी जीवन दोनों के लिए ही आधुनिक जीवन का सामना करना पड़ रहा है। आज विश्व तकनीकी रूप से बहुत प्रगति कर चुका है ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हमें आजीवन सीखने की आवश्यकता होगी इसका प्रमुख कारण सूचना तकनीकी में दिन प्रतिदिन बदलाव होना है। हमें प्रति स्पर्धा में बने रहने के लिए स्वयं को नए प्रशिक्षण एवं कौशलों को अपनाने की आवश्यकता है। तभी हम आजीवन अपने पेशे में आगे बढ़ सकते हैं। सीखने के लिए समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है न कि उम्र और स्थान। आजीवन शिक्षा अथवा आजीवन सीखना का एक विषय के रूप में उद्गम अभी हाल के वर्षों में ही हुआ है जो कि अधिकतम 50 साल पुराना हो सकता है । इस सन्दर्भ में एडगर फॉरे की रिपोर्टे 1972 (जिसका शीर्षक है: लर्निंग टू बी-द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन टुडे एंड टुमारो) को यूनेस्को के प्रकाशन जिसको आजीवन सीखना (lifelong learning LLL) के इरादे की आधिकारिक घोषणा के रूप में लिया जा सकता है। फॉरे ने आपनी रिपोर्ट में दो नए शब्दों 'आजीवन शिक्षा और सीखने वाले समाज के आधुनिक सांचे को आजीवन सीखने की संस्थागत प्रासंगिकता को केंद्र में रखा। जिसका मुख्य कारण वर्तमान जीवन शैली है जहाँ व्यक्ति को निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वैश्वीकृत दुनियां में ज्ञान और सूचना का अधिग्रहण और उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। आजीवन शिक्षा के क्रम में यूनेस्को की डेलर्स रिपोर्ट "लर्निंग: द ट्रेजर विदइन"(1996) के प्रकाशन के साथ ही यह रिपोर्ट अन्तराष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए फोकस का आधार बन गयी।आजीवन सीखने को सभी के लिए शिक्षा के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया डेलर्स रिपोर्ट ने दो प्रमुख प्रतिमानों के आधार पर शिक्षा की एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। इस रिपोर्ट में सीखना और सीखने के चार स्तम्भ माने गये हैं, इस रिपोर्ट का तर्क था कि औपचारिक शिक्षा मानव विकास को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। डेलर्स रिपोर्ट ने सीखने के चार स्तम्भ बताये हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. जानना सीखना (Learning to know)
2. करना सीखना (Learning to do)

3. बनना सीखना (Learning to be)
4. साथ-साथ रहना सीखना (Learning to live together)

1997 में व्यस्क शिक्षा पर पांचवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन (Fifth international Conference on Adult Education (CONFINTEA V), Hamburg, Germany,1997) हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित किया गया जिसमे आजीवन सीखने को स्पष्ट किया गया और यह बताया गया कि आजीवन सीखने से तात्पर्य उस सीखने से है जो जीवन के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान होता है, जबकि व्यस्क शिक्षा केवल वयस्कता को संदर्भित करती है। सीखने के अधिकार पर हैम्बर्ग "व्यस्क शिक्षा में औपचारिक और सतत शिक्षा, गैर- औपचारिक शिक्षा दोनों शामिल हैं और बहु सांस्कृतिक शिक्षा में उपलब्ध अनौपचारिक और आकस्मिक शिक्षा का स्पेक्ट्रम समाज, जहाँ सिद्दांत- और व्यवहार- आधारित दृष्टिकोण को मान्यता दी जाती है। इस सम्मलेन में माना गया कि जीवन भर शिक्षा के अधिकार को मान्यता मिलना जरुरी है और इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने के उपायों के साथ ही व्यापक आधार पर आजीवन सीखने की दृष्टि विकसित करने पर जोर दिया गया।

OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1996) के द्वारा आजीवन सीखने की अवधारणा की चार मुख्य विशेषताओं की पहचान की गई:

1. **व्यस्थित दृष्टिकोण**- यह आजीवन सीखने की सबसे विशिष्ट विशेषता है, सीखना-शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों में विशिष्ट क्षेत्र में आती है। आजीवन सीखने की रूपरेखा सीखने की मांग और आपूर्ति पर विचार करती है जिसमे औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा समीलित है क्योंकि आजीवन शिक्षा पूरे जीवन भर चलने वाली शिक्षा है।
2. **शिक्षार्थी केन्द्रीयता** – आजीवन सीखने के प्रत्यय में शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर नीति नियंताओं को पाठ्क्रम अथवा कौशलों का निर्माण करने पर जोर देना, जिससे कि विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।
3. **सीखने की प्रेरणा**– सीखने की प्रेरणा सीखने के लिए आवश्यक आधार मानी गयी है जो कि जीवन भर जारी रहता है, सीखने की प्रेरणा होने पर विद्यार्थी स्व-गति और स्व-निर्देशित शिक्षा के माध्यम से सीख सकता है।
4. **शिक्षा नीति के बहुउद्देश्य** –बहु उद्देश्य का अर्थ है कि जीवन के विभिन्न चरणों के उद्देश्यों को समझकर नीतियों का निर्माण करना, शिक्षा के लक्ष्य बहुत से होते हैं जैसे व्यक्तिगत विकास, ज्ञान का विकास, आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक लक्ष्य, जीवन के विभिन्न चरणों में इन लक्ष्यों में बदलाव हो सकते हैं।

आजीवन सीखने के सन्दर्भ में भारत में नई शिक्षा नीति 1986 में मुक्त विश्विद्यालयों का प्राविधान किया गया साथ ही इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना की गई जो कि आजीवन

शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा सन 2005 में उत्तराखंड मुक्त विश्व विद्यालय की स्थापना की गई।

3.6 आजीवन सीखने का महत्व

पृथ्वी में निवास करने वाले समस्त जीवों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन(update) कर सकता है और इसी कारण आजीवन शिक्षा का प्रत्यय सामने आया। मनुष्य के अतिरिक्त इस संसार में शायद ही कोई जीव ऐसा हो जो आजीवन नए ज्ञान को आत्मसात कर सके। आजीवन सीखते रहने से मनुष्य स्वयं को समय के साथ समायोजित कर सकता है और साथ ही बदली हुई परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर सकता है। आजीवन सीखते रहने से व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने अनुभवों से एवं सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करके उचित मार्गदर्शन दे सकता है। पेशेवर व्यक्तियों के लिए आजीवन सीखते रहना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आजीवन सीखते रहने से पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे में बने रहने के साथ-साथ अन्य पेशेवरों से मुकाबला भी कर सकता है साथ ही अपनी पेशेवर क्षमताओं को विकसित करके अपने करियर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है, और एक संतुलित जीवन के सञ्चालन करने में सफल हो सकता है। आज के डिजिटल युग में आजीवन सीखना बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि दिन-प्रतिदिन हम सभी को नई-नई तकनीकी का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हमें अद्यतन (update) रहना आवश्यक है, और यदि हम सीखना जारी नहीं रखेंगे तो इस तकनीकी युग में पीछे रह जायेंगे। आज हमारे चारों ओर तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, स्कूल,बैंक, अस्पताल, मॉल, आदि सभी जगहों पर तकनीकी का प्रयोग हो रहा है इसके लिए हमें तकनीकी के वर्तमान स्वरूप से परिचित होना आवश्यक है। आजीवन सीखते रहने से हम अपने कौशल को निखार सकते हैं जिससे कि आने वाले वर्षों में हम अपने कार्य को और कुशलता से कर सकें। आजीवन सीखने को प्राथमिकता देने से व्यवसाय में सुरक्षा बनी रहती है, नए रास्ते खुलते रहते हैं और जीवन आनंदमय बना रहता है। आजीवन सीखने का तर्क यह मनुष्य में शोध, सीखने, और विकास की स्वाभाविक प्रवृति होती है और यह हमें उन विचारों और लक्ष्यों में ध्यान देकर अपने जीवन की गुणवत्ता और आत्म मूल्य की भावना को सुधरने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें प्रेरित करते हैं।

3.7 आजीवन सीखने से लाभ

आजीवन सीखते रहने से हमें बहुत से लाभ होते हैं -

व्यवसाय में सुरक्षा–नई तकनीक एवं विकास होने से बहुत से कर्मचारी व्यवसाय में बने रहने के लिए दबाब महसूस करते हैं जिससे की प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है नए कौशलों के साथ नए कर्मचारियों का चयन किया जाता है। आजीवन सीखते रहने से हम नई-नई तकनीकी एवं कौशलों को सीख जाते हैं जिससे

हम अपने व्यसाय में वर्तमान और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आजीवन सीखने से हमें अपने जुनून को फिर से से जगाने में मदद मिल सकती है।

व्यसाय हेतु विकल्प– आजीवन सीखने से केवल हम अपने वर्तमान व्यसाय में ही बने नहीं रहते अहि अपितु हम अपनी नई भूमिकाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ,हमारी सेना के जवान जब सेना से सेवानिवृत होते हैं तो उन्हें सेवानिवृति से पूर्व उनकी पसंद के अनुसार छ: माह अथवा एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वे सेवानिवृत होने के पश्चात अपने समय का सदुपयोग कर अपने परिवार के लिए धनोपार्जन कर सकें। उपर्युक्त उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि आजीवन सीखने से अपने वर्तमान व्यसाय में बने रहने के साथ साथ व्यवसाय बदलने हेतु विकल्प भी बना रहता है।

बेहतर मानसिक स्वास्थ्य- आजीवन सीखने से मस्तिष्क के स्वास्स्थ्य और कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और हम समय के साथ बेहतर संज्ञानात्मक कार्य कर सकते हैं। आजीवन सीखने से हम अपने मानसिक विकास में कार्य करते हैं जिससे हमारी अधिक समय तक ध्यान देने की क्षमता विकसित होती है। स्मृति ह्रास कम हो जाता है एवं तर्क कौशल बेहतर हो जाता है।

आत्मविश्वास में वृद्दि– आजीवन सीखते रहने से हम अपनी कार्य कुशलता बढ़ा सकते हैं नए कौशलों का विकास करके अपनी क्षमताओं में वृद्दि कर सकते हैं। समय के साथ अद्यतन रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है जिससे हमें कार्यस्थल में कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है। आत्मविश्वास में वृद्दि होने से आत्मनुशासन स्वत: ही आ जाता है एवं अनुशासन होने से रचनात्मकता आ जाती है और व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है।

सामजिक दायरा- आजीवन सीखते रहने के दौरान हम नित नए नए लोगों से मिलते रहते हैं उनसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं जिससे हमारे ज्ञान में वृद्दि तो होती ही है साथ ही हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़ जाता है। साधारणतया व्यक्ति की उम्र में वृद्दि होने के साथ साथ उसका सामाजिक दायरा कम हो जाता है परन्तु आजीवन सीखते रहने के कारण व्यक्ति का सामाजिक दायरा बढ़ जाता है।

व्यक्तिगत हितों और लक्ष्यों की पहचान- आजीवन सीखते रहने से व्यक्ति को अपनी क्षमता का पता लगते रहता है और वह अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित करता है जिसमे व्यक्ति के स्वयं का हित छुपा होता है ।

निम्नलिखित तरीकों से हम अपने जीवन में आजीवन सीखने को अपना सकते हैं –

- अपनी रुचियों एवं आवश्यकताओं को पहचानकर हम आजीवन सीखने की ओर गतिमान हो सकते हैं। क्योंकि आजीवन सीखना हमारे स्वयं के लिए है इसलिए हमारी रूचि एवं हमारे जीवन के लक्ष्य यदि हमें पता हैं तो हम आजीवन सीखने की योजना बना सकते हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम अपने भविष्य को किस रूप में देखते हैं? भविष्य के प्रति हमारी क्या कल्पना है? इसी के अनुरूप हमें आजीवन सीखने की योजना पर काम करना होगा।

- हम क्या सीखना चाहते हैं? हमारी क्षमताएं किस प्रकार की हैं, किन-किन कार्यों को करने में हम प्राथमिकता देते हैं? इन सबकी एक सूचि बनाकर अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करने से हम आजीवन सीख सकते हैं।
- अपने और अपनी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपने आस-पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में विचार करें उसी के अनुसार अपनी योजना बनाकर कार्य करें जिससे हम किसी भी प्रकार के तनाव से बाख सकते हैं।
- हमें अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए जो कि सीखने से सम्बंधित हो और अपने व्यस्त जीवन में एक नए सीखने के लक्ष्य को जरूर स्थान देना चाहिए। इसके लिए हमें समय और स्थान का सही चुनाव करना चाहिए।
- हमें अपने लक्ष्यों एवं रुचियों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रतिबद्धता ही हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है।

3.8 सारांश

आजीवन सीखना स्व निर्देशित शिक्षा का एक रूप है जो व्यक्तिगत विकास पर केन्द्रित है जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। यद्धपि आजीवन सीखने का कोई मानकीकृत तरीका अथवा परिभाषा नहीं है परन्तु उसे आम तौर पर सीखने के सन्दर्भ में ही लिया जाता है, जो कि औपचारिक शैक्षणिक संस्थान, जैसे कि स्कूल,कालेज, विश्विद्यालय या अन्य औपचरिक संस्थाओं के बाहर होता है। आजीवन सीखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लगातार नए कौशल और ज्ञान के साथ स्वयं को चुनौती देने से हम स्वयं को व्यस्त रखते हैं साथ ही आज की दिन-प्रतिदिन बदलती दुनियां में स्वयं को प्रासंगिक बनाये रखता है। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए चाहे हम किसी भी आयु वर्ग के क्यों न हों। आजीवन सीखने का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के अंत के बाद अपनी स्वयं की शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं का विकास करना है। पिछले 15-20 वर्षों में दौरान आजीवन शिक्षा पर शोध में तेजी आई है दुनियां भर के शिक्षकों एवं नीतिनिर्धारकों ने आजीवन सीखने पर जोर दिया है। एक सर्वांगीर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए आजीवन सीखना और जीवन की अन्य गतिविधियाँ साथ साथ चलते रहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उद्देश्यपूर्ण स्वनिर्देशित शिक्षा की आवश्यकता को उसके भावी जीवन के सभी चरणों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक काल में जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया था जो आजीवन सीखने से सम्बंधित है। जिनमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा सन्यास आश्रम एवं चतुर्थ वानप्रस्थ आश्रम हैं। इससे यह स्पष्ट होता था कि मनुष्य को किस आयु

में कौन सा ज्ञान अथवा कौशल सीखना है? मनुष्य इसी के अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उनको प्राप्त करने योजना बनता था।

3.9 शब्दावली(Glossary)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)- कृतिम बुद्दिमत्ता ।

बाल मनोविज्ञान (Pedagogy)- बाल शिक्षा प्रणाली /बच्चों की मानसिक स्थिति का ज्ञान ।

प्रौढ़ मनोविज्ञान (Andragogy) – प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली /प्रौढ़ों की मानसिक स्थिति का ज्ञान।

स्व निर्देशित-शिक्षा (Self-directive education)- स्वयं को निर्देशन देकर ज्ञान प्राप्त करना ।

औपचारिक शिक्षा (Formal Education)- स्कूल अथवा कालेज में जाकर शिक्षा ग्रहण करना/शिक्षा की औपचारिकताएं पूर्ण करना ।

अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education)- शिक्षा प्राप्त करने के लिए औपचारिकताओं का न होना ।

अद्यतन(Update)- समय के अनुसार स्वयं के ज्ञान को बढ़ाते रहना ।

3.10 अभ्यास हेतु प्रश्न

1. आजीवन सीखने को परिभाषित कीजिये। आजीवन सीखने के ऐतिहासिक पहलुओं को लिखिए।

2. आजीवन सीखने के महत्व को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए।

3.आजीवन सीखने के ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को विस्तार पूर्वक समझाइए।

4. आजीवन सीखते रहने के कौन-कौन से लाभ हैं स्पष्ट कीजिए।

3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning

https://www.google.com/search?q

https://www.uil.unesco.org/en/virtual-exhibition-power-lifelong-learning-history

https://ebooks.inflibnet.ac.in/aep01/chapter/evolution-of-lifelong-learning/

https://www.hmoob.in/wiki/Lifelong_learning

https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/90115/3/Block-2.pdf

https://www.valmis.com/hub/lifelong-learning

MA-EDUCATION-04Sem-Hariharan-LIFE LONG LEARNING NOTES.pdf

UNIT- 4 (इकाई - 4)

भारत में आजीवन सीखने का इतिहास : प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल (Historical Development of Lifelong learning in India : Ancient, Medieval and Modern period)

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 प्राचीन भारत में आजीवन सीखने का इतिहास
4.3.1 प्रागैतिहासिक एवं सिंधुघाटी सभ्यता
4.3.2 वैदिक कालीन एवं बौद्द कालीन सभ्यता
4.4 मध्यकालीन भारत में आजीवन सीखने का इतिहास
4.5 आधुनिक भारत में आजीवन सीखने का इतिहास
4.5.1 ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में आजीवन सीखना
4.5.2 ब्रिटिश शासन में आजीवन सीखना
4.5.3 स्वतंत्र भारत में आजीवन सीखना
4.5.4 आजीवन सीखने का वर्तमान परिदृश्य
4.6 सारांश
4.7 अभ्यास हेतु प्रश्न
4.8 सन्दर्भ सूची

4.1 प्रस्तावना:

वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार के प्राचीन समाजों ने सीखने पर बल दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को सीखने के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध रहते थे। भारत में आजीवन सीखने की अवधारणा कोई नई नहीं है, वैदिक समाज हो या फिर दुनियां की प्राचीनतम सिन्धु घाटी सभ्यता प्रत्येक स्थान पर आजीवन सीखने के उदाहरण मिलते हैं। आजीवन सीखने की अवधारणा तो नई है परन्तु इस शब्द के प्रचलन में आने से पूर्व ही प्रत्येक समाज अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहता था, चाहे वह भरण-पोषण से सम्बंधित हो या स्वयं की सुरक्षा से हो या फिर ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र हो, सीखना निरंतर ही चलता रहा। रामायण काल का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि महाराज रावण ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही प्राप्त नहीं किया बल्कि वे आजीवन कुछ न कुछ कौशलों को सीखते रहे। महाभारत काल का अध्ययन करें तो पता चलता है कि अभिमन्यु ने

चक्रव्यू तोड़ने का ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था जबकि अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से महाभारत के युद्ध के दौरान भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया। जिससे हमें यह पता चलता है कि गर्भ से कब्र तक की आजीवन यात्रा में मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है।

प्रस्तुत ईकाई में आप यह जान पायेंगे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किस प्रकार किया जाता था? आजीवन शिक्षा कैसे अस्तित्व में थी और शिक्षा और समाज एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते थे? यह भी जानेगे कि मध्ययुगीन और औपनिवेशिक भारत में शिक्षा में किस प्रकार बदलाव आया एवं स्वतंत्रता के पश्चात आजीवन सीखने के कौन-कौन से उद्देश्य थे? हमें अलग-अलग कालखंड में आजीवन सीखने की अलग-अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं उदहारण के लिए भगवत गीता, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत,जैसे महाकाव्य एवं विभिन्न साहित्यकारों, दार्शनिकों एवं विदेशी यात्रियों ने तत्कालीन समाज की सीखने की तस्वीरें प्रस्तुत की हैं।

4.2 उद्देश्य:

- आजीवन सीखने के प्रत्यय को जान पायेंगे।
- आजीवन सीखने के इतिहास को जान पायेंगे ।
- प्राचीन भारत में आजीवन सीखने की गतिविधियों जान पायेंगे ।
- वैदिक एवं बौद्ध काल में आजीवन शिक्षा के स्वरूप को समझ सकेंगे
- मध्यकालीन भारत में आजीवन सीखने की रूपरेखा को समझ सकेंगे।
- ब्रिटिश शासित भारत में आजीवन सीखने तौर-तरीकों को समझ सकेंगे ।
- स्वतंत्र भारत में आजीवन शिक्षा को समझ सकेंगे।
- आजीवन सीखने के वर्तमान परिददृश्यों को समझ सकेंगे।

4.3 प्राचीन भारत में आजीवन सीखने का इतिहास:

भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है, जीवन को सार्थक एवं उपयोगी बनाने के लिए भारत में प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी । शिक्षा को शिक्षार्थी अपने सम्पूर्ण जीवन में किस प्रकार सकारात्मक रूप से प्रयोग कर सकें इस बात पर जोर दिया जाता था। विद्यार्थियों को आत्म रक्षा के लिए शास्त्र विद्या के साथ ही शस्त्र विद्या का ज्ञान भी दिया जाता था। आजीवन शिक्षा को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में आरम्भ हुए अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, एक अनुमान के मुताबिक आजीवन शिक्षा अथवा आजीवन सीखना एक अनुशासन के रूप में 50 वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ है। एडगर फॉरे (1972) ने अपनी रिपोर्ट जिसका शीर्षक 'लर्निंग टू बी- द वर्ल्ड ऑफ़ एजुकेशन टुडे एंड टूमारो' है के यूनेस्को प्रकाशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग (LLL) के इरादे की

आधिकारिक घोषणा के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रकाशन में प्रकाशित रिपोर्ट ने दो नए शब्दों आजीवन शिक्षा और सीखने वाले समाज को मिश्रित रूप से आजीवन सीखने की संस्थागत प्रासंगिकता को केंद्र में रखा जिसका कारण समकालीन वैश्विक समाज में ज्ञान अर्थव्यवस्था और सूचना समाज के विकास के लिए ज्ञान और सूचना का अधिग्रहण और उपयोग का आवश्यक होना था। इसके पश्चात 1996 में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित डेलर्स रिपोर्ट जिसमे आजीवन शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया और यही अन्तराष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए फोकस का आधार बन गया। भारत में आजीवन शिक्षा का प्रत्यय बहुत पुराना है वैदिक संस्कृति से लेकर आज तक के आधुनिक भारत में आजीवन सीखने का विकास उतरोत्तर बढ़ते ही गया। सिन्धु घाटी सभ्यता जिसे संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है, में जीवन के विभिन्न आयाम दिखाई देते हैं। सिन्धु घाटी सभ्यता के अतिरिक्त हडप्पा सभ्यता और अन्य सभ्यताओं में भी भारत में मानव जीवन के विविध आयामों एवं रंगों को देखा जा सकता है।

4.3.1 प्रागैतिहासिक एवं सिंधुघाटी सभ्यता (Pre-historic and Indus valley Civilization)

इसके अंतर्गत पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग का अध्ययन किया जाता है। पाषाण अर्थात पत्थर का युग, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा अपने जीवन निर्वाह एवं आवश्यकताओं को पूरा करने लिए पत्थरों के औजार बनाये थे और वे इन औजारों का प्रयोग शिकार करने के लिए किया करते थे जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य ने इस युग में जीवन कौशलों को सीखना आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार मनुष्य ने आजीवन प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों से शिकार करने के विभिन्न तरीके सीखना आरम्भ कर दिया था।

मध्यपाषाण युग में मनुष्य ने शिकार करना, मछली पकड़ना एवं भोजन एकत्रित करने के साथ-साथ जानवरों को पालना भी आरम्भ कर दिया था। इस युग में लोग छोटे ब्लेड वाले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगे थे साथ ही वे चित्रकला भी करने लगे थे जिसमे पक्षियों, मनुष्यों एवं जानवरों को दर्शाया गया था। इस प्रकार के चित्र मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश के विशेष कर भीमबेटका, कृष्णा नदी के तटवर्ती भाग,बागोर एवं आजमगढ़ में पाए गए हैं। ये सब उस सभ्यता के लिए और कुछ नहीं अपितु आजीवन सीखने का हिस्सा हैं।

नवपाषाण युग में मनुष्य शिकार, औजार एवं चित्रकला के अपने ज्ञान को आगे बढाते हुए कृषि का कार्य भी करने लगा था। साथ ही वह पालिश किये गए पत्थरों एवं हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करना भी सीख गया था जिनमें कुल्हाड़ी एवं छैनी जैसे औजार प्रमुख हैं। इस युग में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं,जौ,चावल,रागी, कुल्थी दाल आदि प्रमुख थे। इस युग में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी आरम्भ हो गया था, जिनके जले हुए अवशेष खुदाई के दौरान मिले हैं। इस युग में मनुष्य ने साथ में रहना

सीखना, जानना सीखना, करना सीखना एवं होना सीखना जो कि सीखने के चार स्तंभ हैं, उनमें दिखायी देने लगे थे।

सिंधु घाटी सभ्यता: (Indus Valley Civilization)

सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र पूर्वोत्तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान का अधिकांश भाग एवं भारत का पश्चिमी एवं उत्तर पश्चमी भाग तक फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने शहरी जीवन शैली एवं पक्की ईटों के घर, जल निकासी प्रणालियाँ, बड़े गैर आवासीय भवन एवं हस्तकला की नई तकनीकों के साथ-साथ धातु विज्ञान जिसमें ताम्बा, कांसा सीसा और टिन प्रमुख हैं, के लिए जानी जाती है। सिन्धुघाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण अत्यधिक सुनियोजित तरीके से किया गया था ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास कोई केन्द्रीय व्यवस्था थी जिसकी सहायता से उन्होंने योजनाबद्धतरीके से अपने भवनों का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा में असाधारण कलाकृतियां दिखाई दी हैं, जिनमें मिट्टी के वर्तन, मुहरें, बाट एवं ईटें आदि हैं । सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने मापन के सटीक तरीके खोज निकाले एवं लंबाई, द्रव्यमान और समय को सटीक मापने में सफल हुए वे ऐसा करने वाले पहले लोगों में से थे। इसके अतिरिक्त बाट और माप कि एक समान प्रणाली विकसित करने में सिंधु घाटी के लोग सफल हुए। इस काल के दौरान मिट्टी एवं कांसे के बर्तन, सोने के आभूषण, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां एवं मुहरें आदि का विकास हुआ। जो कि आजीवन सीखने के प्रयासों से ही संभव हो पाया होगा।

4.3.2 वैदिक कालीन एवं बौद्द कालीन सभ्यता:

वैदिक कालीन सभ्यता: 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक युग माना जाता है। इस युग के धार्मिक ग्रंथों में तत्कालीन मानव जीवन को दर्शाया गया है। वैदिक काल को वेदों का काल कहा जाता है, वेद जिन्हें धार्मिक ग्रन्थ माना जाता है, इनमें इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण शामिल है जो इस अवधि को समझने के लिए वेद ऐतिहासिक और प्राथमिक स्रोत हैं। आजीवन सीखने के अंतर्गत वैदिक काल में लोगों ने जंगलों को साफ़ करने व्यवस्थित कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए लोहे के औजार अपनाए। दूध एवं दूध से बने उत्पाद, फल, शब्जी एवं आनांज आदि का सेवन किया करते थे। इसके अतिरिक्त सूती,ऊनी एवं जानवरों की खाल के कपड़े पहने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में शहरों और राज्यों का उदय हुआ जिसमें अर्थ व्यवस्था विशेषतया पशुओं एवं कृषि के संयोजन से चलाई जाती थी। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में खेतों को समतल करने, बीज प्रसंस्करण और बड़े पात्र में आनांज के भण्डारण का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का मानना है कि वेद सभी काल से परे हैं और उनका कोई आरम्भ या अंत नहीं है। वेद उपनिषद भगवद गीता, 18 पुराण, रामायण और महाभारत हिन्दू धर्म में महत्व पूर्ण ग्रन्थ माने जाते हैं।

प्राचीन शिक्षा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नहीं थी अपितु जीवन की वास्तविकताओं से सम्बंधित थी जो आजीवन सीखने को बढ़ावा देती थी। प्राचीन काल में शिक्षा में औपचारिक शिक्षा का दायरा तो सीमित था परन्तु अनऔपचारिक शिक्षा को भी महत्त्व दिया गया था जो कि आजीवन सीखते रहने की प्रेरणा देता था। आजीवन सीखने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को गुरुकुलों में पशुपालन,डेयरी फार्मिंगऔर कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे कि विद्यार्थी जीवन भर अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एवं आत्म रक्षा के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता था। उपरोक्त शिक्षा से पता चलता है कि प्राचीन काल में शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था जो आजीवन शिक्षा की बुनियाद के रूप में कार्य करता था।
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत में औपचारिक शिक्षा गुरु/आचार्य के सरंक्षण में आरम्भ हुई जो कि गुरुकुलों में दी जाती थी इन गुरुकुलों में शिक्षक धर्म, शास्त्र,दर्शन, साहित्य युद्धकला शासन-प्रशासन, चिकित्सा, ज्योतिष और इतिहास का ज्ञान देते हैं। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थी आजीवन इन विषयों पर सीखते रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे।

बौद्द कालीन सभ्यता:

बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव ईसा से पांच सौ वर्ष पूर्व माना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा कर्मकांड एवं संस्कृत भाषा पर आधारित थी जिससे कि तत्कालीन समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया, प्रासंगिक होने के वावजूद भी वैदिक कालीन शिक्षा को बौद्ध शिक्षा ने एक विकल्प प्रदान किया। वौद्द शिक्षा में नैतिक चरित्र, पंचशील व्रत एवं अष्टांग मार्ग के द्वारा व्यक्तित्व का विकास तथा जीविका की तैयारी आज भी पूर्णतया प्रासंगिक है जिसे हम आजीवन शिक्षा से जोड़ सकते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में दस शिखा पद्दति प्रचलित थी जिसके अनुसार शिक्षा के दस पद आज भी पूर्णतया उपयोगी हैं। दस आदेशों के पालन करने से आज के समय साम्प्रदायिकता, भ्रष्टचार, नशाखोरी झूठ आदि हमारे समाज से दूर हो सकते हैं । बौद्ध काल में शिक्षक एवं शिक्षार्थी सम्बन्ध भी अपने आप में एक उदाहरण हैं। बौद्धकल में तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र विकसित थे जहाँ व्याकरण, खगोल, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र , कानून, चिकित्सा, दर्शन, तर्क, गणित, दर्शनशास्त्र सहित अन्य विषय भी सिखाये जाते थे। इस अवधि में तक्षशिला और नालंदा जैसे उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध संस्थान संस्थापित हुए जहाँ भारत के साथ- साथ चीन एवं मध्य एशिया के के छात्रों ने ज्ञानार्जन में भाग लिया।

बौद्ध कालीन शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी जो प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक थी जिसमें आठ वर्ष पर्वज्या एवं बारह वर्ष उप सम्पदा का होता था शिक्षा की समयावधि कुल बीस वर्ष की थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा जैसे मूर्तिकला, भवन निर्माण, कताई बुनाई एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। जिससे की विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद के जीवन का निर्वाह कुशलता पूर्ण तरीके से कर सके। इस काल में बौद्ध विहारों में भिक्षुओं को कताई, बुनाई और सिलाई सिखाई जाती

थी ताकि वे अपनी कपड़ों की आवश्यकता पड़ने पर सिलाई कर सकें इसी प्रकार वास्तुकला एवं चिकत्सा आदि की शिक्षा व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से दी जाती थी जो कि तत्कालीन भारतीय समाज में आजीवन सीखने के विभिन्न आयाम थे। बौद्ध काल के दौरान बहुत से लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रसिद्दि पायी उनमें प्रमुख चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजली और वात्सायन हैं जिन्होंने गणित,खगोल विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, शल्य विज्ञान, यांत्रिकी, ललित कला के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपना योगदान दिया । इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और वास्तुकला के साथ साथ जहाज निर्माण और जल परिवहन के विकास पर भी इस समयावधि में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया ।

4.4 मध्यकालीन भारत में आजीवन सीखने का इतिहास

मध्यकालीन भारत की इतिहासकारों ने समयावधि 1200 ई. से 1750ई. तक मानी है, भारत में इस्लाम के आगमन के साथ शिक्षा के पारम्परिक तरीकों में बदलाव आ गया शिक्षा में इस्लामी प्रभाव दिखाई देने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के गद्दी सँभालते ही शिक्षा में धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाली संस्थाओं की शुरुवात हो गई। इस्लामी विद्यालयों की स्थापना होने लगी, मदरसे और मकतबों की स्थापना की जाने लगी। इस्लामी शिक्षा की शुरुवात निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे विद्वान् इस्लामी शिक्षक बने। मदरसों एवं मकतबों में व्याकरण, दर्शन, कानून एवं गणित की शिक्षा दी जाने लगी। इस काल में निजी शिक्षण (टयूसन) का भी उदय हुआ, शिक्षक निजी तौर पर शिक्षण करने लगे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी, शिक्षा से मतलब केवल मकतब और मदरसों में दिए जाने वाले ज्ञान से लिया जाता था जिसे शिक्षा के संकुचित अर्थ में देखा जा सकता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मध्य काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। इसके साथ ही ज्ञान का विकास, कला कौशल के प्रशिक्षण और सांस्कृतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया जाता था । कला कौशल का प्रशिक्षण आजीवन शिक्षा का एक उदहारण है । मुस्लिम बादशाह अपने साथ अनेक कला कौशलों को ले कर आये थे, मुस्लिम बादशाह कला एवं शिल्प प्रेमी थे इस कारण इन्होंने कला एवं शिल्प पर विशेष ध्यान दिया जिसके परिणामस्वरूप कला एवं कौशलों में इस काल में बहुत प्रगति हुई जिससे आजीवन शिक्षा को बल मिला और कौशल विकास में हर उम्र के लोगों ने प्रतिभाग करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्य भोगी होने के कारण मुस्लिम शासकों ने उपयोगी सामानों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाने लगा जिससे कि उपयोगी सामानों का निर्माण शुरू किया जाने लगा । मध्य काल में अनुकरण एवं अभ्यास के द्वारा सिखाया जाता था साथ ही भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि, तर्क विधि प्रदर्शन एवं प्रयोग द्वारा कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है । अरबी एवं फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा कुशल कारीगरों के घरों और कारखानों में दी जाती थी । आगरे का ताजमहल, दिल्ली की कुतुबमीनार,

लाल किला आदि अनेकों भवन इस काल के भवन निर्माण के उदाहरण हैं, जिनको बनाने में वर्षों का समय भी लगा। आयुर्वेद तो वैदिक समय एवं बौद्ध काल से प्रचलित था जबकि मध्य काल में यूनानी चिकित्सा पद्दति भारत में आई। शास्त्र के साथ-साथ इस काल में शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी क्योंकि इस काल में बहुत से युद्द लड़े गये थे। इस काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र दिल्ली,फिरोजाबाद, बदायूं आगरा, जौनपुर बीदर एवं मालवा आदि थे। मध्य काल में कुछ हस्तशिल्प कलात्मक सुन्दरता के चरम तक पहुँच गये जिनमे आभूषण, कढ़ाई, बुनाई, हाथीदांत का काम, मलमलका काम, जहाज निर्माण गोला बारूद का निर्माण आदि था। ये सब आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थे इन कौशलों को वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बड़ाने का कार्य इस काल में किया गया था जो कि आजीवन सीखने का एक उदहारण है। इन सबके बावजूद मध्यकाल में आजीवन सीखने का कोई प्रबंध बादशाहों द्वारा आम जनता के लिए नहीं किया था।

4.5 औपनिवेशिक भारत में आजीवन सीखने का इतिहास

भारत के संसाधन, जैव विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्य आरम्भ से ही विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। 15 वीं सदी के अंत में वास्कोडिगामा ने भारत आने के समुंद्री मार्ग की खोज की जिसके परिणामत: सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने सन 1510 के लगभग भारत के पश्चिमी बंदरगाह कालीकट पहुँचने में सफल प्राप्त की। 17वीं शताब्दी में लगभग सन 1613 के आसपास अंग्रेज व्यापारी भारत आये उसके पश्चात् क्रमश: डच, फ्रांसीसी, और डेन व्यापारियों का आगमन हुआ। भारतीय समाज मुगलों के कमजोर पूर्वजों वाले बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था,इसी राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ईष्ट इण्डिया कम्पनी ने 1757 में पलाशी के युद्ध को जीत कर बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। इस अधिकार के बावजूद कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अपने व्यापार का विस्तार करना था। कालांतर में यह भारत को राजनैतिक रूप से नियंत्रित करने की और मुड़ गया। इस खंड में हम ईष्ट इण्डिया कंपनी के शासन एवं ब्रिटिश शासन के साथ स्वतंत्र भारत में आजीवन सीखने का अध्ययन करेंगे।

4.5.1 ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन (1757-1858)

अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, और डेन व्यापारियों के आगमन के साथ ही इन यूरोपीय व्यापारियों में संघर्ष होना प्रारम्भ हो गया और इस संघर्ष में अंग्रेज व्यापारी भारत में अपने पाँव ज़माने में सफल हो गये। अंग्रेज व्यापारियों ने व्यापार को जारी रखते हुए भारत में अपनी अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करना आरम्भ कर दिया इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जिन्हें अंग्रेजी मिशनरीज चलाया करती थी। इससे उनके दो उद्देश्य हल हो रहे थे एक तो वे भारत में अपनी सभ्यता स्थापित कर सकते थे और दूसरा ऐसे भारतीयों को तैयार कर सकते थे जो शारीरिक रूप से तो भरतीय हों परन्तु सांस्कृतिक एवं भाषायी तौर पर अंग्रेज हों जो उनके लिए कार्यालयों में सहायक के रूप में कार्य कर सकें। कंपनी की नीतियों ने ग्रामीण संरचना एवं ग्रामीण शिक्षा दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और गांवों की पारम्परिक व्यवस्था

समाप्त हो गई और मिशनरी विद्यालयों की स्थापना के कारण उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही भारत में ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई। मैकाले के आगमन के बाद भारत में अंग्रेजी साहित्य को उच्च स्तर का माना गया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्य्यम बना दिया गया। मैकाले के मिनट्स के आने से पूर्व भारत में प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी विवाद हो गया जिसमें भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना था। भारतीय चाहते थे की भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यय्म बने और मैकाले अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ मानते थे। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात की विशेष रूप से फरवरी 1835 के अपने मिनट्स के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली का आह्वाहन किया जो अंग्रेज भारतीयों का एक वर्ग तैयार करेगी जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच सांस्कृतिक मध्यस्थ के रूप में काम करेगी। ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप भारत में उच्च शिक्षा संस्थान खोलना आरम्भ किया 1772 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में बनारस संस्कृत कालेज, 1800 में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना इसके उदाहरण हैं । सिविल इंजीनियरिंग के भी चार कलेज आरम्भ किये गये जिनमे पहला था थामसन कालेज (अब आईआई टी रुड़की) जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी, दूसरा था बंगाल इंजीनियरिंग कालेज (आई आई ई एस टी)। इसके अतिरिक्त रात्री विद्यालयों में व्यस्क शिक्षा हेतु अनुदान आरम्भ किए गये। 1854 में बुड्स डिस्पैच ने व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना करने के सुझाव के अनुपालन में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई जिससे कि जनता आत्मनिर्भर बन सके।

ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा का प्रसार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था परन्तु इस प्रयास में उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुवात कर दी। और भारत में शिक्षा की व्यवस्था को कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व समझा और 1857 तक इस उत्तरदायित्व को निभाया जिससे भारत में शिक्षा एक योजना के रूप में आरम्भ हुई।आजीवन सीखने की वृद्दि दर जो कि मध्यकाल में कम हो गई थी वो इस अवधि में बढ़ने लगी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, राधाकांत देव, रानी रश्मोनी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले आदि ने बहुत सी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया इसके अतिरिक्त हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को भी इसी अवधि में लागु किया गया। इस दौरान नौकरियों में मिलने वाले अवसरों के कारण आजीवन सीखने के सकारात्मक पहलु सामने आये।

4.5.2 ब्रिटिश शासन (1858-1947)

1857 में भारतीयों ने ईष्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया इस आन्दोलन को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आन्दोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की बागडोर स्वयं संभालने का निर्णय लिया और 1 नवम्बर 1958 को भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश राज भारत में1858 से 1947 के बीच रहा इसके अंतर्गत जो क्षेत्र सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था उसे आम तौर पर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उसमे वे क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रसाशन था। और कुछ रियासतें थी जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी।

वुड के घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के कुछ वर्ष बाद ही भारत में ईष्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासन ने मुक्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार भारत में प्रशासन की डोर को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। वुड के घोषणा पत्र सौ अनुच्छेदों का एक लम्बा अभिलेख है जिसमे शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका का उल्लेख किया गया है। जिसके एक अनुच्छेद में व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है तथा यह स्वीकार किया गया है कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने, उद्योगों में कुशल कामगारों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार के हाथ में शासन आने से शिक्षा की व्यवस्था में भी बदलाव संभव था। भारतीय शिक्षा आयोग (1882-83) ने माना कि वयस्कों को अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए आगे की शिक्षा की आवश्यकता है और सभी प्रान्तों में इस प्रकार के कार्यक्रमों की सिफारिश की। और इस समय व्यस्क शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी इसका कारण प्रथम विश्व युद्द था। क्योंकि युद्द के दौरान सैनिक एक देश से दूसरे देशों की यात्रा कर रहे थे साथ ही भारत में वापस भी आ रहे थे। इसी बीच बर्धा में गांधीजी के नेतृत्व में शिक्षा सम्मलेन का आयोजन किया गया जहाँ गांधीजी ने शिक्षा को व्यसाय से जोड़ने की बात कही और एक व्यावसायिक शिक्षा योजना बनायीं गयी जिसे बुनयादी शिक्षा अथवा बुनुयादी तालीम का नाम दिया गया। साथ ही वयस्कों के लिए व्यस्क शिक्षा के अंतर्गत वयस्कों को पढना-लिखना, अंकगणित, और राजनैतिक शिक्षा देने की बात कही गई है। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए कालेज और विश्वविद्यालय खोले परन्तु व्यावसायिक शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया दिया गया। हालांकि कलकत्ता विश्व विद्यालय आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुझाव दिया था कि व्यावसायिक शिक्षा मध्यवर्ती स्तर पर शुरू की जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त सार्जेंट कमीशन ने भी व्यावसायिक शिक्षा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की और ब्रिटिश सरकार ने सुधारों के दायरे में शिक्षा की समग्रता को लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान महात्मागांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर आदि ने अपने विचारों के मध्यक से शिक्षा के मुद्दों का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाजसुधारकों जैसे ब्रहम समाज, आर्य समाज आदि आंदोलनों ने साक्षरता के शैक्षणिक वातावरण बनाने का काम किया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में आजीवन सीखने को बढ़ावा दिया गया।

4.5.3 स्वतंत्र भारत में आजीवन सीखना

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ प्रजा द्वारा चुनी गई लोकतान्त्रिक सरकार प्रजा के हित के लिए काम करती है। और लोकतान्त्रिक सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देने के सारे प्रयास करे। अपने नागरिकों को शिक्षित करे उन्हें कौशल पूर्ण बनाये, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराये, उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करे, उनके आर्थिक विकास की गारंटी दे। ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जिससे लोगों को अपने व्यवसाय चुनने में सहायता मिले न केवल सहयता मिले अपितु उचित आय भी हो ।जिस भी राष्ट्र में कुशल कामगारों की संख्या अधिक होगी वहां उत्पादन भी उतना

अधिक होगा और अधिक उत्पादन होने से आय भी अधिक होगी। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वे व्यवसायिक शिक्षा को ऐसा बनाये जिससे कि कुशल कामगार पैदा किये जा सकें। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा का संचालन करती थी परन्तु आजादी प्राप्त होने के पश्चात् हमारे देश की आवश्यकताएँ ब्रिटिश कालीन सरकार से भिन्न थी। आजादी के समय हमारे देश की शैक्षिक आवश्यकताओं में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तक काफी सुधार की जरूरत महसूस की गई। इसलिए आजादी के पश्चात् देश के समस्त नागरिकों को शिक्षित करने की आवश्यकता इस आशय से महसूस की जाने लगी कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और संविधान द्वारा प्रद्दत अधिकारों को समझ सके। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने बड़ी संख्या में व्यस्क निरक्षरों को साक्षर करने हेतु व्यस्क शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये। स्वतंत्रता के पश्चात् आजीवन शिक्षा से अम्बन्धित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

सामाजिक शिक्षा (Social Education)- स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उनके सामने देश की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था खास तौर पर प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को चलाना था क्योंकि शिक्षा के अन्य स्तरों पर तो दीर्घ गामी पाठ्क्रम शुरू करना था परन्तु प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था तत्काल आरम्भ करनी थी। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को सामाजिक शिक्षा का नाम दिया गया जिसे कि मनुष्य की सम्पूर्ण शिक्षा माना गया सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य व्यस्क जनसँख्या को शिक्षित करने के प्रयासों में सुधार करना था जिसमे साक्षरता, सामान्य शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक चेतना आदि महत्पूर्ण थे।

सामाजिक शिक्षा पर आधारित (योजनाबद्ध परियोजनाओं पर समिति, भारत सरकार1963:7) रिपोर्ट के अनुसार 1951-56 के बीच लगभग 55 लाख वयस्कों को राज्य शिक्षा विभागों द्वारा संचालित व्यस्क साक्षारता कक्षाओं में नामांकित किया गया था। 02 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम की नीवं रखी गई जो की एक विशाल कार्यक्रम था इस कार्यक्रम का उद्देश्य पांच वर्षों की समय सीमा के अंदर 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग दस करोड़ निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें तीन मुख्य बातों पर जोर दिया गया था पहली साक्षरता और संख्यात्मकता दूसरी कार्यात्मक विकास और तीसरी सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत विकास में आने वाली बाधाओं, कानूनों और सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता और गरीबों और अशिक्षितों को विकास की दिशा में स्वयं को संगठित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वन हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय आजीवन सीखने के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते आये हैं जिनमे मुख्य मंत्रालय निम्लिखित हैं-

1-मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(Ministry of Human Resource Development)- मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि वर्ष 2020 में 29 जुलाई से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा, ने आजीवन शिक्षा से सम्बंधित बहुत से कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नई शिक्षा नीति1986, साक्षर भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि कार्यक्रमों को चलाने में अहम् भूमिका का निर्वहन किया ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(Ministry of Rural Development)- ग्रामीण विकास मंत्रालय स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है, इसकी शुरुवात 1978 में हुई और बाद में इस कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना था जिससे उन्हें उनके आस-पास मौजूद कौशलपूर्ण कार्यों को संपादन करने में सहायता मिल सके। इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया। राज्यों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान इस योजनाओं को अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वित कर राज्य के युवाओं को आजीविका से जोड़ने का कार्य करते हैं।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(Ministry of Women and Child Development)-यह मंत्रालय महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी निश्चित करने के लिए कार्य करता है। इस मंत्रालय का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

4. लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय-

(Ministry of Small Scale and Agro and Rural Industries)

यह मंत्रालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से बहुत से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह भारतीय संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो 09 व्यापक क्षेत्रों एवं 128 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5. विश्वविद्यालय एवं आजीवन शिक्षा –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत व्यस्क, सतत शिक्षा और विस्तार विभाग (Department of Continuing Education and Extension) के नाम से एक विभाग विश्वविद्यालय में खोलने की अनुमति दी थी विभाग का प्रारम्भिक कार्य सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और साक्षरता पश्चात अभियान के लिए उपयोग की जाने वाली नियमावली तैयार करना था। वार्तमान में इस विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ़ लाइफ लांग लर्निंग एंड एक्सटेंसन(DLLE) कर दिया गया है। वर्तमान में कुछ ही भारतीय विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालयकुछ अन्य विश्वविद्यालय आजीवन शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रम के कार्यक्रम चला रहे हैं।

4.5.4 आजीवन सीखने का वर्तमान परिदृश्य-

आजीवन शिक्षा सार्वभौमिक साक्षरता की एक परिकल्पना करता है और पेशेवरों को उनके अनुकूल गति से उनकी पसंद की शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान करता है। भारत में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति 1986 एवं नै शिक्षा नीति 1992 संशोधित ने आजीवन शिक्षा पर जोर दिया और इसी क्रम में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई। इसके साथ ही आजीवन सीखने पर भारत में1998 और 2002 दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया जो कि मुंबई और हैदराबाद में सम्पन्न हुए। जिसमें आजीवन सीखने को एक मार्गदर्शक सिद्धांत और एक व्यापक दृष्टि के रूप में उजागर किया गया जिसने इस अवधारणा को प्रचारित किया किया। (सिंह 2002, और नारंग और मौच 1998)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आजीवन सीखने को उचित स्थान दिया गया है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में आजीवन शिक्षा पर जोर दिया गया है। कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है हाईस्कूल एवं माध्मिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख रूप से जोड़ा गया है। साथ ही गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से एकीकृत करने की बात कही गई है । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय अवश्य सीखे और अन्य व्यसायों से भी परिचित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और आजीविका चलने को प्रत्येक नागरिक के बुनियादी अधिकारों के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक होती है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में साक्षरता दर का अनुमान 80 प्रतिशत से अधिक का है जो कि 2011 में हुई जनगणना से प्राप्त 74.04 की दर से कहीं अधिक है, इसलिए अब हमारे देश की प्रमुख समस्या साक्षरता नहीं है, अब हमें व्यस्क शिक्षा अथवा आजीवन शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना होगा ।

4.6 सारांश

प्रस्तुत ईकाई में हमने यह जाना कि भारत में आजीवन सीखने का विकास किस प्रकार हुआ चाहे वैदिक काल हो, मध्य काल हो या फिर आधुनिक काल हो मानव समाज सदैव सकारात्मक रूप से सीखने के प्रति सजग रहा है। मानव सभ्यता जितनी आगे बढ़ती रही उतना ही मानव समाज अपने आप को अनेक कौशलों से परिपूर्ण बनाता ही चला गया। सिन्धुघाटी सभ्यता जो की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, में भी हमने यह जाना कि तत्कालीन समाज कितना अनुशासित जीवन जी रहा था उसके रहने एवं अन्य प्रबंध कितने संतुलित थे।

पाषाण अर्थात पत्थर का युग, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा अपने जीवन निर्वाह एवं आवश्यकताओं को पूरा करने लिए पत्थरों के औजार बनाये थे और वे इन औजारों का प्रयोग शिकार करने

के लिए किया करते थे जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य ने इस युग में जीवन कौशलों को सीखना आरम्भ कर दिया था। मध्यपाषाण युग में मनुष्य ने शिकार करना, मछली पकड़ना एवं भोजन एकत्रित करने के साथ-साथ जानवरों को पालना भी आरम्भ कर दिया था। इस युग में लोग छोटे ब्लेड वाले पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगे थे साथ ही वे चित्रकला भी करने लगे थे जिसमे पक्षियों, मनुष्यों एवं जानवरों को दर्शाया गया था।

नवपाषाण युग में मनुष्य शिकार, औजार एवं चित्रकला के अपने ज्ञान को आगे बढाते हुए कृषि का कार्य भी करने लगा था। साथ ही वह पालिश किये गए पत्थरों एवं हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करना भी सीख गया था जिनमें कुल्हाड़ी एवं छैनी जैसे औजार प्रमुख हैं। इस युग में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं,जौ,चावल,रागी, कुल्थी दाल आदि प्रमुख थे।

सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा में असाधारण कलाकृतियां दिखाई दी हैं जिनमें मिट्टी के वर्तन, मुहरें, बाट एवं ईंटें आदि । सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने मापन के सटीक तरीके खोज निकले एवं लंबाई, द्रव्यमान और समय को सटीक मापने में सफल हुए वे ऐसा करने वाले पहले लोगों में में से थे। इसके अतिरिक्त बाट और माप कि एक समान प्रणाली विकसित करने में सिंधु घाटी के लोग सफल हुए। इस काल के दौरान मिट्टी एवं कांसे के बर्तन, सोने के आभूषण, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां एवं मुहरें आदि का विकास हुआ। जो कि आजीवन सीखने के प्रयासों से ही संभव हो पाया होगा।

वैदिक काल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नही थी अपितु जीवन की वास्तविकताओं से सम्बंधित थी जो आजीवन सीखने को बढ़ावा देती थी। प्राचीन काल में शिक्षा में औपचारिक शिक्षा का दायरा तो सीमित था परन्तु अनऔपचारिक शिक्षा को भी महत्त्व दिया गया था जो कि आजीवन सीखते रहने की प्रेरणा देता था। आजीवन सीखने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को गुरुकुलों में पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था जिससे कि विद्यार्थी जीवन भर अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें इसके अतिरिक्त सुरक्षा एवं आत्म रक्षा के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता था। उपरोक्त शिक्षा से पता चलता है कि प्राचीन काल में शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था जो आजीवन शिक्षा की बुनियाद के रूप में कार्य करता था।

बौद्ध कालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा जैसे मूर्तिकला, भवन निर्माण, कताई बुनाई एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी।जिससे की विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद के जीवन का निर्वाह कुशलता पूर्ण तरीके से कर सके इस काल में बौद्ध विहारों में भिक्षुओं को कताई, बुनाई और सिलाई सिखाई जाती थी ताकि वे अपनी कपड़ों की आवश्यकता पड़ने पर सिलाई कर सकें इसी प्रकार वास्तुकला एवं चिकत्सा आदि की शिक्षा व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से दी जाती थी जो कि तत्कालीन भारतीय समाज में आजीवन सीखने के विभिन्न आयाम थे। बौद्ध काल के दौरान बहुत से लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रसिद्दि पायी उनमें प्रमुख चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजली और वात्सायन

हैं जिन्होंने गणित,खगोल विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, शल्य विज्ञान, यांत्रिकी, ललित कला के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपना योगदान दिया।

आजादी के पश्चात् देश के समस्त नागरिकों को शिक्षित करने की आवश्यकता इस आशय से महसूस की जाने लगी कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और संविधान द्वारा प्रद्दत अधिकारों को समझ सके इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने बड़ी संख्या में व्यस्क निरक्षरों को साक्षर करने हेतु व्यस्क शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये ।आज भारत की समस्या साक्षरता नहीं है आज का युग कौशल विकास का है हमें भारत के विकास के लिया कौशल विकास पर अधिक जोर देना होगा।

इस प्रकार हमने यह जाना कि आजीवन सीखने का इतिहास किस प्रकार का है, प्राचीन काल से पाषण युग फिर सिन्धु घाटी सभ्यता, बौद्ध कालीन युग, मध्यकाल एवं आधुनिक समय के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में भी हमने आजीवन सीखने के महत्व को जाना।

4.7 अभ्यास हेतु प्रश्न

1. आजीवन सीखने के प्रत्यय को विस्तार पूर्वक समझाइये ।
2. प्राचीन काल में आजीवन शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी ?
3.मध्य काल में आजीवन शिक्षा का आम जनों क्या सरोकार था ?
4.सिंधुघाटी सभ्यता के नगरीकरण का क्या स्वरूप था? इसका आजीवन शिक्षा से क्या सम्बन्ध है ?
5.स्वतंत्र भारत में आजीवन शिक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाये ?
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आजीवन शिक्षा पर क्या सुझाव दिए हैं ?

4.8 सन्दर्भ सूची

पाण्डेय गोविन्द चन्द्र.(1963) बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास भार्गव भूषण प्रैस वाराणसी ।

लाल.रमन विहारी,शर्मा कृष्ण कान्त.(2014) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं आर.लाल. बुक डिपो मेरठ ।

https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/90115/3/Block-2.pdf

https://ebooks.inflibnet.ac.in/aep01/chapter/evolution-of-lifelong-learning/

https://ijsrst.com/paper/4234.pdf

https://hi.wikipedia.org/wiki

BLOCK-3

इकाई 5 : आजीवन सीखने में उभरते रुझान, आजीवन सीखने की आवश्यकताएँ भविष्य के परिप्रेक्ष्य (Emerging trends in Lifelong Learning. Needs and Future Perspectives of Lifelong Learning)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)
5.2 उद्देश्य (Objectives)
5.3 आजीवन सीखने का संप्रत्यय (concept of lifelong Learning)
5.4 आजीवन सीखने के लाभ (Benefits of Lifelong Learning)
अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)
5.5 आजीवन सीखने के उभरते रुझान (Emerging Trends of Lifelong Learning)
5.6 आजीवन सीखने का महत्व (Importance of Lifelong Learning)
अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)
5.7 सारांश (Summary)
5.8 शब्दावली (Vocabulary)
5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)
5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)
5.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक युग में शिक्षा और कौशल विकास का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। तकनीकी उन्नति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के तेजी से बदलते परिवेश में, केवल शिक्षा प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। आज की दुनिया में, किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह नए ज्ञान और कौशल को कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से आत्मसात कर सकता है। इस संदर्भ में, जीवन भर सीखने (आजीवन सीखने) की अवधारणा एक प्रमुख भूमिका निभा रही है।

आजीवन सीखने का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में, उम्र के किसी भी पड़ाव में, शिक्षा प्राप्त करने और नए कौशल विकसित करने के लिए तत्पर रहे। यह न केवल पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और समाज में सक्रिय और सार्थक योगदान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आजीवन सीखने के क्षेत्र में कई नए और उभरते रुझान सामने आ रहे हैं, जो इस प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और आकर्षक बना रहे हैं।

इन रुझानों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का व्यापक उपयोग, मोबाइल लर्निंग की बढ़ती लोकप्रियता, माइक्रो-लर्निंग की अवधारणा, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर बढ़ता ध्यान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग का प्रयोग, सामुदायिक और सहयोगात्मक शिक्षा, निरंतर पेशेवर विकास (CPD) और शिक्षा के निजीकरण और अनुकूलन शामिल हैं। ये सभी रुझान आजीवन सीखने के महत्व को और भी अधिक बढ़ाते हैं और लोगों को एक निरंतर शिक्षण यात्रा पर प्रेरित करते हैं।

इस इकाई के अध्ययन का उद्देश्य आजीवन सीखने के महत्व और उभरते रुझानों को स्पष्ट करना है, ताकि हम यह समझ सकें कि ये परिवर्तन हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता हैं। जीवनभर सीखने की यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज के समग्र विकास और प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र-

1. छात्र आजीवन सीखने के संप्रत्यय को समझ पाएंगे।
2. छात्र आजीवन सीखने से होने वाले लाभ के बारे में जान सकेंगें।
3. छात्र आजीवन सीखने में उभरते रुझानों के संप्रत्यय को समझ पाएंगे।
4. छात्र आजीवन सीखने में उभरते रुझानों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे।
5. छात्र आजीवन सीखने में उभरते रुझानों के महत्व को समझ पाएंगे।

5.3 आजीवन सीखने का संप्रत्यय (Concept of lifelong Learning)

आजीवन सीखने का अर्थ है कि हमें हर समय नए ज्ञान को स्वीकार करने और अपनी सोच और जीवन को सुधारने की प्रेरणा रखनी चाहिए। यह अर्थात् जीवन के हर पल में कुछ नया सीखने का जागरूकता और उत्साह बनाए रखना। यह न केवल हमें व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि हमारी सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देता है। आजीवन सीखने से हम अपने आप को समृद्ध, समर्थ और संतुलित महसूस करते हैं।

आजीवन सीखना, जिसे अंग्रेज़ी में 'लाइफलॉन्ग लर्निंग' कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने जीवन के हर चरण में नए ज्ञान, कौशल और अनुभवों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। बदलते समय के साथ, आजीवन सीखने का महत्व और इसके रुझान भी बदल रहे हैं। आधुनिक युग में, यह प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत आवश्यकता बन गई है।

जीवन पर्यन्त शिक्षा या आजीवन शिक्षा (Lifelong learning) से तात्पर्य उस शिक्षा है है जो स्वैच्छिक और स्वप्रेरित ढंग से जीवन भर की जाती हैं। जिसका कोई अन्त न हो। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्तिगत कारणों से की जा सकती है या व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार स्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक हो सकता है कि अपने व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसन्धानों या विकासों से अवगत रहें। जीवनपर्यन्त शिक्षा, वह महत्वपूर्ण शिक्षा है जिससे मनुष्य के जीवन का उद्धार एवं विकास किया जा सकता है चाहे व्यक्तिगत रुचियों और जुनूनों का पीछा करना हो या पेशेवर महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना हो, आजीवन सीखने से हमें व्यक्तिगत पूर्णता और संतोष प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

यह माना जाता है कि मनुष्य में अन्वेषण, सीखने और विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और यह हमें उन विचारों और लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपने जीवन की गुणवत्ता और आत्म-मूल्य की भावना को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है।

5.4 आजीवन सीखने के लाभ (Benefits of Lifelong Learning)

आजीवन सीखने का मतलब है व्यक्ति का जीवनभर नए ज्ञान और कौशल को सीखने के लिए प्रयासरत रहना। आजीवन सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और कार्यस्थल में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आजीवन सीखने के मुख्य लाभ निम्नवत हैं-

1. आत्म-प्रेरणा में वृद्धि-

आजीवन सीखने के लिए मजबूत आत्म-प्रेरणा की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही इसे बढ़ाया भी जा सकता है। व्यक्ति जितना अधिक खुद को सीखने के लिए प्रेरित करेगा, उतना ही अधिक आत्म-प्रेरणा वह नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के परिणामस्वरूप बनाएगा। अतः एक चीज़ सीखने के बाद, व्यक्ति को दूसरी चीज़ पर जाने या सीखने के लिए अधिक अंतर्निहित कारण मिलेंगे। इसलिए, एक बार जब कोई सीखना शुरू करता है, तो वह गति पकड़ लेता हैं और एक ज्ञान की मदद से दूसरे ज्ञान पर अधिक आसानी से समन्वय बना कर आगे बढ़ता रहता हैं। इस अर्थ में, आत्म-प्रेरणा आजीवन सीखने की कुंजी हो सकती है। इसके बिना, किसी भी व्यक्ति की आगे बढ़ने की इच्छा स्थिर हो सकती है, आत्म-प्रेरणा आजीवन सीखने की आवश्यकता और लाभ दोनों का प्रतिनिधित्व करती है।

2. नये लक्ष्य और प्रेरणा बनाना-

अंततः किसी पसंदीदा विषय के गहन अध्ययन तथा आजीवन सीखना व्यक्ति के लिए अन्य आकर्षक विषयों के लिए रास्ते खोलता है। आजीवन सीखने से कई बार व्यक्ति सीखते-सीखते अपने नए उद्देश्यों की और बढ़ने लगता हैं, तथा रूचि बढ़ने पर या सफलता मिलने पर स्वयं ही प्रेरणा का श्रोत बन जाते हैं। अतः आजीवन सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की नए आयाम स्थापित करने में मदद करते हैं। लक्ष्य का निर्धारण आजीवन सीखने के लाभों में से एक प्रमुख लाभ है क्योंकि यह शिक्षा के लिए आवश्यक एवं आंतरिक प्रेरणा को निर्देशित करने में मदद करता है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की और निरंतर बढ़ते रहता है, तो उसे उपलब्धि की प्रबल भावना का अनुभव होता है।

3. आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी -

स्वाभाविक रूप से, जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा समझना शुरू करता है जो वह पहले नहीं समझ पाता था, लेकिन समय के साथ-साथ आजीवन सीखने से वह समझने लगता हैं तो उस व्यक्ति को उपलब्धि का अहसास होता है और अक्सर, यह धीरे-धीरे समग्र रूप में आत्मविश्वास में बदल जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहचानता है कि उसके पास कुछ ऐसा सीखने की क्षमता है जो उसे लगता था कि वह नहीं सीख सकता, तो उसे अचानक एहसास होता है कि वह और भी बहुत कुछ कर सकता है। किसी विषय से बेहतर परिचित होने पर उस पर चर्चा करते समय अधिक आत्मविश्वास मिलता है तथा आजीवन सीखने की प्रक्रिया से व्यक्ति में आत्मविश्वास में बढोत्तरी होती हैं।

4. व्यावहारिक कौशल सीखना-

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आजीवन सीखने के लाभों में से एक में स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक कौशल सीखना शामिल है। व्यक्ति व्यावहारिक कौशल जीवन के किसी भी पड़ाव में सीख सकता हैं, व्यक्ति की आजीवन सीखने की ललक उसे ब्यवहारिक कौशलों में निपुण बना सकती हैं। जिसका व्यक्ति दैनिक जीवन में प्रयोग कर जीवन को अधिक आसान बना सकता हैं।

5- स्थायित्व लाना -

आजीवन सीखना हमारे समाज में हमें स्थायित्व तथा अनुकूलन में मदद करता हैं, तथा यह हमें दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं से निजात पाने तथा नवीन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता हैं, जो व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

6- समस्याओं के समाधान में सहायक :

नए समय के साथ-साथ नई समस्याओं का सामना होना स्वाभाविक होता हैं, और इन नवीन समस्याओं का समाधान निकालना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं तथा इन समस्याओं का समाधान

करने के लिए आजीवन सीखते रहना एवं ज्ञान का अर्जन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अतः आजीवन सीखते रहना व्यक्ति को समस्याओं के समाधान करने में सहायता करता हैं।

7- आत्म-प्रतिपूर्ति में सहायक :

आजीवन सीखने की प्रक्रिया से व्यक्ति नए कौशलों से सम्बन्धित ज्ञान की प्राप्ति करता हैं जिससे उसे आत्म-प्रतिपूर्ति मिलती है और स्वयं को समर्थ महसूस करने में मदद मिलती है तथा व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने में सहायक सिद्ध होता हैं।

8- सामाजिक संबंधों में सुधार:

आजीवन सीखते रहने से कोई भी व्यक्ति नई नई जानकारियों को जुटाते रहता हैं जो स्वयं तथा समाज के लिए बहुत ही आवश्यक होता हैं जिससे समाज में नई जानकारी का संचार और सहयोग की भावना से हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होते रहते हैं, इस प्रकार का ज्ञान समाज के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता हैं।

9- स्वास्थ्य लाभ में सहायक :

मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए त्तथा नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक होता हैं, तथा नए ज्ञान के अर्जन से दिमाग की गतिबिधियाँ भी बढ़ जाती हैं, यह नये ज्ञान का अर्जन, आजीवन सीखना या अधिगम से ही संभव हो सकता हैं।

आजीवन सीखना एक निवेश है जो जीवनभर लाभ देता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास और करियर उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संपर्क और समाज में योगदान के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, हमें हर उम्र में सीखने की इच्छा और जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए और इस प्रक्रिया को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। आजीवन सीखना व्यक्ति को एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति रखने से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बना सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सकता है।

अपनी उन्नति जानिए –1

प्रश्न 1- आजीवन सीखने का शाब्दिक क्या अर्थ हैं**?**

प्रश्न 2- आजीवन सीखने के मुख्य लाभ क्या क्या हैं**?**

5.5 आजीवन सीखने के उभरते रुझान (Emerging trends in Lifelong Learning)

आजीवन सीखना (Lifelong Learning) एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर निरंतर ज्ञान, कौशल और योग्यता प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहता है। हाल के वर्षों में, आजीवन सीखने के कई नए रुझान उभरे हैं, जो शिक्षा और प्रशिक्षण के पारंपरिक दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। बदलते समय के साथ, आजीवन सीखने का महत्व और इसके रुझान भी बदल रहे हैं। आधुनिक युग में, यह प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत आवश्यकता बन गई है। यहाँ कुछ प्रमुख उभरते रुझान दिए जा रहे हैं जो निम्नवत हैं-

1- ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग:

इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के निरंतर विकास के साथ, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों की लोकप्रियता में दिन-प्रतिदिन जबरदस्त वृद्धि हुई है। ऑनलाइन एप तथा शोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को कहीं भी, कभी भी सीखने की सुविधा प्रदान की है। इन सभी साधनों की सहायता से व्यक्ति कही से भी अपने अधिगम को बरकरार रख सकता हैं। MOOCs (Massive Open Online Courses) लोगों को विभिन्न विषयों में प्रमाणपत्र और डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

2- माइक्रो-लर्निंग:

छोटी अवधि के पाठ्यक्रम और लघु सीखने के माड्यूल्स को माइक्रो-लर्निंग कहा जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो व्यस्त कार्यक्रम के कारण लंबी अवधि के कोर्स नहीं कर सकते। इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन से हम सभी अपनी आजीवन चलने वाली शिक्षा को सतत रूप में चला सकते हैं। वर्तमान समय में छोटे, संक्षिप्त और केंद्रित पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ रही है जो व्यस्त पेशेवरों के लिए सुविधाजनक होते हैं। यह लर्निंग को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है।

3- ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम:

ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण होता है, यह तकनीक आज विश्व भर में सबसे अधिक चलायी जाने वाली शिक्षण विधियों में से एक विधि हैं जिसको सबसे ज्यादा पसंद भी किया जा रहा हैं, इस प्रकार की शिक्षण विधियाँ शिक्षा प्रक्रिया को और अधिक आसान एवं सुलभ बनाती हैं। और फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसमें छात्र घर पर सामग्री का अध्ययन करते हैं और कक्षा में व्यावहारिक अभ्यास करते हैं, जिससे विद्यार्थियों के आत्म-विश्वास में बढ़ोत्तरी एवं ज्ञान को आसानी से समझ कर आजीवन सीखने के महत्वपूर्ण रुझान बन रहे हैं।

4- मोबाइल लर्निंग:

वर्तमान समय में मोबाइल लर्निंग या इससे अधिगम का प्रचलन सबसे अधिक युवाओं में देखने को मिल रहा हैं, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के व्यापक उपयोग ने मोबाइल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। लोग अब चलते-फिरते भी अपने मोबाइल डिवाइस पर सीख सकते हैं, इस प्रकार का अधिगम आज वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक चलने वाली शैक्षिक तकनीक के रूप में देखने को मिल रही हैं जो आजीवन सीखने को बढ़ावा देकर अधिक सुगम बना रही हैं।

5- प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग:

प्रोजेक्ट बेस्ड सीखने की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को पाठ्यवस्तु से सम्बंधित या किसी भी समस्या का समाधान परियोजना के माध्यम से करने को दिया जाता हैं, तथा वे परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह अधिगम प्रायोगिक और अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

6- स्व-निर्देशित और स्व-गति पर आधारित शिक्षा

वर्तमान समय में स्व-निर्देशित शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, जहाँ व्यक्ति स्वयं अपने सीखने के लक्ष्यों और विधियों का निर्धारण करता है। इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता ने इसे और भी आसान बना दिया है। स्व-गति पर आधारित शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार सीख सकता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियाँ प्रभावित नहीं होतीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग पारंपरिक कक्षाओं और औपचारिक शिक्षण संस्थानों के बाहर भी सीखने पर अधिक जोर दे रहे हैं। स्व-निर्देशित सीखना, जैसे कि स्वयंपाठी (Self-taught) और अनौपचारिक सीखना, शिक्षा के नए रूप बन गए हैं।

7- व्यक्तिगत लर्निंग:

वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग करके व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान किए जा रहे हैं। यह तकनीक छात्रों की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यक्तिगत बनाना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा अपने समय के अनुसार सीख सके,जो आज एक प्रमुख रुझान बन गया है यह अक्सर तकनीकी उपकरणों और अनुकूलनशील सॉफ़्टवेयर के माध्यम से संभव होता है।

8- सामाजिक और सहयोगात्मक सीखना को प्रोत्साहन:

सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन समुदायों ने सामाजिक और सहयोगात्मक सीखने को प्रोत्साहित किया है। लोग विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर एक-दूसरे से सीख सकते हैं, विचारों का आदान-प्रदान कर

सकते हैं और सहयोगात्मक परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं। इससे न केवल ज्ञान का विस्तार होता है, बल्कि नए दृष्टिकोण और विचार भी विकसित होते हैं।

9- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) ने शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न किए हैं। AI आधारित टूल्स और ऐप्स व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करते हैं। ये टूल्स छात्रों के सीखने की शैली और गति के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सटीक होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) शिक्षा को लोगों के अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। AI-आधारित टूल्स और सिस्टम्स व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

10-व्यावसायिक प्रशिक्षण और विकास:

कंपनियाँ अब अपने कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान कर रही हैं। विभिन्न उद्योगों में तेजी से बदलती तकनीकों और प्रक्रियाओं के कारण, कर्मचारियों को नियमित रूप से अपने कौशल को अपडेट करना आवश्यक हो गया है। कंपनियाँ इसके लिए इन-हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित करती हैं। आजीवन सीखना अब करियर और व्यावसायिक विकास के साथ गहराई से जुड़ गया है। लोग अपने करियर में प्रगति के लिए निरंतर सीखना आवश्यक समझते हैं।

11-कौशल आधारित शिक्षा:

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में, केवल पारंपरिक शैक्षिक डिग्रियों से अधिक कौशल आधारित शिक्षा की मांग बढ़ रही है। कई कंपनियाँ और संगठनों ने यह समझ लिया है कि कर्मचारियों के पास आवश्यक व्यावहारिक कौशल होना आवश्यक है। इसलिए, वे अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के माध्यम से निरंतर सीखने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, कई लोग खुद भी विभिन्न शॉर्ट-टर्म कोर्स और सर्टिफिकेशन्स के माध्यम से अपने कौशल को उन्नत कर रहे हैं।

12-नैतिक और मानसिक विकास:

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा ने लोगों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके द्वारा व्यक्ति न केवल अपने पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और स्थिरता प्राप्त करता हैं, आजीवन सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू नैतिक और मानसिक विकास भी है। व्यक्ति मानसिक विकास हेतु ध्यान, योग और व्यायाम का अधिक उपयोग कर रहें है।

13-गेमिफिकेशन:

गेमिफिकेशन का उपयोग शिक्षा में बढ़ रहा है, जिससे लर्निंग प्रक्रिया अधिक अंतःक्रियात्मक और आकर्षक बन जाती है। यह शिक्षार्थियों को खेल के तत्वों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। गेमिफिकेशन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और प्रेरक बनाने के लिए किया जा रहा है।

आजीवन सीखने के ये उभरते रुझान हमें यह बताते हैं कि ज्ञान और कौशल को निरंतर अद्यतन करना अब आवश्यकता बन गई है, न कि विकल्प। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोक्रेडेंशियल्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व-निर्देशित शिक्षा, AI आधारित शिक्षा, सामाजिक और सहयोगात्मक सीखने तथा नैतिक विकास के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को समृद्ध और सफल बना सकता है। इसलिए, हमें इन रुझानों को अपनाकर निरंतर सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। आजीवन सीखने के इन समस्त रुझानों ने आजीवन सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ, लचीला और प्रभावशाली बना दिया है, जिससे व्यक्ति अपने करियर और व्यक्तिगत विकास को बेहतर तरीके से साध सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आजीवन सीखने का भविष्य डिजिटल, व्यक्तिगत, और समुदाय-केंद्रित हो रहा है। इस दिशा में निरंतर प्रगति लोगों को तेजी से बदलते विश्व में अनुकूलित रहने में मदद करेगी।

आजीवन सीखने के ये उभरते रुझान यह दर्शाते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती हैं । यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज में बदलावों के साथ अनुकूलित होने, नई चुनौतियों का सामना करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाती है, आज आजीवन सीखना आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है अतः इस प्रकार, आजीवन सीखने का समर्थन और प्रोत्साहन करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर विकास और समृद्धि प्राप्त कर सके।

5.6 आजीवन सीखने का महत्व (Importance of Lifelong Learning)

आजीवन सीखने का किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्व है, और यह व्यक्तिगत, पेशेवर, और समाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। आजीवन सीखने का मतलब है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दौरान नई-नई जानकारियाँ और कौशल सीखता रहता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:-

1- व्यक्तिगत विकास में सहायक :

- **मानसिक उत्तेजना:** निरंतर सीखने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और डिमेंशिया जैसी बीमारियों की संभावना कम होती है। जो लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता हैं।

- **स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता:** नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जिससे व्यक्तियों में आत्म निर्भरता आती हैं।

- **आत्मविश्वास:** जब व्यक्ति नए कौशल सीखता है और उनका उपयोग करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

2- पेशेवर विकास में सहायक :

- **करियर में उन्नति:** तेजी से बदलते कार्यक्षेत्र में नई तकनीकों और ज्ञान का उपयोग करने से व्यक्ति अपनी नौकरी में सफल हो सकता है और उन्नति प्राप्त कर सकता है।

- **नए अवसर:** नई चीजें सीखने से व्यक्ति के लिए नए कार्यक्षेत्र और उद्योगों में अवसर खुलते हैं। जो लोगों के पेशेवर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- **अनुकूलन क्षमता**: निरंतर सीखने से व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करने में सहायता मिलती है।

3- समाजिक विकास में सहायक :

- **समाज के प्रति योगदान:** शिक्षा और ज्ञान से व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है, जैसे कि दूसरों को शिक्षा देना या सामुदायिक सेवाओं में भाग लेना। जिससे समाज में व्यक्तियों के मध्य सामाजिकता का विकास होता हैं।

- **समाजिक एकता:** नई भाषाओं, संस्कृतियों, और विचारों के बारे में जानने से समाज में एकता और समझदारी बढ़ती है। जिससे समाज में सामाजिक भाईचारे की भावना का विकास होता हैं।

4- प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बैठाने में सहायक :

- **तकनीकी उन्नति:** आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, और नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है।

- **डिजिटल साक्षरता:** नई डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए लोगों को डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है। जो की वर्तमान समय के लिए बहुत जरुरी हैं।

5- नवाचार और रचनात्मकता में सहायक :

- **रचनात्मकता:** नई चीजें सीखने से व्यक्ति के विचारों में नवाचार आता है और रचनात्मकता में वृद्धि होती है।

- **समस्या समाधान:** नया ज्ञान और कौशल व्यक्ति को समस्याओं का सृजनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाता है।

आजीवन सीखने का महत्व समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अत्यधिक है। यह न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के विकास और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अपनी उन्नति जानिए –2

प्रश्न 1- आजीवन सीखने की नवीन तकनीकी क्या क्या हैं **?**

प्रश्न 2- आजीवन सीखने का क्या महत्व हैं**?**

5.7 सारांश (Summary)

आजीवन सीखना (Lifelong Learning) एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवनकाल में निरंतर शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देता है। यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनौपचारिक और निनौपचारिक शिक्षा के रूप भी शामिल हैं। आधुनिक तकनीक और समाज में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण आजीवन सीखने के क्षेत्र में कई नए रुझान उभर रहे हैं। ये रुझान न केवल शिक्षा के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि लोगों के सीखने के दृष्टिकोण और अवसरों को भी नया आकार दे रहे हैं। आजीवन सीखने (Lifelong Learning) के उभरते रुझान आधुनिक समाज और तकनीकी विकास के साथ तेजी से बदल रहे हैं। आजीवन सीखने का मतलब है कि व्यक्ति अपनी पूरी ज़िन्दगी में निरंतर ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। आजीवन सीखने के ये उभरते रुझान न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज के समग्र प्रगति में भी योगदान देते हैं। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा, व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षा, माइक्रोक्रेडेंशियल्स, समुदाय आधारित सीखना, नॉन-फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग, प्रोफेशनल विकास पर ध्यान, और आत्म-निर्देशित सीखना जैसे ये सभी रुझान आधुनिक समाज की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाते हैं, और शिक्षा को अधिक सुलभ, प्रभावी और प्रासंगिक बनाते हैं। इन सभी रुझानों के माध्यम से, हम एक अधिक ज्ञानवान और सशक्त समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

5.8 शब्दावली (Vocabulary)

आजीवन सीखना- आजीवन सीखना, जिसे अंग्रेज़ी में 'लाइफलॉन्ग लर्निंग' कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने जीवन के हर चरण में नए ज्ञान, कौशल और अनुभवों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। आजीवन सीखने से तात्पर्य जीवन पर्यन्त सीखते रहने से होता हैं, यानि जन्म से मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया को आजीवन सीखना कहते हैं।

ब्लेंडेड लर्निंग- ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण होता है, यह तकनीक आज विश्व भर में सबसे अधिक चलायी जाने वाली शिक्षण विधियों में से एक विधि हैं जिसको सबसे ज्यादा पसंद भी किया जा रहा हैं, इस प्रकार की शिक्षण विधियाँ शिक्षा प्रक्रिया को और अधिक आसान एवं सुलभ बनाती हैं।

मशीन लर्निंग- मशीन लर्निंग एक ए.आई तकनीक और उपकरण आधारित सीखने की प्रक्रिया हैं, जिसमें छात्र विभिन्न प्रकार के शिक्षण मशीनों तथा उपकरणों के माध्यम से स्व गति से अधिगम करता हैं।

गेमिफिकेशन: गेमिफिकेशन विधि में खेल के तत्वों के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान समय में गेमिफिकेशन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और प्रेरक बनाने के लिए किया जा रहा है।

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)

उत्तर संख्या 1- जीवन पर्यन्त सीखना,

उत्तर संख्या 2- आजीवन सीखने के लाभ मुख्यतः आत्मविश्वाश में बढ़ोत्तरी, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान, कौशल विकास, सामाजिक संबंधों में सुधार लाना तथा अपने स्वास्थ्य में सुधार लाना हैं।

उत्तर संख्या 3- आजीवन सीखने की नवीन तकनीकी में मुख्यतः ऑनलाइन लर्निंग, माइक्रो लर्निंग, A.I तकनीकी से शिक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग तथा स्व गति से सीखना मुख्य हैं।

उत्तर संख्या 4- आजीवन सीखना से मुख्यतः व्यक्तिगत विकास में सहायक, सामाजिक विकास तथा पेशेवर विकास में सहायक होता हैं।

5.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

- गुप्ता, नत्थू लाल. मूल्यपरक शिक्षा और समाज.
- शर्मा, आर.ए. मानव मूल्य एवं शिक्षा.
- शर्मा, आर.ए. शिक्षा और मानव के मूल्य.

- पाण्डेय, आर.एस. मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य.
- सिंह, योगेश. मूल्य शिक्षा.
- Government of India. (1988). National Literacy Mission. New Delhi:
- Ministry of Human Resources Development (Department of Education).
- Haydar, Ates and Kadir, Alsa. (2012). The Importance of Lifelong Learning has been Increasing. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.205 – Retrieved on June 02 2020.
- Jarvis, P. (1990). Adult and Continuing Education: Theory and Practice. London: Routledge.
- Jarvis, P. (2006). 'Lifelong learning: a societal ambiguity' in S. Ehlers (ed.)
- Milestones towards Lifelong Learning Systems, Copenhagen: Danish University of Education Press.
- Jarvis, P. (2007). Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society:
- Taylor & Francis Group, Sociological Perspectives, Lifelong Learning and the Learning Society, Volume 2. London: Routledge,.
- Knapper, C. K. & Cropley, A. (1991). Lifelong Learning and Higher Education. London: Croom Helm.

5.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

प्रश्न.1- आजीवन सीखने से आप क्या समझते हैं ? आजीवन सीखने के लाभों का विस्तार वर्णन कीजिये।

प्रश्न.2- आजीवन सीखने के उभरते रुझान से आप क्या समझते हैं? आजीवन सीखने को कैसे अधिक आसान या सुबिधाजनक बनाया जा सकता हैं ?

प्रश्न.3- आजीवन सीखने के महत्व को विस्तार वर्णन कीजिये।

इकाई 6 : विभिन्न क्षेत्रों में आजीवन सीखने की आवश्यकताएं (lifelong learning Needs In Various Areas)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)
6.2 उद्देश्य (Objectives)
6.3 आजीवन सीखने के विभिन्न क्षेत्र (Various Areas of lifelong Learning)
6.4 आजीवन सीखने की आवश्यकताएं (Needs of Lifelong Learning)
अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)
6.5 आजीवन सीखने के साधन (Resources of Lifelong Learning)
अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)
6.6 सारांश (Summary)
6.7 शब्दावली (Vocabulary)
6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)
6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)
6.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

आज के तेजी से बदलते हुए समाज में आजीवन सीखने (Life-long Learning) की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तकनीकी प्रगति, ग्लोबलाइजेशन, और सूचना के निरंतर प्रवाह ने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इस परिवेश में, एक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह लगातार नई जानकारी और कौशलों को सीखता और अपनाता रहे। अधिकांश पेशेवर क्षेत्र अब नियमित प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की मांग करते हैं। जो लोग अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन नहीं करते, वे जल्दी ही अप्रचलित हो सकते हैं। आजीवन सीखने का महत्व सिर्फ पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है; यह व्यक्ति के समग्र विकास, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए भी आवश्यक है। सीखने की इस यात्रा में औपचारिक शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स, कार्यशालाएँ, और स्व-अध्ययन सामग्री जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, सामाजिक संपर्क, सामुदायिक भागीदारी, और स्वयंसेवा भी महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। आजीवन सीखने की मानसिकता व्यक्ति को अधिक लचीला, अनुकूलनीय और नवाचारशील बनाती है। यह मानसिकता न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज को भी अधिक सक्षम और प्रगतिशील बनाती है। अतः, आजीवन सीखने की आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता को समझना और उसे अपनाना वर्तमान समय

की अत्यंत आवश्यक मांग हो गयी है। इससे न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति होती है, बल्कि एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज का निर्माण भी संभव होता है।

वर्तमान युग में, जहां तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गई है। यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, और दक्षताओं को विकसित करने में मदद करती है। आज के तेजी से बदलते युग में, जहाँ तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, और आर्थिक वैश्वीकरण ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, आजीवन सीखने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र-

6. छात्र आजीवन सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समझ पाएंगे।
7. छात्र आजीवन सीखने की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगें।
8. छात्र आजीवन सीखने के साधनों के बारे में जान सकेंगें।
9. छात्र आजीवन सीखते रहने के लिए स्वयं को अभिप्रेरित कर सकेंगे।

6.3 आजीवन सीखने के विभिन्न क्षेत्र (Various Areas of lifelong Learning)

आजीवन सीखने की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसका मुख्य कारण तेजी से बदलती दुनिया और तकनीकी विकास है, जो विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में निरंतर अद्यतित रहने की मांग करता है। आजीवन सीखने के मुख्य क्षेत्र निम्नवत हैं-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन सीखना (Lifelong Learning) अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है। जैसे- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार और खोजें लगातार हो रही हैं। आज जो तकनीक नवीनतम है, वह कल पुरानी हो सकती है। अतः विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्रं में निरंतर सीखना ही एकमात्र विकल्प हैं। नई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नवीनतम तकनीकों और विज्ञान को समझना और लागू करना आवश्यक है। यह हमारी वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान क्षमताओं को भी मजबूत करता है।

कला और साहित्य:

कला एवं साहित्य के क्षेत्र में आजीवन सीखना (Lifelong Learning in the Field of Art and Literature) एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विचार है। यह अवधारणा न केवल व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी सुदृढ़ करती है। साहित्य, कला, और संगीत के क्षेत्र में नई कला की खोज कर व्यक्ति अपनी रूचि को और अधिक विकसित कर सकता हैं। विभिन्न साहित्यिक धाराओं, कलाओं और संगीत के गैर-साधारण आयामों का आजीवन अध्ययन कर अपने ज्ञान और अनुभवों को बढ़ाया जा सकता हैं।

इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन:

इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में आजीवन सीखने का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह हमें हमारे समाज, संस्कृति, और सांस्कृतिक विरासत को समझने में मदद करता है। इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन से समाजिक संवेदनशीलता, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, सामाजिक समस्याओं का समाधान, विरासतों का संरक्षण, परम्परागत ज्ञान का संवर्धन आदि करने में मदद मिलती हैं।

तकनीकी विकास :

तकनीकी विकास के कारण नई तकनीकों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का उदय हो रहा है। इन तकनीकों को सीखने और उनका सही उपयोग करने के लिए पेशेवरों को लगातार नई जानकारी हासिल करनी पड़ती है। जिससे लोग अपने आप को समय और समाज के मध्य उचित तालमेल बैठाकर स्वयं को प्रगति की राह पर निरंतर बड़ा सकता हैं। अतः व्यक्ति को तकनीकी प्रगति के साथ आजीवन सीखने की आवश्यकता हैं।

विचार और ध्यान:

विचार और ध्यान न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि आजीवन सीखने की प्रक्रिया को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाते हैं। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, जिससे उसके सीखने और विकसित होने की क्षमता में वृद्धि होती है।

करियर विकास:

जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल्स और ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक होता हैं। आजीवन सीखना व्यक्ति को नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है और उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। आजीवन सीखना केवल एक व्यक्ति की व्यावसायिक विकास के लिए नहीं बल्कि उसकी व्यक्तिगत

संतुष्टि और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति को हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रखती है और उसे एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करती है।

विभिन्न उद्योगों में बदलाव:

विभिन्न उद्योगों में समय-समय पर बड़े बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों के साथ व्यक्ति को तालमेल बिठाने के लिए निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न उद्योगों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण आजीवन सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यह केवल कैरियर में प्रगति के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि और जीवन के हर पहलू में सुधार के लिए भी आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को लगातार सीखते रहने और अपने कौशलों को अद्यतन रखने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बने रह सकें।

निजी और व्यावसायिक विकास:

आजीवन सीखने से व्यक्ति का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय रखता है और उसे नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करता है। आजीवन सीखना व्यक्ति के निजी और व्यावसायिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि व्यावसायिक सफलता और करियर की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। विभिन्न स्रोतों और माध्यमों से सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है।

नए अवसरों की पहचान:

आजीवन सीखना नए अवसरों की पहचान और उनकी प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता की कुंजी है। निरंतर शिक्षा और कौशल विकास से व्यक्ति न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, बल्कि भविष्य के अवसरों के लिए भी तैयार हो जाता है। नए ज्ञान और कौशलों के माध्यम से व्यक्ति नए अवसरों को पहचान सकता है और उनका लाभ उठा सकता है। यह न केवल उसके पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लाभकारी होता है।

समस्याओं का समाधान:

नई समस्याओं और चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए व्यक्ति को नए विचारों और नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आजीवन सीखना व्यक्ति को इस दिशा में मदद करता है। आजीवन सीखना (Lifelong Learning) एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ज्ञान, कौशल, और

योग्यताओं का विकास व अर्जन करता है। समस्याओं का समाधान करने के क्षेत्र में आजीवन सीखने के कई फायदे हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन की अधिकांशतः समस्याओं का समाधान अपने ज्ञान के माध्यम से कर सकता हैं।

उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि:

उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि के क्षेत्र में आजीवन सीखना एक महत्वपूर्ण और अविरल प्रक्रिया है। यह अनुभव, नवाचार, और समय के साथ सीखने की एक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति और संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। आजीवन सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें न केवल आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि यह व्यक्ति को व्यापारिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाता है। इसे समझना और अपनाना एक उत्कृष्ट प्रवृत्ति है जो समाज में प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करती है।

अतः आजीवन सीखने की यही अद्वितीयता है कि हम न केवल नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास भी करते हैं। हर नई सीख हमें एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम अपने आस-पास की दुनिया को और भी गहराई से समझ पाते हैं। आजीवन सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे जीवन के हर पड़ाव पर नए अनुभवों और ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना प्रदान करती है। यह व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया, सोचने, समझने, और बदलाव की क्षमता को बढ़ाती है।

6.4 आजीवन सीखने की आवश्यकता (Needs of Lifelong Learning)

आजीवन सीखना (Lifelong Learning) एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उनके जीवन भर नई जानकारी, कौशल और अनुभव प्राप्त करने और उन्हें अपडेट रखने के लिए प्रेरित करती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन के कारण आजीवन सीखने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आजीवन सीखने का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में नए ज्ञान और कौशल हासिल करने का प्रयास करता रहे। आजीवन सीखने की आवश्यकता कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

1- व्यक्तिगत विकास में आवश्यक :

आजीवन सीखने से व्यक्ति की मानसिक क्षमता, ज्ञान और समझ का निरंतर विकास तथा विस्तार होता रहता है। यह न केवल व्यक्ति में उनके ज्ञान के दायरे को बढ़ाता है बल्कि उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने का अवसर मिलता है। तथा व्यक्ति आजीवन अधिगम से स्वयं को अधिक सक्षम पाता हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए हमें अपने दृष्टिकोण, व्यवहार और मानसिकता को विकसित करने की

आवश्यकता होती है। आजीवन सीखने से हम नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं।

2- **सामाजिक अनुकूलन बनाने में आवश्यक:**

समाज दिन-प्रतिदिन में बदलाव और विकास बहुत तेजी से हो रहे हैं। नई तकनीकों, नीतियों और सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए निरंतर सीखना अत्यंत आवश्यक है। यह व्यक्ति को समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है और उन्हें एक सक्रिय और जागरूक नागरिक बनाता है तथा सामाजिक गतिबिधियों में अधिक संलग्न रहने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं।

3- बेहतर समाज के निर्माण में सहायक:

एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति समाज के लिए एक अमूल्य संपत्ति होता है। आजीवन सीखने से हम सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनते हैं। हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं और समाज के विकास में सक्रिय योगदान देते हैं। आजीवन सीखने से हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध होता है और हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने में सक्षम होते हैं।

4- व्यावसायिक उन्नति हेतु आवश्यक :

आज के पेशेवर दुनिया में सफलता पाने तथा अपने व्यवसाय में तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताओं और नए ज्ञान का अधिग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। आजीवन सीखने से व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहते हैं। यह उन्हें नई तकनीकों, रणनीतियों और विधियों के साथ समय के अनुसार ग्रहण करने में मदद करता है, जो उनके व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5- तकनीकी विकास के साथ समन्वय बनाने हेतु आवश्यक:

वर्तमान युग तकनीकी विकास का युग है। हर दिन नई-नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, और पुरानी तकनीकें अप्रचलित होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में, आजीवन सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है ताकि हम नवीनतम तकनीकों और ज्ञान से अद्यतन रह सकें तथा इस नवीन तकनीकी के साथ उचित समायोजन कर उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकें। इससे न केवल हमारे कार्यक्षेत्र में दक्षता बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन स्तर में भी सुधार होता है।

6- मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु आवश्यक:

शिक्षा और ज्ञान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आजीवन सीखने से मस्तिष्क सक्रिय और जागरूक रहता है, जिससे मानसिक बिमारियों का खतरा कम हो जाता है। नई-नई चीजें सीखने से हम मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके अलावा, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और योग आदि के बारे में आजीवन सीखने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।

7- नयी चुनौतियों के साथ तालमेल बैठाने हेतु आवश्यक:

मनुष्य के जीवन में समय-समय पर अनेक चुनौतियाँ आती रहती हैं और उनसे निपटने के लिए हमें नवीनतम ज्ञान और नवीन कौशल की आवश्यकता होती है। आजीवन सीखने से हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। जिससे हम अपने जीवन को अधिक आसान बना सकते हैं। अतः आजीवन सीखना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हो रहा हैं।

8- पर्यावरणीय चुनौतियों एवं सतत विकास हेतु आवश्यक:

आज के समय में, पर्यावरणीय संकट और सतत विकास के मुद्दे सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों तथा समस्याओं के समाधान के लिए नई सोच, तकनीकों और प्रक्रियाओं को समझना और अपनाना आवश्यक है। तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने से सम्बंधित सभी प्रकार के उपायों के बारे में जानना और सीखना अत्यंत आवश्यक हो गया हैं, उदाहरण के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं। इन चुनोंतियों से हम सभी निजात आजीवन अधिगम द्वारा आसानी से पा सकते हैं।

शिक्षा का अर्थ केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना मात्र नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है जीवन के हर पहलू में ज्ञान और अनुभव का समावेश करना। यह हमारे सोचने के तरीके, हमारे दृष्टिकोण, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को एक आकार देने का काम करती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया को जीवनभर जारी रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक सोचने-समझने वाला प्राणी है, और इस क्षमता ने उसे अन्य जीवों से अलग और श्रेष्ठ बनाया है। शिक्षा और ज्ञानार्जन का यह सिलसिला केवल औपचारिक विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। आजीवन सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को निरंतर विकसित और प्रगतिशील बनाए रखती है। आजीवन सीखने से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता हैं।

आज आजीवन सीखने की आवश्यकता समय की मांग है। यह न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

है। इसलिए, शिक्षा प्रणाली, कार्यस्थल, और समाज को आजीवन सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अतः आज यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहें और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों।

अपनी उन्नति जानिए –1

प्रश्न 1- आजीवन सीखने के तीन प्रमुख क्षेत्र कौन-2 हैं**?**

प्रश्न 2- आजीवन सीखने के मुख्य आवश्यकताएं क्या-क्या हैं**?**

6.5 आजीवन सीखने के साधन (Resources of Lifelong Learning)

आजीवन सीखना (Lifelong Learning) एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर सतत रूप में चलती रहती है। आजीवन सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आजीवन सीखने के लिए व्यक्ति विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकता है। कुछ मुख्य साधन निम्नवत हैं:

1. **ऑनलाइन कोर्सेस और प्लेटफॉर्म्स:**

वर्तमान समय में Coursera, edX, Udemy, Khan Academy, और Skillshare जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करते हैं। जिनके माध्यम से हम आजीवन सीखने को साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तथा आजीवन सीखने में विभिन्न विषयों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। इनमें से कई कोर्सेज मुफ्त या कम शुल्क पर उपलब्ध होते हैं और वे सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं।

2. **पुस्तकें और ई-बुक्स:**

आजीवन सीखने के लिए हम ऑनलाइन किताबों को एक साधन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं वर्तमान समय में ई-बुक्स का प्रचलन युवा पीड़ी में अधिक देखने को मिल रहा हैं, जिसमें Amazon Kindle, Google Books, और Project Gutenberg जैसी सेवाएं ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स भी प्रदान करती हैं।

3. **पॉडकास्ट और वेबिनार्स**:

आजीवन सीखने को सतत बनाने के लिए हम पॉडकास्ट और वेबिनार्स के द्वारा नए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के विचारों और उनकी वार्तालाप सुन सकते हैं। जो हम सभी के जीवन में एक नयी प्रेरणा तथा

आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रोत्साहित करती हैं तथा TED Talks, YouTube लेक्चर्स, और अन्य वेबिनार प्लेटफ़ॉर्म्स ज्ञान के साथ-साथ आजीवन अधिगम के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

4. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस (OERs):

ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस (OERs) वे शिक्षण, शिक्षण और शोध सामग्री हैं जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं या एक ओपन लाइसेंस के तहत जारी की गई हैं जो उन्हें मुफ्त में उपयोग, पुन: उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति देती हैं। OERs का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री को सभी लोगों के लिए सुलभ बनाना है।

5. स्वयं अध्ययन और अभ्यास-

स्वयं अध्ययन और अभ्यास (Self-Study and Practice) ज्ञान और कौशल को आत्मसात करने के लिए तथा आजीवन सीखने के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह विधि व्यक्ति को उसकी अपनी गति से सीखने और अपने रुचि के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति से सीखने का प्रयास करता हैं।

6. शैक्षिक संस्थान और पुस्तकालय:

आजीवन सीखने में औपचारिक शिक्षण संस्थानों का एक महत्वपूर्ण स्थान हैं तथा इन औपचारिक शिक्षण संस्थान और इनके पुस्तकालय स्वयं अध्ययन और ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये व्यापक शैक्षिक सामग्री, शैक्षणिक सुविधाएं, और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, जो शिक्षार्थियों को उनकी शैक्षिक यात्रा में तथा आजीवन सीखने में सहायता प्रदान करते हैं।

आजीवन सीखना एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूरे जीवनकाल में चलती रहती है। यह सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनौपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा भी शामिल होती है। आजीवन सीखने के साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये व्यक्ति को नई-नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इन साधनों में पुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार, और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इत्यादि शामिल हैं। आजीवन सीखने के साधनों का उपयोग करके, व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह शिक्षा की सीमाओं को विस्तारित करता है और व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में मदद करता है।

अपनी उन्नति जानिए –2

प्रश्न 1- आजीवन सीखने के मुख्य साधन कोन-कोन हैं **?**

प्रश्न 2- आजीवन सीखने के साधनों में ऑनलाइन प्लेटफार्म क्या-क्या हैं**?**

6.6 सारांश (Summary)

आज वैश्विक स्तर पर आजीवन सीखना केवल एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि यह सम्पूर्ण मानव के लिए आवश्यकता बन गयी है। यह लोगों के न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, और हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तकनीकी में प्रगति, करियर में प्रगति, बदलती अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक अनुकूलनता, और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए आजीवन सीखना अनिवार्य है। इससे हम न केवल वर्तमान में सफल हो सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार रह सकते हैं। आज आवश्यकता हैं कि हम सभी अपने जीवन में हर दिन नए ज्ञान को अपनाने और सीखने के लिए उत्सुक रहें। आजकल की विचारधारा में, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता का स्तर हमेशा बदलता रहता है और इसमें सुधार करने के लिए निरंतर सीखते रहना अत्यंत आवश्यक हो गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी आजीवन सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई विचारधाराओं, संस्कृतियों और तकनीकी प्रगति को समझने के लिए हमें निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता होती है। जो हमें व्यापारिक, सामाजिक और वैज्ञानिक स्तर पर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार, आजीवन सीखने के विभिन्न क्षेत्र हमें एक सकारात्मक और सुगम जीवन जीने में मदद करते हैं। यह हमें नए संभावनाओं की ओर ले जाता है और हमें हमारे समुदाय और समाज के लिए उपयुक्त नागरिक बनाता है। इसलिए, हमें सदैव खुद को सीखने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजीवन सीखने से हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए, हमें जीवनभर सीखने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए।

6.7 शब्दावली (Vocabulary)

- **प्रोद्योगिकी-** प्रोद्योगिकी का अर्थ, विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके नई तकनीक और उत्पादों का विकास और अनुप्रयोग से हैं।

- **करियर विकास-** करियर विकास का अर्थ, किसी व्यक्ति के पेशेवर जीवन में प्रगति और उन्नति की प्रक्रिया से हैं। इसमें शिक्षा, अनुभव, कौशल और ज्ञान के माध्यम से अपने करियर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई गतिविधियाँ और योजनाएँ शामिल होती हैं।

- **तकनीकी विकास**- तकनीकी विकास का अर्थ उन प्रक्रियाओं और प्रगति से है जिसके माध्यम से तकनीक में सुधार और उन्नति होती है। इसमें नए उपकरणों, मशीनों, सॉफ़्टवेयर, और नवीन प्रणालियों का आविष्कार और सुधार शामिल होता है जो मानव जीवन को सरल, अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाते हैं।

- **व्यावसायिक विकास** - व्यावसायिक विकास का अर्थ उन गतिविधियों और रणनीतियों से है जिनका उद्देश्य किसी व्यवसाय को बढ़ाना, विस्तार करना और उसे अधिक सफल बनाना होता है। इसमें विभिन्न कार्य शामिल होते हैं जो व्यापार के विभिन्न पहलुओं को सुधारने और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करते हैं।

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)

अभ्यास प्रश्न 1 के उत्तर -

उत्तर संख्या 1- आजीवन सीखने के तीन प्रमुख क्षेत्रों में मुख्यतः-

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
- कला एवं साहित्य तथा
- भविष्य निर्माण हैं।

उत्तर संख्या 2- आजीवन सीखने की मुख्य आवश्यकताये जैसे व्यक्तिगत विकास में सहायक, सामाजिक अनुकूलन बनाने में आवश्यक, बेहतर समाज के निर्माण में सहायक, पर्यावरणीय चुनौतियों एवं सतत विकास हेतु आवश्यक, नयी चुनौतियों के साथ तालमेल बैठाने हेतु आवश्यक, तकनीकी विकास के साथ समन्वय बनाने हेतु आवश्यक तथा बेहतर समाज के निर्माण में सहायक हैं।

अभ्यास प्रश्न 2 के उत्तर-

उत्तर संख्या 1- आजीवन सीखने के मुख्य साधनों में क्रमशः ऑनलाइन प्लेटफोर्म, ई-बुक्स,यू-ट्यूब, पॉडकास्ट, वेबिनार, कार्यशालाएं तथा पुस्तकालय आदि हैं।

उत्तर संख्या 2- आजीवन सीखने के ऑनलाइन प्लेटफोर्म के रूप में मुख्यतः Coursera, edX, Udemy, Khan Academy, Skillshare, you-tube, Amazon Kindle, Google Books, और Project Gutenberg आदि हैं।

6.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

- गुप्ता,नत्थू लाल. मूल्यपरक शिक्षा और समाज.
- शर्मा,आर.ए. मानव मूल्य एवं शिक्षा.
- शर्मा,आर.ए. शिक्षा और मानव के मूल्य.
- पाण्डेय,आर.एस. मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य.
- सिंह,योगेश. मूल्य शिक्षा.
- Government of India. (1988). National Literacy Mission. New Delhi:
- Haydar,Ates and Kadir,Alsa. (2012). The Importance of Lifelong Learning has been Increasing. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.205 – Retrieved on June 02 2020.
- Jarvis, P. (1990). Adult and Continuing Education: Theory and Practice. London: Routledge.
- Jarvis, P. (2006). 'Lifelong learning: a societal ambiguity' in S. Ehlers (ed.)
- Milestones towards Lifelong Learning Systems, Copenhagen: Danish University of Education Press.
- Jarvis, P. (2007). Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society:
- Taylor & Francis Group, Sociological Perspectives,Lifelong Learning and the Learning Society, Volume 2. London: Routledge,.
- Knapper, C. K. & Cropley, A. (1991). Lifelong Learning and Higher Education. London: Croom Helm.

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

प्रश्न.1- आजीवन सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.2- आजीवन सीखने की मुख्य आवश्यकताओं का सविस्तार वर्णन कीजिये?

प्रश्न.2- आजीवन सीखने के महत्वपूर्ण साधनों का विस्तारपुर्वक वर्णन कीजिये।

Unit 7- विभिन्न संगठनों की भूमिका- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय (Role of Varius Organization-National and International)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)
7.2 उद्देश्य (Objective)
7.3 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (Role of International Organization)
7.4 राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (Role of National Organizations)
7.5 यूनिस्को घोषणा 1997 (UNESCO Declaration 1997)
7 .6 सारांश (Summary)
अपनी उन्नति जाचें प्रश्नों के उत्तर (Answer of Know your progress)
7 . 7 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

आजीवन शिक्षा के प्रत्यय को परिभाषित करने से पहले शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के रूप में 'शिक्षा' का अध्ययन कर लिया है| औपचारिक, गैर-औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षा की अवधारणाओं की स्पष्ट समझ विकसित की होगी। इस प्रक्रिया में आपने न केवल शिक्षा की अवधारणा को अच्छी तरह से समझा होगा, बल्कि 'आजीवन सीखने' की कुछ स्पष्ट समझ भी प्राप्त की होगी। इस स्पष्ट समझ को एक प्रक्रिया में बदलने की आवश्यकता है। इस इकाई से आप सीखने व आजीवन सीखने के दृष्टिकोण को परिष्कृत करेगे । जैसा कि हम सामान्य रूप में कहते है कि शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है | जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है इसी सीखने की प्रक्रिया के द्धारा ही मनुष्य का सतत विकास संभव है |

आजीवन सीखने का विचार हालांकि नया नहीं है, आजीवन सीखने की प्रक्रिया समय व समाज के अनुरूप बदलती रहती है | जीवित रहने,और विकास की प्रतिस्पर्धी मांगों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए समय के साथ व्यक्तियों, समुदायों और समाजों और व्यक्ति के जीवन और कार्य करने के लिए आजीवन शिक्षा आवश्यक है । 'आजीवन शिक्षा' शब्द का उपयोग 1920 के दशक से किया जा रहा है । भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने आजीवन शिक्षा के बारे में विचार किया | इस इकाई में आजीवन शिक्षा तथा आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो की भूमिका का अध्ययन करेंगे|

7.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी –

- आजीवन शिक्षा तथा उसके नीतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में समझ सकेगे |
- आजीवन शिक्षा तथा उसके नीतियों पर राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में समझ सकेगे |
- आजीवन शिक्षा के विभिन आयामों के बारे में समझ सकेंगे |

7.3 आजीवन सीखना :अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (Life long Learing : Role of International Organization)

आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में 1950 के दशक से, वयस्क शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में महत्वपूर्ण विमर्श एवं बदलाव आया है । संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है | तथा समाज के बदलते दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आजीवन सीखने पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का अवलोकन किया और आजीवन शिक्षा तथा साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अनेक आयामों को परिभाषित किया है।

7.3.1 मौलिक शिक्षा (Fundamental Education) 1950s-1960s

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूनेस्को ने साक्षरता को व्यक्तिगत विकास और मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता दी, और बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों का एक हिस्सा माना। निरक्षरता को दूर करने के लिए मौलिक शिक्षा की वकालत की। मौलिक शिक्षा का मुख्य ध्यान लिखने और पढ़ने के बुनियादी कौशल देना था। शीत युद्ध के बाद सार्वभौमिक साक्षरता के लिए विश्वव्यापी अभियान में कमी आयी । यद्यपि, विश्व समुदाय ने निरक्षरता को समाप्त करने और स्वायत्त साक्षरता के बुनियादी कारको को बढ़ावा देने के उपायों की जरूरत को समझा। विकासशील देशों ने अपने स्तर से निरक्षरता को दुर करने एवं आजीवन शिक्षा को आगे बढानें के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों का संचालन किया |

7.3.2 कार्यात्मक साक्षरता (Funcational Lieracy) 1960s-1970s

1960-70 के दशक में,अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मानव पूंजी मॉडल की वकालत की, क्योंकि वे शिक्षा को आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा निवेश मानते थे । इस परिप्रेक्ष्य में, साक्षरता को राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त माना जाता है ।यूनेस्को ने कार्यात्मक साक्षरता की कल्पना की और आर्थिक विकास और साक्षरता के बीच संबंधों पर जोर दिया। प्रायोगिक विश्व साक्षरता कार्यक्रम (EWLP) 1966 में शुरू हुआ| जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन (UNDP) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वित्तीय तथा तकनीकी सहयता प्रदान की | 1973 तक ग्यारह देशों में यह कार्यक्रम संचालित किया गया |

यूनेस्को, (UNESCO)ने कार्यात्मक साक्षरता की एक व्यापक परिभाषा को अपनाया, जो आज भी उपयोग की जाती है| कार्यात्मक रूप से साक्षर व्यक्ति पढ़ने, लिखने और गणना का निरंतर उपयोग करके अपने और समुदाय के विकास में योगदान दे सकता है और उन सभी गतिविधियों में शामिल हो सकता है जिनमें उसके (या उसके) समूह और समुदाय के प्रभावी कामकाज के लिए साक्षरता कीआवश्यकता होतीहै। कार्यात्मक साक्षरता की व्यापक अवधारणा ने कई मानवीय चिंताओं और जीवन से जुड़े कार्यों को शामिल किया है। आजीवन शिक्षा कार्यात्मक की व्यापक अवधारणा में निहित है |

7.3.3 साक्षरता के लिए पाउलो फ्रेयर का कट्टरपंथी दृष्टिकोण(Paulo Freire's Radical Approach to Literacy) 1970s

1970 के दशक में, यूनेस्को (UENSCO) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की साक्षरता के प्रति अवधारणा भी पाउलो फ्रियर के कट्टरपंथी दृष्टिकोण से प्रभावित थी। इस दृष्टिकोण में, पढ़ने, लिखने और अंकगणितय साक्षरता कौशलों को अपने आप में एक अंतिम विकल्प के रूप में नहीं देखा गया था |बल्कि किसी की सामाजिक स्थिति की वास्तविकता के बारे में आलोचनात्मक चेतना विकसित करने और इसे चुनौती देने और बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की स्थिति पैदा करने के साधन के रूप में देखा गया था। यूनेस्को की साक्षरता की अवधारणा पर फ्रेयर का प्रभाव पर्सेपोलिस घोषणा (1975) में परिलक्षित हुआ था| जिसमें स्वीकार किया गया था, कि साक्षरता को बुनियादी कौशलों के रूप में सीखने की प्रक्रिया से परे जाना चाहिए और व्यवहार में साक्षरता की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करना चाहिए|, हालांकि, फ्रेयरियन दृष्टिकोण को विकासशील देशों में कई साक्षरता कार्यक्रमों में अपनाया गया था| ताकि यथास्थिति बनाए रखते हुए विकास उन्मुख साक्षरता कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा सके।

7.3.4 साक्षरता की अवधारणा का विस्तार(Broading the concept of Litracey (1980s-1990s)

1980-90 के दशक की शुरुआत के आरम्भ में वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय निवेश और रुचि में काफी गिरावट आई। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व बैंक के आर्थिक सुधारों के बढ़ते दबाव के साथ, वयस्क शिक्षा की जगह प्राथमिक शिक्षा में निवेश का पक्ष लिया गया। यूनिसेफ(UNICEF) और यूनेस्को(UNESCO) ने 1980 के दशक में इस तरह की प्रवृत्ति के खिलाफ चिंता व्यक्त की और सभी के लिए साक्षरता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। 1980-90 के दशक में विकसित देशों में ज्ञान, कौशल और समझ के स्तर में वृद्धि के लिए नई प्रौद्योगिकियों और अन्य सूचना प्रदान करने वाले साधनों द्वारा ने साक्षरता की परिभाषाओं का विस्तार किया। साक्षरता की अवधारणा को न केवल पढ़ने, लिखने और गणना की क्षमता को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया था, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकि दक्षताओं और कौशल की बहुलता का एक व्यापक समूह भी शामिल किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष (1990) और सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, जोमतियन, थाईलैंड में अपनाया गया, सभी बच्चों, युवा और वयस्क की बुनियादी शिक्षा सीखने की जरूरतों को पूरा करने के व्यापक संदर्भ में साक्षरता की चुनौती को रखा गया | इसके अलावा, हैम्बर्ग घोषणा (1997) ने भी आजीवन सीखने के लिए और सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में साक्षरता का समर्थन किया।

7.3.5 प्रौढ़ साक्षरता और शिक्षा का विस्तार (Growing Adult Literacy and Learning)

प्रौढ़ साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी 2000 ई0 से डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन(Daker Framework of Action) में व्यक्त दो लक्ष्यों के इर्द-गिर्द घूमती हैः "यह सुनिश्चित करना कि सभी युवाओं और वयस्कों की सीखने की जरूरतों, उचित सीखने और जीवन-कौशल कार्यक्रमों तक समान पहुंच के माध्यम से पूरा किया जाए, और 2015 तक वयस्क साक्षरता के स्तर में 50 प्रतिशत सुधार हासिल करना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए और सभी वयस्कों के लिए बुनियादी और निरंतर शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए ।"

डकार (2000) में विश्व शिक्षा मंच के बाद साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय योजनाकारों के बीच नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (उदाहरण के लिए आई.एल.ओ.,विश्व बैंक, ओ.ई.सी.डी., यूनिसेफ, यूनेस्को और यू.एन.डी.पी.) ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, कि निरक्षरता से विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जबकि साक्षरता के प्रति नई रुचि और प्रतिबद्धता उभरी है, संगठनों में साक्षरता के बारे में समझ में स्पष्ट अंतर हैं। 2002 में शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक (2003-2012), साक्षरता को प्रत्येक बच्चे, युवाओं और वयस्कों के लिए आवश्यक जीवन-कौशल के रूप में देखता है | ताकि वे इक्कीसवीं सदी में होने वाले के समाजिक और आर्थिक विकास में भाग ले सकें,और वयस्कों के लिए जीवन-कोशल और आजीवन शिक्षा पर को बुनियादी माना गया |(UNESCO. 2003). हाल के वर्षों में, विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क और गैर-aio शिक्षा (ए.एन.एफ.ई.) की वकालत की है जो केवल साक्षरता पर नहीं बल्कि बच्चों और वयस्कों की सभी संभावित सीखने की जरूरतों पर केंद्रित है (Easton,et. al.. 2003).

गरीबी को कम करने के लिए समर्पित 2000 के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) में शिक्षा प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। वयस्क साक्षरता और सीखने में नए सिरे से रुचि के बावजूद, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि वयस्क साक्षरता और शिक्षा को स्पष्ट रूप से (MDGs) में शामिल नहीं किया गया है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित लक्ष्य 3 में वयस्क शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अपनी उन्नति जाचें:- 1

प्रश्न. 1- आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया ?

(a) UNESCO (b) WTO (c) UNICEF (d) MDGs

प्रश्न .2 विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ?

(a) 5 सितम्बर (b) 8 सितम्बर (c) 10 सितम्बर (d) 12 सितम्बर

प्रश्न 3 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) में सम्मलित है |

(a) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना
(b) अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाना
(c) केवल (a)
(d) (a) & (b) दोनों

7.4 आजीवन सीखना :राष्टीय संगठनों की भूमिका (life Long Learinof National Orgination)

भारत में शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकारेमिलकर काम करते है | केंद्र सरकार शिक्षा नीति एवं योजना के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, और देश में समग्र शैक्षिक विकास के लिए दिशा प्रदान करती है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा की योजना सामान्य शिक्षा नीति के व्यापक संदर्भ में बनाई गई है। (Pate1,2000). केंद्र सरकार देश में समग्र शैक्षिक विकास को निर्देशित करने के लिए नीति निर्माण और योजना बनाने में अग्रणी भूमिका निभाती है, जबकि अलग-अलग राज्य केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट निर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

7.4.1 स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रौढ़ शिक्षा का विकास एवं योजना

1947 में स्वतंत्रता के बाद बड़े पैमाने पर निरक्षरता और कार्यबल के निम्न स्तर के बावजूद केंद्र सरकार ने न तो वयस्क निरक्षर आबादी को शिक्षित करने के लिए कोई संवैधानिक जिम्मेदारी ली और न ही सामान्य शिक्षा नीति के भीतर वयस्क शिक्षा पर जोर दिया। नियोजित विकास के पहले तीन दशकों में सामान्य शिक्षा नीति का प्रमुख जोर औपचारिक शिक्षा की पिरामिड प्रणाली के विस्तार पर था। यह स्पष्ट

रूप से माना जाता था कि सामान्य शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार से वयस्क आबादी में निरक्षरता की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए, वयस्क शिक्षा को शिक्षा नीति और वित्त दोनों के संदर्भ में एक महत्वहीन स्थिति में डाल दिया गया था|

प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रम(1947-77**) -** पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने "वयस्क शिक्षा" शब्द को साक्षरता कार्य तक सीमित होने के रूप में खारिज कर दिया और वयस्क निरक्षरों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में सामाजिक शिक्षा का प्रस्ताव किया। सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख जोर अशिक्षित नागरिकों को स्वास्थ्य, मनोरंजन और आर्थिक जीवन के घटकों को शामिल करते हुए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता कौशल प्रदान करने को प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

किसानों की कार्यात्मक साक्षरता परियोजना:-1960 के दशक की शुरुआत में, वयस्क शिक्षा का ध्यान साक्षरता से कौशल-प्रशिक्षण की ओर स्थानांतरित हो गया। किसान किसान कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (एफएफएलपी) यूनेस्को की प्रायोगिक विश्व साक्षरता परियोजना(FFLP) को किसान तहत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में तीन जिलों में चौथी योजना (1969-74) में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। एफ. एफ. एल. पी. किसान प्रशिक्षण और कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (एफ. आई. एफ. एल. पी.) के तीन घटकों में से एक था| जिसका उद्देश्य किसानों की कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए मानव संसाधनों का उन्नयन करना था। एफ. एफ. एल. पी. का ध्यान किसानों के व्यावसायिक कौशल को उन्नत करने और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उनके बीच आधुनिक दृष्टिकोण, मूल्यों और व्यवहारों को विकसित करने पर था। इसने कार्यात्मक साक्षरता की अवधारणा की वकालत की और व्यावहारिक और तकनीकी कृषि ज्ञान के साथ-साथ बुनियादी साक्षरता कौशल प्रदान करने पर जोर दिया।

युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना (15-25 वर्ष) - पांचवी योजना (1969-79) में शिक्षा के सभी स्तरों में गैर-स्कूली बच्चों, युवाओं और वयस्कों की कई श्रेणियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की वकालत की। इसने वयस्कों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया जो स्कूली शिक्षा से चूक गए थे| ताकि उन्हें सीखने का दूसरा मौका मिल सके। कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य उन्हें उत्पादकों के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तैयार करने के लिए कार्यात्मक रूप से प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना था। अंतर्निहित धारणा यह थी कि कल्याण-उन्मुख विकास कार्यक्रमों के बारे में उपयुक्त कौशल और ज्ञान प्राप्त करने से देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में मदद मिलेगी। व्यवहार में, यह कार्यक्रम एक पारंपरिक साक्षरता कार्यक्रम बना रहा और इस परियोजना का कार्यान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पाया था।

7.4.2 प्रौढ़ शिक्षा का परिवर्तनशील दृष्टिकोण

1986 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति वयस्क साक्षरता शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर रही है | क्योंकि यह पहली बार नियोजित, ठोस और समन्वित प्रयासों के साथ समयबद्ध तरीके से वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। इस नीति ने समाज के अलग-अलग वर्गों के समर्थन और जन आंदोलन के साथ निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक जन दृष्टिकोण के विकास को भी बढ़ावा दिया। एनपीई, 1986 ने स्कूल से बाहर के युवाओं और वयस्कों को लचीले सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए वयस्क शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाने में योगदान दिया। विशेष रूप से, इसने निम्नलिखित की वकालत कीः-

1) इस योजना में प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके युवाओं, स्कूल छोड़ने वालों और वयस्कों के लिए अनौपचारिक, लचीले और आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया |

2) मौजूदा संस्थानों और एजेंसियों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अनौपचारिक व व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान किया | उदाहरण के लिए, सामुदायिक पॉलिटेक्निक, श्रमिक विद्यापीठ (वयस्क शिक्षा केंद्र) ग्रामीण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं प्रेरित किया |

3) आजीवन शिक्षा को न केवल शिक्षा और मानव संसाधन विकास के लिए एक अनिवार्य साधन के रूप में बढ़ावा देना बल्कि स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी उपयोगी है | उच्च स्तर की औपचारिक शिक्षा के लिए दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की वकालत करने के अलावा, नीति में नव-साक्षरों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए जन शिक्षण के माध्यम से शिक्षा जारी रखने और विभिन्न समूहों (श्रमिकों, युवाओं, किसानों, आदि) के लिए प्रस्तावित आवश्यकता-आधारित गैर-औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम और प्रशिक्षण की सिफारिश की गई। उनकी उत्पादकता और कौशल में सुधार करने के लिए प्रयास किये गये|

7.4.3 राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (National Litracy Mission)

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार द्वारा 5 मई, 1988 को शुरु किया गया| यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर देश से निरक्षरता का उन्मूलन करनाहै। रा.सा. मिशन का उद्देश्यन केवल युवा-वयस्कों को पढ़ना, लिखना और गिनती गिनना सिखाना नहीं है बल्कि उन्हें यह समझने में सहायता देना भी है कि वे 'वंचित' क्यों हैं ,और उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। इस प्रकार रा.सा. मिशन का उद्देश्य प्रत्येक निरक्षरों को न केवल साक्षर बनाना बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्रा इकाई के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के मार्गनिर्देशन में कार्य करता है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने दो विशिष्ट कार्यक्रमों संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम एवं उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से अपने उद्देश्यों को आकार देता है। 30 सितंबर,1999 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोनों को साथ मिलकर एक योजना बनाए गयी| साथ जिसका नाम राष्ट्रीय साक्षरताअभियान: रखा गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अपना पहला सफल साक्षरताअभियान केरल राज्य के अंतर्गत कोट्टयम में संचालित किया जिसके बाद इसी राज्य के एर्णाकुलम में इस अभियानका सफल संचालन हुआ। सन्2000 तक देश के लगभग सभी जिलों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम से जोड़ा जा चुका था।राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा देश में संपूर्ण साक्षरताअभियान की पहल का अंतरराष्ट्रीय मान्यता और सराहना प्राप्त हुई जब 1999 में संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक एजेंसी, यूनेस्को ने इसे'यूनेस्को नोमा लिट्रेसी पुरस्कार' प्रदान किया।सौ प्रतिशत साक्षरता-लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने उद्देश्य के मद्देनजर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सक्रिय प्रोन्नयन भूमिका निभा रहा है | साक्षरता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने संपूर्ण साक्षरता अभियानमें महिलाओं को भी शामिल कर देश में महिलाओं को सशक्तीकरण का काम भी करता है।

अपनी उन्नति जाचें -2

प्रश्न-1. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (National Litracy Mission) कब आरम्भ किया गया ?

(A) 16 मई 1988 (B) 5 मई 1988 (C) 6 मई 1988 (D) 10 अप्रैल 1888

प्रश्न-2. यूनेस्को (UNISCO) की स्थापना कब हुई ?

(A) 1945 (B) 1946 (C) 1948 (D) 1950

प्रश्न-3 यूनेस्को घोषणा (UNESCO declaration) कब अपनाया गया |

(A) 10 जनवरी1945

(B) 11 नवंबर 1997

(C) 30 नवंबर 1948

(D) 2 दिसम्बर 1950

7.5 यूनेस्को घोषणा -1997 (UNESCO Declaration 1997)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन(UNESCO) है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है|जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है | यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी और गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से बढ़ावा देती हैं | मानव जीनोम और मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा, जिसे 11 नवंबर 1997 को यूनेस्को के 29वें सत्र में सर्वसम्मति के द्वारा अपनाया गया था, घोषणा के साथ, यूनेस्को के आम सम्मेलन में इसके कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव अपनाया, जो राज्यों को घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों को बढ़ावा देने और उनके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। मानव जीनोम और मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने में राज्यों द्वारा की गई नैतिक प्रतिबद्धता एक प्रारंभिक बिंदु है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता की शुरुआत है। अब यह राज्यों पर निर्भर करता है कि जिन उपायों को अपनाने का निर्णय लिया गया है , उनके माध्यम से घोषणा को लागू करें और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करें।

यूनेस्को घोषणा 1997 अनुसार 'व्यक्तियों की गरिमा, समानता और आपसी सम्मान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों' को संदर्भित करती है, 'व्यक्तियों और नस्लों की असमानता के किसी भी सिद्धांत' को खारिज करती है, यह निर्धारित करती है कि 'संस्कृति का व्यापक प्रसार, और न्याय, स्वतंत्रता और शांति के लिए मानवता की शिक्षा व्यक्तियों की गरिमा के लिए अपरिहार्य है|और एक पवित्र कर्तव्य का गठन करती है जिसे सभी राष्ट्रों को आपसी सहायता की भावना से पूरा करना चाहिए | यह घोषणा करता है कि 'शांति को मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता पर स्थापित किया जाना चाहिए', विश्व के लोगों के शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय शांति के उद्देश्य और मानव जाति के सामान्य कल्याण के लिए सबको प्रयास करने चाहिए |

7.6 सांराश (SUMMARY)

संक्षेप में, बीसवीं शताब्दी के मध्य से साक्षरता के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफी विस्तार हुआ। यह बुनियादी साक्षरता और कौशल के सिमित विकास और मौलिक शिक्षा से दूर आर्थिक विकास, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए आजीवन सीखना महत्वपूर्ण है। साक्षरता की व्यापक समझ उभरी है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक व सास्कृतिक विकास निहित है| आजीवन सीखने के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है |

अपनी उन्नति जाचें:- 1 उत्तर

प्रश्न. 1- आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया ?

उत्तर - (a) UNESCO

प्रश्न .2 विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ?

उत्तर (b) 8 सितम्बर

प्रश्न 3 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) में सम्मलित है |

उत्तर (d)- (a) & (b) दोनों

अपनी उन्नति जाचें:- 2 उत्तर

प्रश्न-1. राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (National Litracy Mission) कब आरम्भ किया गया ?

उत्तर (B) 5 मई 1988

प्रश्न-2. यूनेस्को (UNISCO) की स्थापना कब हुई ?

उत्तर (A) 1945

प्रश्न-3 यूनेस्को घोषणा (UNESCO declaration) कब अपनाया गया |

उत्तर (B) 11 नवंबर 1997

7.7 संदर्भ ग्रन्थ ;

1.Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights - Legal Affairs (www.unesco.org)

2. Bharat Gyan Vugyan Samithi (2002). Impact of Post Literacy. A study sponsored by UNESCO.

3. Centre for Media Studies (2004). Continuing Education Programme: An Impact Study. New Delhi:

4 Karlekar, Malvika ed. (2000). Reading the World: Understanding the Literacy Campaigns irz India. Mumbai: Asian South Pacific Bureau of Adult Education.

5. Kohli, Mamata(2003). The Cosnos of' Education -Tracking the Indian Ekperience. A colnmissioned study. Mumbai: Asian South Pacific Bureau of Adult Education.

6. Mathew, A. (2005). 'Literacy: Real Options for Policy and Practice in India." Background Paper for the Education for All: Global Monitoring Report 2006 - Literacy for Life (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-).
7. Patel, Ila (1999). Adult Education in the Context of Economic Restructuring. Journal of Social and Economic Development, 2(2):2 18-40, July-December.
8. https://www.education.gov.in/nlma.
9. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Mission.

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न -1 आजीवन सीखने के क्षेत्र में राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का विस्तार से वर्णन किजिये |

प्रश्न -2 आजीवन सीखने के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का विस्तार से वर्णन किजिये |

प्रश्न -3 यूनेस्को घोषणा -1997 के उद्देश्यों का वर्णन किजिये |

इकाई 8 - आजीवन सीखना और सामाजिक–आर्थिक ,सांस्कृतिक विकास (Lifelong Learning And Socio-Economic, Cultural Development)

8.1 प्रस्तावना (Introduction)
8.2 उद्देश्य (Objectives)
8.3 आजीवन सीखना और सामाजिक विकास (Lifelong Learning and Social Development)
8.4 आजीवन सीखना और आर्थिक विकास (Lifelong Learning and Economic Development)
8.5 आजीवन सीखना और सांस्कृतिक विकास (Lifelong Learning and Cultural Development)
8.6 सारांश (Summary)
8.7 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)
8.8 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

8.1 प्रस्तावना (Introducation)

बदलते वैश्विक परिदृश्य में आजीवन सीखना व्यक्तियों के लिए अनुकूलन, विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत,सामाजिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देते हुए अपने पूरे जीवन में नया ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हालाँकि, आजीवन सीखने का स्वरूप व्यापक और व्यक्तिगत स्तर से कहीं अधिक विस्तृत है। इसमें समावेशी विकास एवं समावेशी समाज के निर्माण करने की क्षमता होती है | वही हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। विविधता में एकता को बढ़ाने का काम करती है और सभी को भाग लेने और योगदान करने के समान अवसर मिलते हैं।

शिक्षा और संस्कृति, मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जबकि संस्कृति, किसी समाज के जीवन जीने का तरीका है। दोनों ही व्यक्ति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आजीवन सीखना प्रत्येक दृष्टि से लाभदायक है |

8 .2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी –

- आजीवन शिक्षा और समाजिक विकास की अवधारणा को समझ सकेगे |
- आजीवन शिक्षा और आर्थिक विकास की अवधारणा को समझ सकेगे |

- आजीवन शिक्षा और सास्कृतिक विकास की अवधारणा को समझ सकेगे |

8.3 आजीवन सीखना और सामाजिक विकास (Lifelong Learning and Social Development)

1. आजीवन सीखने की अवधारणा-आजीवन सीखने की अवधारणा कोई नई नहीं है। वास्तव में, इसे सदियों से व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान समय में विश्व की बदलते सामाजिक परिवेश में आजीवन सीखने का बहुत महत्त्व है। प्रौद्योगिकी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक अपेक्षाओं में प्रगति के साथ, व्यक्तियों के लिए आजीवन सीखने और अनुकूलन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आजीवन सीखने में जीवन को बदलने, नए अवसरों के द्वार खोलने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है।

2. आजीवन सीखना और व्यक्तित्व विकास में सम्बन्ध - आजीवन सीखने के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक व्यक्तिगत विकास और समाजिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। सक्रिय रूप से नए ज्ञान और कौशल की खोज करके, व्यक्ति अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं, अपनी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। सीखने की यह निरंतर प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाती है, बल्कि व्यक्तियों को नई चुनौतियों से निपटने और आत्मविश्वास के साथ जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में भी सक्षम बनाती है।

3 आजीवन सीखना से व्यक्ति का व्यवसायिक विकास –आजीवन सीखने से व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ व्यवसायिक कौशलो का विकास भी होता है वर्तमान समय में सतत विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने के साथ व्यवसायिक कौशलो का भी होना आवश्यक है | आजीवन सीखना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मिल का पत्थर हो सकता है,आजीविका के लिए नियोक्ता ऐसे व्यक्तियों को महत्व देता है जो व्यवसायिक कौशलो में निपूर्ण हो ऐसे व्यक्ति ही अपने परिवार एवम् समाज के लिए अपना योगदान दे सकते है |आजीवन सीखने की प्रक्रिया समाज एवं व्यवसाय के बदलते स्वरूप में व्यक्ति नये कौशलो को सिख कर अपने आप को अनुकूल बनता है आजीवन सीखने से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रासंगिक बना रहता है एवं रोजगार पाने के संभावनाये बढ़ जाती हैं और करियर में उन्नति के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति नवीनतम रुझान और तकनीकों से अपडेट रहने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में पाठ्यक्रम करना चुन सकता है जिससे उसे मार्केटिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सफल होने की सम्भावना अधिक हो सकती है |

आजीवन सीखना सामाजिक सम्बन्धो और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाता है। सीखना औपचारिक सीखने तक सीमित नहीं है। यह सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने और सामाजिक संबंध बनाने के अवसर प्रदान कर सकता है। आजीवन सीखना नये सामाजिक संबंधो को बनाने में सहायता करता है| सीखने को लंबे समय से सामाजिक परिवर्तन करने और समाज में सकारात्मक

बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में माना जाता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से लेकर समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तक, सीखना व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को समाज में सक्रिय भागीदार बनने और इसकी बेहतरी में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करता है। इसके अलावा, सीखने से गरीबी के चक्र को तोड़ने, हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने और गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता होती है।

4. आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल का विकास -सामाजिक विकास करने में सीखने की भूमिका का एक अन्य पहलू आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान करने की क्षमता निहित है। बदलते वैश्विक परिवेश में जटिल चुनौतियों से निपटने और सामाजिक प्रगति में योगदान देने के लिए अर्जित कौशल व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीखने की प्रणालियाँ जो समस्या- समाधान और छात्रों को सवाल पूछने, विश्लेषण करने और नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं | ऐसी शिक्षण प्रणाली से ऐसे नागरिको को तैयार करने की अधिक संभावना होती है जो गंभीर सामाजिक समस्याओं से निपट सकते हैं।

5 **. सतत विकास के लिए आजीवन सीखना-**वर्तमान समय तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में, सतत विकास की अवधारणा ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त की है | सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हों। निरंतर सीखना व्यक्तियों और समुदायों की उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मानसिकता से युक्त करता है और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सामाजिक समानता, जो सुनिश्चित करती है कि सभी की संसाधनों, अवसरों और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच हो, सतत विकास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरंतर सीखने से सामाजिक असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके समावेशिता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बेरोजगार लोगों को नौकरी से सम्बंधित विशिष्ट कौशलों को सिखाया जा सकता हैं जिससे वे अपने रोजगार को सुरक्षित रख सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें।

आजीवन सीखना सतत विकास,जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत विकास के सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके व्यक्तियों को अधिक परिपक्व और न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से युक्त कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है |इन लक्ष्यों में मुख्य-निर्धनताको कम करना, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली,शून्य

भूख,सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, आदि लक्ष्यों को प्राप्त करने में आजीवन सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है।आजीवन सीखने के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्संबंध को समझ सकते हैं और एक अधिक शसक्त समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।

6. **आजीवन सीखना और समुदाय -** आजीवन सीखने की प्रक्रिया ऐसे समुदायों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो अभी तक हाशिए (Marginalised) पर है। इन समुदायों के लिए आजीवन सीखने की पहल करते समय उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ऐसे समुदायों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन सिखाने की प्रक्रिया को इस दृष्टिकोण से लचीला बनाने और सीखने के अधिक अवसर प्रदान करने का उद्देश्य होना चाहिए। इन समुदायों के कार्यो एवं समय के अनुसार आजीवन सीखने के प्रक्रिया को समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, शाम या सप्ताहांत की कक्षाओं की पेशकश उन लोगों को शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सक्षम बना सकती है, जो दिन के समय काम करते हैं या देखभाल की जिम्मेदारियां निभाते हैं। इन समुदायों को सामजिक,आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार प्रासंगिक सामग्री और शिक्षण विधियों का समावेश करने से सीखने के अनुभवों को बढ़या जा सकता है। जिससे अपनेपन और पहचान की भावना तथा अपनी संस्कृति को संरक्षसित कर सकते है। आजीवन सीखने की पहल की सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संगठनों के सहयोग से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की पहचान की जा सकती है। क्योंकि इन संगठनों को इनकी गहरी समझ होती है, और वे सीखने और संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक आंदोलनों और केंद्रों के साथ साझेदारी करके, आजीवन सीखने के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और अधिक प्रभावशाली बनाने में इन संगठनों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता हैं।

अपनी उन्नति जानिए -1)

प्रश्न 1. आजीवन सीखने से जीवन में कैसे बदलाव लाये जा सकते है ?

(a) सकारात्मक (b) नकारात्मक (c) उपरोक्त दोनों (d) दोनों में से कोई नहीं

प्रश्न 2. आजीवन सीखने के प्रमुख लाभ है –

(a) व्यकित्त्व का विकास में सहायक

(b) समाजिक विकास में सहायक

(c) व्यसायिक कौशलों के विकास में सहायक

(d)उपरोक्त सभी |

प्रश्न 3 .सयुक्त राष्ट्र द्धारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य(MDGs) है –

(a) निर्धनता को कम करना

(b) अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली

(c) सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

(d) उपरोक्त सभी |

8.4 आजीवन सीखना और आर्थिक विकास (Lifelong learning and Economic Development

आजीवन सीखना किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह कुशल कार्यबल प्रदान करने में मदद करता है साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे नए अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। शिक्षा में निवेश करने से उत्पादकता में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा में निवेश करने से एक उच्च कुशल कार्यबल तैयार हो सकता है जो व्यवसायों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकता है तथा भविष्य की जरूरतों के अनुसार कार्यबल को तैयार करने में मदद मिल सकती है और समग्र उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सभी सामाजिक स्तरों में शिक्षा की पहुँच बनाकर एक विविध और सक्षम कार्यबल को तैयार करने एवं विभिन्न उद्योगों की मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। आजीवन शिक्षा से नवाचार के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे व्यवसायों को नए विचारों और प्रौद्योगिकी के द्धारा उत्पादकता की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। यह व्यक्तियों को उच्च वेतन, बेहतर नौकरियों, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जीने में सहायक होता है ।

आजीवन शिक्षा व्यक्तियों को अतिरिक्त कौशल और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है जो समुदायों के अन्दर सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। उन क्षेत्रों में

संसाधन और सहायता प्रदान करते हैं, जहाँ शैक्षिक अवसर सीमित होते हैं | इसके अलावा शिक्षा में निवेश करके, सरकारें एक अधिक शिक्षित समाज बना सकती हैं जो भविष्य के लिए बेहतर ढंग से विकास में सहयोग प्रदान कर सकते है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में और सभी पृष्ठभूमि के लोगों को उनके चुने हुए पेशे या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता के समान अवसर प्रदान करके असमानता को कम करने में मदद करता है।

आजीवन सीखने और आर्थिक विकास में संबंध -आजीवन सीखने और आर्थिक विकास के बीच संबंध को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि आजीवन सीखना आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष रूप से, शिक्षित नागरिक अधिक रोजगार योग्य होते हैं, जिससे उन्हें श्रम बल में उच्च मूल्य-वर्धित भूमिकाएँ निभाने के अवसर प्राप्त होते है, जो जीडीपी उत्पादन में वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक है।अप्रत्यक्ष रूप से, आजीवन सीखना सकारात्मक सोच में वृद्धि , नवाचार को बढ़ावा देने, नए व्यवसायों का सृजन करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विषय में जानकारी और बेहतर पहुंच के माध्यम से आर्थिक विकास तथा समाज में सकारात्मक को बढ़ाने में बहमूल्य योगदान करती है।

उत्पादकता में वृद्धि और तकनीकी सुधार जैसे सार्वजनिक लाभ उत्पन्न करने के अलावा, शिक्षा सामाजिक समानता के साधन के रूप में कार्य करती है। उच्च शिक्षा के अवसर सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ बनाए में चाहे उनकी जाति या लिंग कुछ भी हो। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच से वंचित लोगों को मध्यम वर्ग में अधिक गतिशीलता प्रदान करके अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने में आजीवन सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आजीवन सीखने में निवेश से जीवन स्तर में सुधार-शिक्षा में निवेश एक ऐसा निवेश है जो कभी घाटे में नहीं जा सकता है शिक्षा में निवेश करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और समाज में आर्थिक विषमता,समाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा अधिक उत्पादक नागरिक बनाने में मदद करती है और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देती है, और समाज में सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है । शिक्षा में निवेश करने से अपराध दर में भी कमी आ सकती है, क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि उच्च स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों के अपराध करने की संभावना कम होती है। शिक्षा में निवेश से नौकरी की बेहतर संभावनाएं बनती हैं और आय की संभावना भी बढ़ती है, जिससे व्यक्ति खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सकता है। शिक्षा में निवेश से शिक्षित आबादी का निर्माण होता है, जिससे ज्ञान और संसाधनों तक पहुंच होती है, और दैनिक

समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं, जिससे सामाजिक प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

आजीवन शिक्षा गरीबी और असमानता को कम करने में सहायक -किसी भी देश में गरीबी और असमानता को कम करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है । यह लोगों को बेहतर नौकरी और उच्च वेतन पाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे गरीबी से बच सकते हैं। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को भी मजबूत करती है, जिससे व्यक्ति जन्म या भाग्य के बजाय योग्यता के आधार पर सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ सकता है।इसके अतिरिक्त, आजीवन सीखना व्यक्तियों को समाज में उच्च स्थान, रोजगार के नये अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेक अवसरों तक पहुँच को व्यापक बनाकर एक अधिक समतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकती है। नतीजतन, यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है, साथ ही व्यक्तियों को मूल्यवान जीवन कौशल सिखा सकता है जिसका उपयोग वे अपने आस-पास की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं।

शिक्षा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान देकर सशक्त बनाती है, जिससे उन्हें समाज में होने वाले उत्पीड़न से लड़ने में मदद मिलती है। शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके समाजिक-आर्थिक रूप से शसक्त बनाती है और रोजगार के अधिक के अवसर देकर समाज में गरीबी और असमानता को कम कर सकती है। वर्तमान में सरकारें अनेक व्यवसायिक कौशल निशुल्क में कराती है , जो व्यकियो को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने में आसन कर देती है प्रौद्योगकी के माध्यम से शिक्षा का लाभ उठाने से अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है, जिससे दूरदराज और वंचित समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

आजीवन शिक्षा : रोजगार और मजदूरी- किसी देश की आर्थिक वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से उसके नागरिकों को मिलने वाली शिक्षा को दिया जाता है। शिक्षा व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता और नौकरी बाजार के परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को अपने करियर में अधिक अवसर और उच्च वेतन मिलने की संभावना होती है, जैसा कि महामंदी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया था। जब अधिक लोग शिक्षित होते हैं, तो उनके पास रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान होता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है, जो जीडीपी, मजदूरी और वेतन में वृद्धि में योगदान दे सकती है।

नियोक्ता व्यसायिक डिग्री रखने वाले योग्य कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिससे वेतन में वृद्धि में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा, शिक्षा के स्तर में वृद्धि से तकनीकी प्रगति हो सकती है जो नई नौकरियों का सृजन करती है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। आजीवन शिक्षा व्यक्तियों को समस्या-समाधान कौशल को बढ़ाने में मदद करती है ,जो

उन्हें जटिल समस्याओं का त्वरित और कुशलता से विश्लेषण करके समाधान करने में निपूर्ण बनाती है। यह उन्हें किसी स्थिति या कार्य को सर्वोत्तम तरीके से और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जिससे संगठनों के लिए बेहतर परिणाम मिलते हैं और मूल्यवान सेवा प्रदान करने वालों के वेतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक रूप से ऊपर उठने में मदद करता है |

8.5 आजीवन सीखना और सांस्कृतिक विकास की अवधारणा (Concept of Lifelong Learning and Cultural Development)

संस्कृति और शिक्षा एक-दूसरे के पर्याय हैं। संस्कृति का काम है- संस्करण अर्थात् परिष्कार करना। यही काम शिक्षा भी करती है। समाज की रचना में भी संस्कृति का विशेष योगदान रहता है। किसी भी सामाजिक संरचना को समझने के लिए संस्कृति एक आवश्यक तत्व है। संस्कृति समाज को संगठित रखती है। जीवन शैली के स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य संस्कृति करती है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम् उपसर्ग कृ-धातु स्तिन प्रत्यय से हुई है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का समन्वय है। संस्कृति का सम्पूर्ण जीवन शैली से सम्बन्ध होता है। सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है। भौतिक तथा अभौतिक है संस्कृति को क्रमशः सभ्यता तथा संस्कृति कहा जाता है।

राल्फ लिंटन के अनुसार- "संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है, जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचरित होते हैं।"

संस्कृति का अर्थ (Meaning of Culture) -

संस्कृत भाषा में "सम्" उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु में "ति" प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द उत्पन्न होता है। संस्कृति = सम + कृति अर्थात "अच्छी प्रकार से सोच समझकर किये गए कार्य"। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द 'परिष्कृत कार्य' अथवा उत्तम स्थिति का बोध कराता है, किन्तु इस शब्द का भावार्थ अत्यन्त व्यापक है। अंग्रेजी में वस्तुत: संस्कृति के लिए (Culture) शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुत: संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्ति, नैसर्गिक शक्तियों और उनके परिष्कार का द्योतक है। किसी देश की संस्कृति अपने को विचार, धर्म, दर्शन काव्य संगीत, नृत्य कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन क्षेत्रों में जो सृजन करता है और अपने सामूहिक जीवन को हितकर तथा सुखी बनाने हेतु जिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रथाओं को विकसित करता है उन सब का समावेश ही हम 'संस्कृति' में पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है संस्कृति की प्रक्रिया एक साथ ही आदर्श को वास्तविक तथा वास्तविक को आदर्श बनाने की प्रक्रिया है।

संस्कृति की परिभाषा (Definition of Culture) -

संस्कृति समाज का मानव को श्रेष्ठतम वरदान है संस्कृति का अर्थ उस सब कुछ से होता है, जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है या समझ पाता है. संस्कृति की कतिपय परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं-

ओटावे (Ottaway) के अनुसार-

"किसी समाज की संस्कृति का अर्थ समाज के संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है।"

"The culture of society means the total way of life of a society."

टायलर (Tylor) के अनुसार-

"संस्कृति बहुत जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है।

मैकाइवर (MacIver) के अनुसार-

"संस्कृति हमारे जीवन के दैनिक व्यवहारों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद, रहन-सहन और विचार की विधियों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है।"

मैकआइवर एवं पेज ने कहा भी है-

"हम जो हैं, वह संस्कृति है, हम जो इस्तेमाल करते हैं वह हमारी सभ्यता है।"

क्यूबर (Cuber) के अनुसार-

"मानव विज्ञान के शब्दों में संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों और सिखे हुए व्यवहारों के परिणाम के सतत परिवर्तनशील रुप को कहते हैं. इन सीखे व्यवहारों में अभिवृत्ति, आदर्श, ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ सम्मिलित हैं. जिन्हें समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं।"

महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के अनुसार-

"संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यवहारों से इसे प्रकट होना चाहिए।"

सदरलैण्ड एवं वुडवर्थ-

संस्कृति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित की जा सकती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति उसकी विरासत होती है। संस्कृति, व्यक्ति तथा समाज के व्यवहारों का समग्र रूप है। समाज के नवीन सदस्य इसी समग्रता के कारण ही समाज के पूर्व प्रचलित व्यवहार को सीखते हैं।

प्रत्येक समाज ने अपनी-अपनी भाषाएं विकसित की हैं, अपने-अपने रहन-सहन एवं खानपान की विधियाँ, व्यवहार प्रतिमान, रीति-रिवाज, भाषा-साहित्य, कला-कौशल, संगीत-नृत्य, धर्म-दर्शन, आदर्श-विश्वास और मूल्य विकसित किए हुए हैं और यह एक-दूसरे से भिन्न हैं और यही इनकी अपनी अलग पहचान है. तब संस्कृति को निम्लिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

"किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन-सहन एवं खानपान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार-विचार, रीति-रिवाज, कला-कौशल, संगीत-नृत्य, भाषा-साहित्य,

धर्म-दर्शन, आदर्श-विश्वास और मूलों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होते हैं।"

संस्कृति के संरक्षण में आजीवन सीखाने की भूमिका(Education and Culture) -

आजीवन शिक्षा से ही हम **संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है | शिक्षा के द्धारा हम समाज में** सांस्कृतिक विलम्बन (Cultural Lag) जो एक सामाजिक अवधारणा है को समाप्त कर सकते है | सांस्कृतिक विलम्बन (Cultural Lag) संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में बदलाव की असमान गति का वर्णन करती है। यह तब होता है जब एक पहलू, जैसे कि तकनीकी विकास, तेजी से बदलता है, जबकि अन्य पहलू, जैसे कि सामाजिक मानदंड और मूल्य, धीरे-धीरे बदलते हैं। शिक्षा सांस्कृतिक विलम्बन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह लोगों को विभिन्न संस्कृतियों, सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में शिक्षित कर सकती है। शिक्षा लोगों को महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और अनुकूलन कौशल भी प्रदान कर सकती है।

सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसे तकनीकी विकास तेजी से हुए हैं, लेकिन सामाजिक मानदंड और मूल्य इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में धीमे रहे हैं। वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब ला दिया है, लेकिन इसने सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी चिंता पैदा कर दी है।जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए सामाजिक व्यवहार और नीति में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह धीरे-धीरे हो रहा है। इन सब समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है | जब सामाजिक मानदंड और मूल्य तेजी से बदलते हैं, तो यह सामाजिक तनाव और संघर्ष पैदा कर सकता है तथा विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो यह सांस्कृतिक टकराव पैदा कर सकता है। इस प्रकार के तनाव और संघर्ष को आजीवन शिक्षा से दूर किया जा सकता है |

आजीवन सीखने और संस्कृति के बीच घनिष्ठ सम्बंध

इस संबंध में ब्रामेल्ड (Brameld) कहते हैं -"संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व का कारण भी प्रदान करती है।" शिक्षा अपने रूप-रेखा का निर्माण समाज की संस्कृति के अनुसार ही करती है और संस्कृति का निर्माण समाज के उपकरणों, विचार और मूल्यों के आधार पर ही होता है. यदि किसी समाज की संस्कृति में आध्यात्मिकता का प्रमुख स्थान है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है. इसके साथ-साथ किसी समाज की संस्कृति का संरक्षण समाज के माध्यम से ही होता है. इस प्रकार संस्कृति शिक्षा को और शिक्षा संस्कृति को प्रभावित करते हैं-

आजीवन सीखने का संस्कृति पर प्रभाव(Impact of Education on Culture)

एक ओर यह बात सत्य है, कि किसी समाज की संस्कृति का प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है तो दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि किसी समाज की शिक्षा का प्रभाव उसकी संस्कृति पर पड़ता है. संस्कृति पर शिक्षा के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है-

(1). आजीवन सीखना संस्कृति का संरक्षण करती है- शिक्षा के माध्यम से ही किसी समाज की संस्कृति सुरक्षित और जीवित रहती है. किसी समाज की संस्कृति युग-युग की साधना का परिणाम होती है. इसलिए उस समाज का उससे बहुत लगा होता है और वह उसे सुरक्षित रखना चाहता है. और यह कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है. औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक साधनों के द्वारा शिक्षा संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है. वर्तमान पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी शिक्षा के द्वारा ही होती है।

(2). आजीवन सीखना संस्कृति का स्थानांतरण करती है- शिक्षा संस्कृति का केवल संरक्षण ही नहीं करती अपितु नई पीढ़ी में उसका स्थानांतरण भी करती है. शिक्षा के कारण ही संस्कृति अपने अस्तित्व को बनाए रखती है. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का स्थानांतरण करके शिक्षा संस्कृति को अमरत्व प्रदान करती है।

(3). आजीवन सीखना संस्कृति का विकास करती है- यद्यपि प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को उसी रूप में सुरक्षित रखना चाहता है जिस रूप में वह उसे प्राप्त करता है. परंतु समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं वह निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता है. ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का कार्य है कि वह संस्कृति में वांछित परिवर्तन लाए और उसे विकास की ओर उन्मुख करें. युग और काल के अनुशासन, संस्कृति का विकास करना और उसको उपयोगी बनाना शिक्षा का उत्तरदायित्व है।

(4). आजीवन सीखना संस्कृति का परिमार्जन करती है- समय के साथ-साथ संस्कृति के अनेक तत्व अनुपयोगी और निरर्थक हो जाते हैं और अपनी उपयोगिता खो देते हैं. इसके अतिरिक्त अशिक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ और अंधविश्वासों आदि के कारण संस्कृति में अनेक बुराइयां पैदा हो जाती हैं. शिक्षा संस्कृति के इन अनुपयोगी और निरर्थक तत्वों तथा उसमें पैदा हुई बुराइयों का निष्क्रमण कर संस्कृति को परिमार्जित करती है और उसके रूप को निकाल कर उसे उपयोगी बनाती है।

(5). आजीवन सीखना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती हैं- शिक्षा संस्कृति के अनुकूल बालक के व्यक्तित्व का विकास करती है. शिक्षा व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों- बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक आदि के विकास के लिए सांस्कृतिक उपकरणों को प्रयोग में लाती है और नित्य-नवीन उपकरणों

की रचना करती है. शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है और ऐसे व्यक्तित्व समाज की संस्कृति को उन्नत करते हैं।

अपनी उन्नति जानिए

प्रश्न 1 . आजीवन सीखना आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि –

(a) यह एक कुशल कार्यबल तैयार करने में सहायक होता है

(b) नवाचार को प्रोत्साहित करता है

(c) आर्थिक गतिविधियों को बढानें में सहायक है

(d) उपरोक्त सभी

प्रश्न 2. "किसी समाज की संस्कृति का अर्थ समाज के सम्पूर्ण जीवन पद्धति से होता है" किसने कहा है –

(a) ओटावा (b) टायलर (c) महात्मा गाँधी (d) विवेकानंद

प्रश्न 3 .आजीवन शिक्षा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है (सत्य /असत्य)

8 .6 सारांश (summary)

आजीवन सीखना शब्द पहली बार 1968 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में प्रयुक्त किया गया था| आजीवन सीखाना ज्ञान प्राप्त करना और जीवन भर नए कौशलों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है| यह व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने में सहायक हैं| समाज के बदलते स्वरूप के साथ–साथ अपने आप को समायोजित करने एवं व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने का साधन हैं जिससे व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे प्रकार से कर सकता है और राष्ट्र के विकास में अपनी मूल्यवान भागीदारी सुनिश्चित करता है | आजीवन सीखने से सामाजिक असमानता, निर्धनता सामाजिक बुराईयों का निराकरण अच्छे प्रकार से किया जा सकता है |आजीवन सीखना सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं |

अपनी उन्नति जानिए प्रश्नों के उत्तर -1

प्रश्न 1 . (c), प्र श्न 2. (d) प्रश्न 3. (d)

अपनी उन्नति जानिए प्रश्नों के उत्तर -2

प्रश्न 1 . (d), प्र श्न 2. (a) प्रश्न 3. सत्य

8 .7 संदर्भ ग्रन्थ(Refrence)

1. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights - Legal Affairs (www.unesco.org)

2. Bharat Gyan Vugyan Samithi (2002). Impact of Post Literacy. A study sponsored by UNESCO.

3. Centre for Media Studies (2004). Continuing Education Programme: An Impact Study. New Delhi:

4 Karlekar, Malvika ed. (2000). Reading the World: Understanding the Literacy Campaigns irz India. Mumbai: Asian South Pacific Bureau of Adult Education.

5. Kohli, Mamata (2003). The Cosnos of' Education -Tracking the Indian Ekperience. A colnmissioned study. Mumbai: Asian South Pacific Bureau of Adult Education.

6. Mathew, A. (2005). 'Literacy: Real Options for Policy and Practice in India." Background Paper for the Education for All: Global Monitoring Report 2006 -Literacy for Life (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php)

7. Patel, Ila (1999). Adult Education in the Context of Economic Restructuring. Journal of Social and Economic Development, 2(2):2 18-40, July-December.

https://www.education.gov.in/nlma.

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Mission.

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न -1 आजीवन सीखने का समाजिक विकास में क्या प्रभाव पड़ता है ? व्यख्या कीजिए |

प्रश्न -2 आजीवन सीखने का आर्थिक एवं सास्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिऐ |

इकाई 09 : आजीवन शिक्षा और व्यावसायिक विकास (Lifelong Learning and Professional Development)

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

9.2 उद्देश्य (Objectives)

9.3 आजीवन सीखना की अवधारणा (Concept of lifelong learning)

9.4 व्यावसायिक विकास की अवधारणा (concept of professional development)

9.5 आजीवन सीखने एवं व्यावसायिक विकास की विशेषताएँ (Characteristics of lifelong learning and professional development)

9.6 आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम (Lifelong learning and professional development programs

9.7 व्यावसायिक विकास हेतु प्रभावी रणनीतियाँ (Effective Strategies for Professional Development)

9.8 व्यावसायिक विकास की शिक्षण विधियां (Teaching methods of professional development)

अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

9.9 आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के बीच संबंध (The relationship between lifelong learning and professional development.)

9.10 सारांश (Summary)

9.11 शब्दावली (Glossary)

9.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

9.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

9.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

आजीवन सीखना सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सीखने के तरीकों में से एक है और यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी जीवन प्रक्रियाओं पर आधारित है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है | यह आज के तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक बाजार में कैरियर ग्रोथ और निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है, ताकि किसी भी व्यक्ति के कार्यबल में प्रवेश करने के बाद उसे निरंतर शिक्षा और कैरियर प्रशिक्षण देने, उसे नए कौशल विकसित करने, वर्तमान रुझानों से अवगत रहने और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिल सके| व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं व्यक्तियों को व्यावसाय के रुझानों से अवगत रहने और नई दक्षताएँ हांसिल करने के अवसर प्रदान करते हैं जिससे उनकी निरंतर व्यावसायिक विकास की सफलता सुनिश्चित होती है | आजीवन सीखने वाले तेजी से बदलते परिवेश में खुद को बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए अपने समर्पण का प्रदर्शन करते हैं । कंपनियां उन कर्मचारियों में निवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं जो सक्रिय रूप से अपने कौशल को बढ़ाने और उद्योग की प्रगति के साथ अपडेट रहने के अवसर तलाशते हैं । आजीवन सीखना ज्ञान और कौशल के साथ-साथ जिज्ञासा, रचनात्मकता और विकास की मानसिकता को बढ़ावा देकर व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ाता है। आजीवन सीखने वाले निरंतर सुधार के जुनून से प्रेरित होते हैं और नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित होते हैं। आजीवन सीखने की यात्रा शुरू करके, व्यक्ति नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं और अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। निरंतर सीखने के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अप्रयुक्त प्रतिभाओं को उजागर कर सकता है, नए जुनून की खोज कर सकता है और एक पूर्ण और सफल करियर बना सकता है । आजीवन सीखने का मानव जीवन की दृष्टि से कितना महत्व है और व्यावसायिक विकास में आजीवन सीखना कितना लाभदायक और उपयोगी है | इस इकाई के अध्ययन से समझ पाएंगे |

9.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

1. आजीवन सीखना एवं व्यावसायिक विकास की अवधारणा को समझ सकेंगे |
2. आजीवन सीखना एवं व्यावसायिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगें |
3. आजीवन सीखना एवं व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों को बता पाएँगे |
4. आजीवन सीखने एवं व्यावसायिक विकास के प्रभावी रणनीतियों को समझ सकेंगे |
5. शिक्षा में आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के बीच संबंध को समझने में सक्षम हो सकेंगे|

9.3 आजीवन सीखना की अवधारणा (Concept of lifelong learning)

आजीवन शिक्षा का विचार सीखने वाले समाज का मूलमंत्र है। जीवन भर सीखने की अवधारणा 'लाइफलॉन्ग लर्निंग' शब्द का उपयोग 1920 के दशक में देखा जा सकता है, जिसका उपयोग येक्सली (1921) और लिंडमैन (1926) द्वारा किया गया था, लेकिन इसे यूनेस्को (फौरे एट अल।, 1972) के काम से लोकप्रिय बनाया गया था। "लर्निंग टू बी: द वर्ल्ड ऑफ़ एजुकेशन टुडे एंड टुमॉरो" की प्रस्तावना में कहा गया है: प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहने की स्थिति में होना चाहिए। । यूनेस्को की डेलर्स की रिपोर्ट "लर्निंग: द ट्रेजर विदइन" (1996) ने आजीवन सीखने को सभी शिक्षा के लिए प्रतिमान के रूप में घोषित किया और एक एकीकृत नीति रूपरेखा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत विकास को सक्षम करने वाले चार स्तंभों की पहचान की | इस प्रकार डेलर्स आयोग (1996) ने शिक्षा की एक एकीकृत दृष्टि का प्रस्ताव रखा –"जीवन भर सीखना" और इसने सीखने के चार स्तम्भ का सुझाव दिया-

1. जानना सीखना (Learning to Know) जो किसी की एकाग्रता, स्मृति कौशल और सोचने की क्षमता विकसित करने से संबंधित है |
2. करना सीखना (Learning to Do) जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमता से संबंधित है |
3. बनना सीखना (Learning to Be) शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास में योगदान देना चाहिए|
4. एक साथ रहना सीखना (Learning to Live Together) यह विश्व हिंसा को कम करने और सभी लोगों की समानता और परस्पर निर्भरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

1997 में, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित वयस्क शिक्षा पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (CONFINTEA V) ने इस शब्द को और स्पष्ट करते हुए कहा कि आजीवन सीखने की अवधारणा उस सीखने को संदर्भित करती है जो जीवन के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान होती है, जबकि वयस्क शिक्षा पूरी तरह से संदर्भित होती है। वयस्कता के लिए सीखने के अधिकार पर हैम्बर्ग घोषणा सीखने के अधिकार पर हैम्बर्ग घोषणा "वयस्क शिक्षा में औपचारिक और सतत शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और एक बहु-सांस्कृतिक शिक्षण समाज में उपलब्ध अनौपचारिक और आकस्मिक शिक्षा का स्पेक्ट्रम शामिल है, जहां सिद्धांत- और अभ्यास-आधारित दृष्टिकोणों को मान्यता दी गई है। यह आवश्यक है कि जीवन भर शिक्षा के अधिकार की मान्यता के साथ-साथ इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाने के उपाय भी होने चाहिए"| व्यापक परामर्श, सूचना साझाकरण, संवाद के आधार पर आजीवन सीखने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। प्राथमिकताओं, रणनीतियों और संस्थागत समर्थन को निर्दिष्ट करने वाले बहु-क्षेत्रीय नीति ढांचे के विकास के आधार के रूप में भागीदारी, साक्षरता, अनौपचारिक वयस्क शिक्षा और बुनियादी शिक्षा पर मौजूदा नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें आजीवन सीखने के संदर्भ में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

9.4 व्यावसायिक विकास की अवधारणा (concept of professional development)

व्यावसायिक विकास की अवधारणा को विकास की एक अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके दौरान एक व्यक्ति एक स्वायत्त पेशेवर के रूप में काम करने के लिए आवश्यक योग्यता का स्तर प्राप्त करता है। व्यावसायिक विकास का अर्थ है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सीखने और प्रशिक्षण के माध्यम से खुद को बेहतर बनाना | व्यावसायिक विकास के लिए संस्थान अपने कर्मचारियों को उसके व्यावसायिक विकास हेतु और अधिक सिखाने के लिए प्रशिक्षण देती है ताकि कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र के भीतर नए रुझानों से अपडेट रह सके और मौजूदा तरीकों में नए अभ्यास लागू कर सके | लेकिन एक कर्मचारी आमतौर पर अपने पेशेवर विकास पर स्वतंत्र रूप से काम करता है जैसे कि कक्षाएँ लेना, सेमिनार और संगोष्ठियों में जाना, कार्यशाला आयोजित करना, खुद को नए कौशल सीखाना आदि|

व्यावसायिक विकास वह सीख है जो एक विशिष्ट पेशेवर कैरियर क्षेत्र में शिक्षा की ओर ले जाती है जो हस्तांतरणीय कौशल और सैद्धांतिक शैक्षणिक ज्ञान के अलावा अभ्यास पर जोर देते हुए व्यावहारिक नौकरी में लागू कौशल का निर्माण करती है। इसका उपयोग पेशेवर स्कूलों के रूप में जाने जाने वाले संस्थानों में औपचारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से पेशेवर प्रमाणन या अकादमिक डिग्री जैसे पेशेवर प्रमाण पत्र अर्जित करने या बनाए रखने, या नए कौशल को मजबूत करने या हासिल करने के लिए सम्मेलनों और अनौपचारिक सीखने के अवसरों में भाग लेने के लिए किया जाता है। व्यापक अर्थ में, व्यावसायिक विकास में शिक्षक, सैन्य अधिकारी और गैर-कमीशन अधिकारी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, आर्किटेक्ट, वकील, एकाउंटेंट और इंजीनियर, डॉक्टर जैसे विभिन्न प्रकार के लोग व्यावसायिक विकास में संलग्न होते हैं। व्यक्ति आजीवन सीखने में रुचि, नैतिक दायित्व की भावना, पेशेवर क्षमता को बनाए रखने और सुधारने, कैरियर की प्रगति को बढ़ाने, नई तकनीक और प्रथाओं से अवगत रहने के लिए स्वतंत्र रूप से अपना व्यावसायिक विकास कर सकते हैं|

9.5 आजीवन सीखने एवं व्यावसायिक विकास की विशेषताएँ (Characteristics of lifelong learning and professional development)

ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) (1996) ने आजीवन सीखने की अवधारणा की चार मुख्य विशेषताओं की पहचान की है-

(i) एक व्यवस्थित दृष्टिकोण: यह आजीवन सीखने की सबसे विशिष्ट विशेषता है- शिक्षा नीति के सभी प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण क्षेत्र-विशिष्ट हैं। आजीवन सीखने की रूपरेखा सीखने के अवसरों की मांग और आपूर्ति को पूरे जीवन चक्र को कवर करने वाली एक जुड़ी हुई प्रणाली के हिस्से के रूप में देखती है और इसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सभी प्रकार शामिल हैं।

(ii) शिक्षार्थियों की केंद्रीयता: इसके लिए फोकस के आपूर्ति-पक्ष से ध्यान हटाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, सीखने के लिए औपचारिक संस्थागत व्यवस्था पर, शिक्षार्थी की जरूरतों को पूरा करने की मांग-पक्ष पर।

(iii) सीखने की प्रेरणा: यह सीखने के लिए एक आवश्यक आधार है जो जीवन भर जारी रहता है। इसमें स्व-गति और स्व-निर्देशित शिक्षा के माध्यम से "सीखने की क्षमता" विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iv) शिक्षा नीति के एकाधिक उद्देश्य: जीवनचक्र दृष्टिकोण शिक्षा के कई लक्ष्यों को पहचानता है, जैसे व्यक्तिगत विकास, ज्ञान विकास, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य- और इन उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं किसी व्यक्ति के पाठ्यक्रम के अनुसार बदल सकती हैं।

1975 में, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन (यूआईई) ने आजीवन शिक्षा को विकसित किया तीन बुनियादी शब्द जिन पर अवधारणा का अर्थ आधारित है, वे हैं जीवन, आजीवन और शिक्षा जिसके आधार पर इसकी विशेषताओं को समझा जा सकता है |

2. शिक्षा औपचारिक स्कूली शिक्षा के अंत में समाप्त नहीं होती बल्कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो क्यक्ति के व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |

3. आजीवन शिक्षा केवल वयस्क शिक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें व्यावसायिक विकास भी शामिल है | शिक्षा के सभी चरणों - पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक इत्यादि को एकीकृत किया है। इस प्रकार आजीवन शिक्षा को उसकी समग्रता में देखा जा सकता है|

4. आजीवन शिक्षा में शिक्षा के औपचारिक, गैर-औपचारिक और अनौपचारिक पैटर्न में व्यावसायिक विकास शामिल हैं।

5. इस प्रक्रिया को शुरू करने में घर पहली, सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

यह प्रक्रिया किसी के पूरे जीवनकाल तक चलती रहती है पारिवारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का आजीवन सीखना और व्यावसायिक विकास जारी रहता है ।

6. समुदाय आजीवन शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है | उस समय से जब बच्चा इसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। यह अपना शैक्षणिक कार्य जारी रखता है और व्यस्क होने पर जीवन भर पेशेवर और सामान्य दोनों क्षेत्रों में भूमिका का निर्वहन करता है।

7 . आजीवन शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास अपने कार्यक्षेत्र में निरंतरता और अभिव्यक्ति चाहती है |

8. चरित्र शिक्षा के अभिजात्य स्वरूप के विपरीत, आजीवन शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास सार्वभौमिक है | यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

9. आजीवन शिक्षा की विशेषता एवं व्यावसायिक विकास इसकी सामग्री में लचीलापन और विविधता है, सीखने के उपकरण और तकनीकें, और सीखने का समय।

10. आजीवन शिक्षा, शिक्षा का एक गतिशील दृष्टिकोण है जो व्यावसायिक विकास हेतु सीखने की सामग्री और माध्यम से अनुकूलन की अनुमति देता है |

11. आजीवन शिक्षा व्यावसायिक विकास प्राप्त करने के वैकल्पिक पैटर्न और रूपों की अनुमति देती है।

12. आजीवन शिक्षा के दो व्यापक घटक हैं: सामान्य और पेशेवर। यह घटक एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं हैं बल्कि अंतर-संबंधित हैं |

15. आजीवन शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के अनुकूल एवं नवोन्मेषी कार्य सम्पन्न होते हैं |

16. आजीवन शिक्षा मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियाँ दूर कर व्यावसायिक विकास में सुधारात्मक कार्य करती है|

17. आजीवन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य गुणवत्ता को बनाए रखना और व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना है।

18. आजीवन शिक्षा के लिए तीन प्रमुख शर्तें हैं, अर्थात् अवसर, प्रेरणा और व्यावसायिक योग्यता

19. आजीवन शिक्षा व्यावसायिक विकास के लिए एक आयोजन सिद्धांत है।

20. परिचालन स्तर पर, आजीवन शिक्षा सभी शिक्षा की एक समग्र प्रणाली प्रदान करती है।

9.6 आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम (Lifelong learning and professional development programs)

आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं -

1. **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (Training course) -** प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व्यावसायिक विकास को पूरा करने का सबसे प्रसिद्ध तरीका है और इसकी अवधि एक दिन से लेकर कई दिनों या कई हफ़्तों तक हो सकती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अक्सर एक विषय के लिए विशिष्ट होंगे या उद्योग के किसी विशेष क्षेत्र में कौशल प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कभी-कभी अन्य प्रकार की शिक्षा भी शामिल हो सकती है,

जैसे व्याख्यान, सेमिनार और कार्यशालाएं | इन्हें व्यक्तिगत रूप से कक्षा शैली में या ऑनलाइन या संभवतः दोनों का मिश्रण भी प्रदान किया जा सकता है।

2. संगोष्ठी (Seminar)- सेमिनार एक प्रकार का लघु पाठ्यक्रम है और आम तौर पर यह कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक का होता है। व्यावसायिक विकास हेतु सेमिनार किसी विशेष विषय पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करते हैं। सेमिनार आम तौर पर 20 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक समूह सेटिंग में आयोजित किए जाते हैं। इन सेमिनारों में समूह कार्य, गतिविधियां और इंटरैक्टिव चर्चा शामिल होती है | ताकि व्यक्तियों को योगदान करने का अवसर मिल सके, जिससे ज्ञान को बेहतर तरीके से धारण किया जा सके। सेमिनार व्यक्तियों के लिए अपने उद्योग या अन्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए भी हो सकता है।

3. कार्यशालाएं (Workshop)- कार्यशाला एक इंटरैक्टिव शैक्षिक समूह सत्र है जिसमें आम तौर पर 1 से 5 दिनों तक की शिक्षा शामिल होती है। कार्यशालाएँ और सेमिनार समान हैं, लेकिन उनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। कार्यशाला समूह आमतौर पर सेमिनारों से छोटे होते हैं। कार्यशालाएं सैद्धांतिक कम होती हैं और सीखने के लिए अधिक व्यावहारिक कौशल दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जिसमें व्यावहारिक अभ्यास, ब्रेकआउट सत्र और रोल प्ले शामिल हो सकते हैं। कार्यशालाएं मुख्य रूप से गतिविधि और अभ्यास पर आधारित होती हैं, इससे समूह को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक संदर्भ में लागू करने का अवसर मिलता है और कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण मिलता है।

4. वेबिनार (Webinar)- वेबिनार एक ऑनलाइन शिक्षण गतिविधि है जो वर्चुअली आयोजित की जाती है और इसमें ऑनलाइन दर्शक भाग लेते हैं। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य पेशेवरों को नई और प्रासंगिक जानकारी के बारे में संक्षिप्त तरीके से शिक्षित और सूचित करना होता है। वेबिनार बातचीत और भाग लेने, मेजबानों से सवाल पूछने, या सर्वेक्षण पूरा करने और उपस्थित लोगों के बीच दस्तावेज़ साझा करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। वेबिनार इस मायने में उपयोगी हैं कि उन्हें किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं |

5. सम्मेलन (Cconference)- सम्मेलन आम तौर पर बड़े संस्थानों पर आयोजित किए जाते हैं जो मुख्य सत्र से शुरू होते हैं और फिर विषय के अनुसार ब्रेकआउट लर्निंग प्रदान करते हैं। संगठन किसी विशेष

प्रायोजन का विकल्प चुन सकते हैं | जिसमें प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है | ऐसा करने से शैक्षिक व्यावसायिक विकास सीखने का अवसर जुड़ सकता है|

6. ऑनलाइन व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम (Online Professional Development Courses)- ऑनलाइन व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम सीखने की एक तेजी से लोकप्रिय विधि है, और यह सुविधाजनक और किफायती भी है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है और पाठ्यक्रम सामग्री को ऑनलाइन मुफ्त में साझा किया जा सकता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम व्यक्तियों को अन्य कार्य और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप उपयुक्त समय और कार्यक्रम में भाग लेने की सुविधा प्रदान करते हैं।

7. सतत व्यावसायिक विकास Continuing professional development (CPD)- सतत व्यावसायिक विकास का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी विभागों में गुणवत्ता का स्तर उच्च बना रहे। सीपीडी व्यक्तियों को कैरियर प्रगति योजना बनाने के लिए एक कार्यात्मक मंच प्रदान करता है जो नई नौकरी के अवसरों, मौजूदा भूमिका में विकास और उच्च आय के अवसरों के प्रति उनके उद्देश्यों का समर्थन करता है । सीपीडी सीखने के विभिन्न तरीकों के संदर्भ में लचीलापन और विविधता प्रदान करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सबसे उपयुक्त सीखने की शैली पा सके । जिससे व्यक्ति एक पेशेवर काम पर अपने द्वारा किए जा सकने वाले सकारात्मक प्रभाव के लिए बहुत अधिक सराहना पाने में सक्षम होता है।

8. संगठनों के लिए सी.पी.डी. (CPD for organizations)- CPD एक स्वस्थ सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो एक अधिक संतुष्ट और मूल्यवान कार्यबल का नेतृत्व कर सकता है । प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले सभी संगठनों को प्रमुख कर्मचारियों को बनाए रखने और अपने उद्योग में अग्रणी के रूप में खुद को अलग करने में मदद करने के लिए नए तरीके खोजने की आवश्यकता है । CPD का उपयोग किसी संगठन के भीतर ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। कार्यस्थल में CPD का अनुप्रयोग ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों के प्रति एक विचारशील निर्णय और प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि व्यावसायिकता महत्वपूर्ण है।

CPD कार्यस्थल में संभावित कौशल अंतराल की पहचान करने में मदद करता है और उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जहाँ व्यवसाय में सुधार किया जा सके। संगठन की ओर बेहतर प्रतिभा को प्रोत्साहित करके, नई भूमिकाओं के लिए भर्ती करते समय उच्च स्तर के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए सतत व्यावसायिक विकास का उपयोग किया जाना चाहिए। सीपीडी व्यवसाय के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार के लिए एक उपकरण है, साथ ही कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं में भी मदद करता है।

9.7 व्यावसायिक विकास हेतु प्रभावी रणनीतियाँ (Effective Strategies for Professional Development)

व्यावसायिक विकास और करियर में उन्नति के लिए आजीवन सीखना आवश्यक है। इसमें विकास और अनुकूलन के लिए लगातार नए ज्ञान और कौशल की तलाश करना शामिल है। आजीवन सीखने वाले ही आजीवन शिक्षार्थी बनकर अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि चल रहे व्यावसायिक विकास के अवसरों को अपनाना आजीवन सीखने की कुंजी है। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर उनके शैक्षणिक कौशल और तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षण पर केंद्रित कार्यशालाओं, वेबिनार और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लेकर, शिक्षक छात्रों को आभासी कक्षाओं में संलग्न करने, सार्थक चर्चा की सुविधा प्रदान करने और समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ सीख सकते हैं| इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन शिक्षण में व्यावसायिक विकास शिक्षकों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करके विचारों के आदान-प्रदान और अनुभवी ऑनलाइन शिक्षकों से सीखने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं| ये इंटरैक्शन एक सहायक और गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देते हैं जहां शिक्षक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन शिक्षण अभ्यास को बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोण खोज सकते हैं | शिक्षा के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के साथ अपडेट रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका निर्देश आज के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है | मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षकों

के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आजीवन सीखने एवं व्यावसायिक विकास के कुछ प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं:-

1. **नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाएँ (Make a habit of reading regularly)-** नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करने से आप ढेर सारे ज्ञान और विविध दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं। विभिन्न शैलियों और विषयों की खोज करके अपनी समझ का विस्तार कर सकते हैं और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
2. **ऑनलाइन कक्षाएं लें (Take Online Classes)-** आजीवन सीखना शिक्षकों को उभरती प्रौद्योगिकियों और शैक्षिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करता है। नवीनतम रुझानों और नवाचारों पर अपडेट रहकर शिक्षक अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नए टूल और डिजिटल संसाधनों को एकीकृत कर सकते हैं, जिससे उनके छात्रों के लिए गतिशील और इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव तैयार हो सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं या व्यावसायिक विकास कार्यशालाओं में नामांकन करें। सीखने के ये लचीले अवसर आपको नए कौशल हासिल करने, अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करने और नवीनतम उद्योग रुझानों के साथ अपडेट रहने की अनुमति देते हैं। प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति और शिक्षा पर उनके प्रभाव के आलोक में डिजिटल कक्षा में उनकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास डेटा-संचालित निर्देश आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए शैक्षिक डेटा का विश्लेषण करना शामिल है जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बेहतर बना कर शैक्षिक क्षेत्रों की पहचान कर सकते है ताकि छात्रों की जरूरतों और प्रगति के अनुरूप निर्देशात्मक निर्णय लेने में सक्षम हो सकें |

3. सीखने के लक्ष्य निर्धारित करें (Set Learning Goals)- अपनी आजीवन सीखने की यात्रा को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए स्पष्ट सीखने के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने से फोकस और प्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है।

4. दूसरों के साथ नेटवर्क (Network with Others)- नेटवर्किंग कार्यक्रमों, उद्योग सम्मेलनों या ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से अपने क्षेत्र में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ें। साथियों के साथ

सहयोग और विचारों का आदान-प्रदान मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और सीखने के नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।

5. सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें (Practice Active Listening)- सक्रिय श्रवण कौशल को तेज करने से आप दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों से पूरी तरह जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं। वक्ताओं या प्रशिक्षकों को सक्रिय रूप से सुनने से सार्थक सीखने को बढ़ावा मिलता है और गहरी समझ विकसित होती है|

6 . अपने सीखने पर विचार करें (Reflect on Your Learning) - आपने जो सीखा है उस पर विचार करने के लिए समय निकालें और यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर कैसे लागू होता है। जर्नलिंग या नियमित आत्म-प्रतिबिंब नए ज्ञान को ठोस बनाने में मदद करता है और वास्तविक दुनिया के संदर्भों में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है। इन आदतों को अपनाकर और अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप आजीवन सीखने वाले बन सकते हैं और निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा पर निकल सकते हैं। साक्ष्य बताते हैं कि आजीवन सीखने को अपनाने से करियर के विकास में बहुत योगदान मिल सकता नया ज्ञान और कौशल हासिल करने की उनकी क्षमता उन्हें अलग करती है और उनके पदोन्नत होने की संभावना बढ़ जाती है।

7. व्यक्तिगत विकास में निवेश करें (Invest in personal development)- आजीवन सीखने वाले अपने विकास में लगातार निवेश करके बेहतर नौकरी के अवसरों और बढ़ी हुई कमाई की क्षमता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं | शोध से पता चलता है कि उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में औपचारिक डिग्री या प्रमाणपत्र वाले व्यक्तियों को बिना डिग्री वाले लोगों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। आजीवन सीखने का उच्च कमाई क्षमता से सीधा संबंध है। XYZ इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति सक्रिय रूप से चल रहे सीखने के अनुभवों और व्यावसायिक विकास पहलों में संलग्न होते हैं, वे अपने साथियों की तुलना में औसतन 10-15% अधिक कमाते हैं |

8. उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतन रहें (Stay updated with industry trends)- उद्योग के विकास के साथ अद्यतन रहकर, उभरते रुझानों की खोज करके और नए कौशल प्राप्त करके, पेशेवर अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अनुकूलनशीलता व्यक्तियों को आत्मविश्वास से नई चुनौतियों को

स्वीकार करने, विविध भूमिकाएँ निभाने और विकास और उन्नति के अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देती है। यह उन्हें अनिश्चितता से उबरने और तेजी से प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा से आगे रहने में सक्षम बनाता ऐसे उद्योग जहां तकनीकी प्रगति और डिजिटल परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, वे अक्सर उन पेशेवरों को पुरस्कृत करते हैं जो निरंतर सीखने के माध्यम से आगे रहते हैं।

9. विकास की मानसिकता बनाएँ (Develop a growth mindset)- आजीवन सीखने वालों में विकास की मानसिकता होती है, वे लगातार व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों की तलाश करते हैं। वे सक्रिय रूप से पदोन्नति का प्रयास करते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं और आत्म-सुधार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। ये गुण उन्हें संगठनों के लिए मूल्यवान संपत्ति बनाते हैं, जो अक्सर उच्च वेतन और बेहतर करियर संभावनाओं में तब्दील होता है।

10. अनुकूलन क्षमता को मजबूत करें (Strengthen adaptability)- आजीवन सीखने को अपनाकर, व्यक्ति अपने करियर के विकास को बढ़ा सकते हैं, अपनी अनुकूलन क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और आज के प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में अपनी कमाई की क्षमता बढ़ा सकते हैं। शिक्षण संबंधी उत्कृष्टता बनाए रखने और ऑनलाइन वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर सीखना और अनुकूलन महत्वपूर्ण है।

11. सम्मेलनों में भाग लें (Attend conferences)- व्यावसायिक विकास के अवसर सम्मेलनों में भाग लेने से, शिक्षकों को अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखने और नवीनतम शिक्षण पद्धतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मौका मिलता है। ये सम्मेलन नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षकों को विचारों और रणनीतियों का आदान-प्रदान करने की अनुमति मिलती है। परामर्श कार्यक्रमों में भाग लेने से शिक्षकों को अनुभवी शिक्षकों से सीखने, उनकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन से लाभ उठाने में मदद मिलती है। जब शिक्षक अपने पेशेवर विकास को आगे बढ़ा रहे हों तो सलाहकार बहुमूल्य प्रतिक्रिया दे सकते हैं, व्यावहारिक सुझाव साझा कर सकते हैं और सहायता प्रदान कर सकते हैं।

12. पेशेवर संगठनों में शामिल हों (Join professional organizations)- पेशेवर संगठनों में शामिल होने से शिक्षकों को समान विचारधारा वाले पेशेवरों के विशाल नेटवर्क तक पहुंच मिलती है। ये संगठन अक्सर निरंतर सीखने और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए संसाधन, व्यावसायिक विकास के अवसर

और मंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा, शिक्षक अपनी शिक्षण प्रथाओं को बेहतर बनाने और अपने छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अनुसंधान में संलग्न होते हैं। अनुसंधान उन्हें साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अपने छात्रों की विविध सीखने की शैलियों और क्षमताओं को पूरा करने के लिए अपने निर्देश को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

शिक्षा क्षेत्र में आजीवन सीखना गहराई से अंतर्निहित है क्योंकि शिक्षक लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हैं। आजीवन सीखने को अपनाकर, शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अपने छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और लगातार विकसित हो रहे शैक्षिक परिदृश्य के अनुरूप ढल रहे हैं।

9.8 व्यावसायिक विकास की शिक्षण विधियां (Teaching methods of professional development)

व्यावसायिक विकास की विभिन्न शिक्षण विधियां हैं जिनके माद्यम से पेशेवर अपना व्यवसायिक विकास कर सकते है जो निम्न लिखित हैं: -

1. **सक्रिय शिक्षण (Active learning)-** सक्रिय शिक्षण में आम तौर पर इंटरैक्टिव और भागीदारी-आधारित अध्ययन शामिल होता है। यह अक्सर सक्रिय होता है और इसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, सेमिनार, सम्मेलन, ई-लर्निंग पाठ्यक्रम या सीपीडी प्रमाणित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। सक्रिय शिक्षण कैरियर-उन्मुख परीक्षा देने वाले पेशेवरों पर भी लागू हो सकता है |

2. **चिंतनशील सी.पी.डी. / निष्क्रिय शिक्षण (Reflective CPD /passive learning)-** चिंतनशील सीपीडी एक संरचित प्रारूप है जो व्यावसायिक विकास की सीखने की विधि को परिभाषित करता है | हालांकि इसमें आमतौर पर कोई प्रतिभागी-आधारित बातचीत नहीं होती है इसलिए सीपीडी का यह रूप संरचित सीपीडी की तुलना में बहुत अधिक निष्क्रिय और एक दिशात्मक होता है। चिंतनशील सीपीडी के उदाहरणों में प्रशिक्षण वीडियो और ट्यूटोरियल देखना, गैर-संवादात्मक व्याख्यान में भाग लेना, उद्योग ब्रीफिंग, पॉडकास्ट, केस स्टडी और उद्योग अपडेट शामिल होते हैं।

3. **अनौपचारिक सी.पी.डी./ स्व-निर्देशित शिक्ष (Informal CPD / self-directed learning)-** स्व-निर्देशित सीपीडी में सभी तरह की बिना किसी साथी और बिना किसी संरचना के सीखने की प्रक्रिया

शामिल है। इसमें प्रिंट और ऑनलाइन माध्यम से मंचों पर चर्चा, किताबें, लेख और प्रकाशन पढ़ना शामिल है | प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को भी शामिल किया गया है | स्व-निर्देशित सीपीडी में विशिष्ट सीखने की समय-सीमा नहीं होती है, यह अनौपचारिक है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीखने के परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

प्र.1 आजीवन सीखने के चार स्तम्भ का सुझाव---------- ------- दिया है |

प्र.2 आजीवन शिक्षा ----------चलने वाली प्रक्रिया है |

प्र.3, यूनेस्को की डेलर्स की रिपोर्ट का नाम ----------है |

प्र.4 व्यावसायिक विकास कैरियर में उन्नति का एक महत्वपूर्ण घटक है | सत्य / असत्य

प्र.5 जानना सीखना, करना सीखना, बनना सीखना और एक साथ रहना सीखना "जीवन भर सीखने" के स्थम्भ हैं | सत्य / असत्य

प्र.6 व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों है ?

9.9 आजीवन सीखने और व्यावसायिक विकास के बीच संबंध- (The relationship between lifelong learning and professional development.)

आजीवन शिक्षा के दो व्यापक घटक हैं: सामान्य और पेशेवर। यह घटक एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं हैं बल्कि अंतर-संबंधित हैं | आजीवन सीखना व्यावसायिक विकास को बढ़ाता है क्योंकि आजीवन सीखना बहुआयामी और परस्पर संबद्ध होते हुए भी यह व्यावसायिक शब्द से उभरा है | शिक्षा और वयस्क शिक्षा. यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाजों में प्रकट हुआ है | इसकी अपनी पहचान है | स्वभाव में लचीला होते हुए भी अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग अर्थ होता है | जीवन के सभी चरणों और उम्र को कवर करता है। एस्पिन और चैपमैन (2007) ने आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक समाज की तीन मुख्य ज़रूरत बताई -

1. आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिए

2. व्यक्तिगत विकास एवं व्यावसायिक विकास की पूर्ति हेतु

3. सामाजिक समावेशिता और लोकतांत्रिक समझ और भागीदारी के लिए

चूँकि, व्यावसायिक विकास के लिए वॉटकिंस और ड्वरी (1994) का सुझाव है कि पेशेवरों के विकास की रणनीतियों के चार समूह हैं-

1- नई मानसिकता का विकास करना

2- किसी के कौशल को बढ़ावा देना और उसका विपणन करना, नेटवर्किंग करना और संबंध विकसित करना सीखना।

3- आत्म अंतर्दृष्टि विकसित करना और व्यक्तिगत प्रभार लेना |

4- प्रशिक्षण संस्थानों की एक श्रृंखला का विकास करना |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई)-1986 के व्यावसायिक विकास हेतु प्रशिक्षण की स्थापना के सिफारिश के परिणामस्वरूप पूरे देश में यूजीसी के शैक्षणिक स्टाफ कॉलेजों की शुरुआत हुई| फलस्वरूप आज भारत में व्यावसायिक विकास के लिए सभी प्रकार की क्षमताओं, रुचियों को प्राप्त करने और अद्यतन करने के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई-2020) में भी स्कूल-पूर्व के वर्षों से लेकर सेवानिवृत्ति के बाद तक का ज्ञान और योग्यताएँ, जो बढ़ावा देती हैं उस ज्ञान और दक्षताओं का विकास जो ज्ञान-आधारित अनुकूलन को सक्षम करेगा और समाज एवं सीखने के सभी प्रकार के व्यावसायिक विकास के प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया है | सीखने को अब किसी भी एक अनुशासन में सिमित नहीं किया गया है | ज्ञान प्राप्त करने का स्थान और समय (स्कूल) और ज्ञान को लागू करने का स्थान और समय (कार्यस्थल) । क्योंकि आज विद्यार्थियों के पास उनकी क्षमता से कहीं अधिक जानकारी भरी हुई है और कल के कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक जानने की आवश्यकता होगी ।

आजीवन सीखना हमारे समाज के भविष्य का आविष्कार करने के लिए एक आवश्यक चुनौती है | यह एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जरुरत है | आजीवन सीखना वयस्क शिक्षा से कहीं अधिक है | प्रशिक्षण के माध्यम से यह लोगों के लिए उनके व्यावसायिक विकास की सीखने की एक मानसिकता और आदत है।

9.10 सारांश (Summary)

आजीवन सीखना एवं व्यावसायिक विकास, करियर में उन्नति के एक महत्वपूर्ण घटक है। आज के तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार में, जो व्यक्ति आजीवन सीखने को अपनाते हैं, वे अनुकूलन करने, बढ़ने और सफल होने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। चल रहे व्यावसायिक विकास में सक्रिय रूप से संलग्न होकर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। आजीवन सीखने के माध्यम से लगातार नए ज्ञान और कौशल की खोज करने से व्यक्तियों को अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करने, अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने और कार्यस्थल में अपना मूल्य बढ़ाने की अनुमति मिलती है। आजीवन सीखना औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के सीखने के अवसर शामिल होते हैं जो व्यक्तियों को कौशल और अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त आजीवन सीखना अनुकूलनशीलता और चपलता को बढ़ावा देता है, जो समकालीन व्यवसायों की गतिशील मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक गुण हैं। नया ज्ञान प्राप्त करने और उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों के साथ अद्यतन रहने से करियर की संभावनाएं बढ़ती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। अंततःआजीवन सीखना व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुष्टि प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। व्यावसायिक विकास के अवसरों का लाभ उठाकर, व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं, अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और अपने करियर को लगातार विकसित कर सकते हैं। आजीवन सीखना एक यात्रा है जो विकास को बढ़ावा देती है, लचीलापन पैदा करती है, और कैरियर उत्कृष्टता की खोज में अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है।

9.11 शब्दावली (Glossary)

आजीवन सीखना:- आजीवन सीखना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और कौशल की निरंतर खोज है।

सतत व्यावसायिक विकास :-- सभी के लिए बेहतर और अधिक स्थाई भविष्य हासिल करना | अर्थात सतत विकास वह विकास है, जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता का त्याग किये बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करता है |

9.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

उ .1 डेलर्स आयोग 1996 ने दिया

उ .2 जीवन पर्यन्त

उ .3 "लर्निंग: द ट्रेजर विदइन"

उ.4 सत्य

उ .5 सत्य

उ .6 विषय के ज्ञान क्षेत्र में विस्तार एवं नीतियों तथा योजनाओं को लागू करने व व्यक्तिगत पेशेवर विकास की पूर्ति हेतु आवश्यक है |

9.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1 . Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27 (1), 10-20.

3. Chapman, J.D. and Aspin, D.N. (1997) The School, the Community and Lifelong Learning London: Cassell Delors, J. (1996). Learning: The treasure within Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO.
4. Klug, J., Krause, N., Schober, B., Finster Wald, M., & Spiel, C. (2014). How do teachers promote their students' lifelong learning in class? Development and first application of the LLL Interview. Teaching and Teacher Education, 37(1), 119-129
5. Aylin Kaplan (2016) LIFELONG LEARNING: CONCLUSIONS FROM A LITERATURE REVIEW, Institute of Graduate Studies & Research, European

University of Lefke, North Cyprus International Online Journal of Primary Education 2016, volume 5, issue 2 IOJPE ISSN: 1300 – 915X www.iojpe.org

6. Kaur Jagjit (2017) Lifelong Learning and professional Development, International Journal of Research in Social Sciences and Humanities vol.No.7, Issue N0. III, July-Sep. e-ISSN:2249-4642, P-ISSN:2454-4671: http://www.ijrssh.com
7. Cpduk.co.uk/explained.
8. National Education Policy. (2020). (See www.mhrd.gov.in/sites/upload_ files/ mhrd /files/NEP_Final_English.pdf) – Retrieved on August 2, 2020
9. https:// hi.wikipedia.org / wiki /
10. https: // www.topsiksha.com/shahrikaran-or-shahri-jivan /
11. https: // www.shaala.com /question paper-solution / cbsc-hindi-b-class-10-2023-2024-board samplepaper18577

9.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

प्र.1 आजीवन शिक्षा की अवधारणा की सविस्तार व्याख्या कीजिए |

प्र.2 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए व्यावसायिक विकास के प्रभावी रणनीतियों का उल्लेख कीजिए |

प्र.3 आजीवन शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए |

प्र.4 आजीवन शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास के बीच अंतर संबंधों की चर्चा कीजिए |

प्र.5 व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों का सविस्तार वर्णन कीजिए |

प्र.6 आजीवन शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास की विधियों की चर्चा कीजिए |

इकाई 10 : आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास, कठिन और कोमल कौशल विकास (Skill Development through Lifelong Learning, Hard and Soft Skill Development by lifelong learning)

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

10.2 उद्देश्य (Objectives)

10 .3 आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास (Skill development through lifelong learning)

10.4 आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व (Need and importance of skill development through lifelong learning)

10 .5 आजीवन सीखने के माध्यम से कठिन कौशल विकास (Hard skills development through lifelong learning)

10.5.1 कठिन कौशल को विकसित करने के संसाधन (Resources to Develop Hard Skills)

10 .6 आजीवन सीखने के माध्यम से कोमल कौशल विकास (Soft skills development through lifelong learning)

10.6 .1 कोमल कौशल को विकसित करने के उपाय (Ways to develop soft skills)

अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

10 .7 कठिन कौशल विकास और कोमल कौशल विकास में अंतर

(Difference between hard skill development and soft skill development)

10.8 सारांश (Summary)

10.11 शब्दावली (Glossary)

10.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

10.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

10.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

9.1 प्रस्तावना (Introduction

सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया होती है। आजीवन सीखने की यात्रा एक ऐसी गतिशील यात्रा होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। आजीवन सीखना किसी व्यक्ति के जीवन पर्यन्त लगातार ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की अवधारणा है और यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को आकार देने में अपार शक्ति रखती है। तेजी से बदलती दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी प्रगति और सामाजिक बदलाव अभूतपूर्व गति से हो रहे हैं | इसलिए नए कौशल हासिल करने के लिए और नई चीजों को अपनाने और सीखने की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आजीवन सीखना हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए सशक्त बनाता है। जीवन पर्यन्त सीखते रहने के माध्यम द्वारा स्वयं के जीवन को सरल एवं सहज बनाने की युक्ति कौशल विकास कहलाती है । ये अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएँ होती हैं जो मनुष्य को दैनिक जीव न की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों से प्रभावी रूप में सामना करने के योग्य बनातीं हैं। इस इकाई में आप आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास को समझ पायेंगें साथ ही एवं कठिन और कोमल विकास के बीच अंतर स्पष्ट कर पायेंगें |

10 .2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

1. आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास को समझ सकेंगे |
2. कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व को बता पाएंगे |
3. आजीवन सीखने के माध्यम से कठिन विकास को समझ सकेंगें |
4. कठिन कौशल को विकसित करने के संसाधनों को समझ सकेंगे |
5 . आजीवन सीखने के माध्यम से कोमल विकास को समझ सकेंगें |
6. कोमल कौशल को विकसित करने के उपाय बता पाएंगे |

5. कठिन विकास और कोमल विकास में अंतर स्पष्ट कर सकेंगें |

10 .3 आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास

(Skill Development through Lifelong Learning)

कौशल विकास से सम्बन्धित व्यावहारिक शिक्षाएँ हमें सकारात्मक, सफल एवं संतुष्ट जीवन जीने में सहायता प्रदान करतीं हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों कौशल विकास से सम्बन्धित शिक्षाएँ संयम, स्थिरता, समर्पण एवं समाधान के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करतीं हैं जिससे कोई भी मनुष्य स्वस्थ व सुखी और सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। कौशल विकास शिक्षाओं के अंतर्गत शिक्षार्थियों को समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, संचार, नेतृत्व, समस्या समाधान एवं स्वस्थ्य जीवन शैली से सम्बन्धित विभिन्न कौशल सिखाए जाते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व की भावना तथा समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने की क्षमता विकसित होती हैं। इस प्रकार के समस्त कौशल सरलता से अर्जित किए जा सकते हैं तथा इनमें अग्रिम सुधार भी संभव होता है। इसके अतिरिक्त सात्विक चिंतन, स्वयं की देखभाल, आलस मुक्त जीवन, स्व-कर्तव्य बोध एवं मनोभाव से कार्य करना इत्यादि भी कुछ ऐसे कौशल हैं जिनके विकास द्वारा निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरणा व सहायता प्राप्त होगी। आजीवन सीखने के कौशल, सीखने और काम करने की नींव प्रदान करते हैं। वे व्यापक रूप से छात्रों की सोच, आत्म-प्रबंधन और सामाजिक संपर्क का समर्थन करते हैं, जिससे शिक्षा और कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सामूहिक रूप से आजीवन सीखने के कौश वह साधन है जिसके द्वारा छात्र शैक्षणिक सामग्री में महारत हासिल करते हैं और ज्ञान को क्रियान्वित करते हैं। आजीवन सीखने के कौशल वे क्षमताएं हैं जिनका उपयोग आप जानकारी प्राप्त करने और अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद के लिए कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जो लोग आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके बढ़ते कौशल सेट के कारण पदोन्नति पाने और पेशेवर अवसर प्राप्त करने की अधिक संभावना हो सकती है। कुछ आजीवन सीखने के कौशल में टीम वर्क, तकनीकी दक्षता और आलोचनात्मक सोच शामिल हैं। आजीवन सीखने के कौशल का निर्माण आपको नए कौशल विकसित करने और नया ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये आजीवन सीखने के कौशल के कुछ उदाहरण हैं:-

1. **संचार (Communication)-** संचार किसी अन्य व्यक्ति से बात करते समय या उसके साथ बातचीत करते समय जानकारी देने और समझने की क्षमता है। यह आजीवन सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि बहुत कुछ सीखना तब होता है जब आप किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं। चाहे आप किसी गुरु से बात कर रहे हों या किसी प्रोफेसर की बात सुन रहे

हों, आप जानकारी को समझने और ज्ञान को लागू करने के लिए संचार कौशल का उपयोग करते है |

2. **रचनात्मकता (Creativity)** रचनात्मकता नए विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। यह जीवन भर सीखने का एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि यह आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि कौन सा कौशल सीखना है। रचनात्मकता आपको गीत लेखन, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और लेखन जैसे कलात्मक कौशल सीखने में भी मदद कर सकती है।

3. **आलोचनात्मक सोच (Critical thinking)** आलोचनात्मक सोच किसी समस्या का आकलन करने, कारणों की पहचान करने और संभावित समाधान प्रस्तावित करने की क्षमता है। आलोचनात्मक सोच संभावित समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने की कक्षा में भाग लेने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो आप आलोचनात्मक सोच का उपयोग करके एक समाधान निकाल सकते हैं, जिसमें आप अपने पड़ोसी से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने के लिए कहेंगे, बदले में आप उन्हें उनका मेल लाएँगे।

4. **लक्ष्य की स्थापना (Goal-setting)** लक्ष्य-निर्धारण एक कौशल है जो आपको अपनी वर्तमान प्रगति का आकलन करने और यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि आप एक निश्चित समय सीमा में क्या करना चाहते हैं। लगातार यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता आपको आजीवन सीखने के लिए प्रेरित रहने में मदद कर सकती है। महान लक्ष्य-निर्धारण के लिए सटीक आत्म-मूल्यांकन और महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है।

5. **नेतृत्व (Leadership)** नेतृत्व कौशल आपको दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुमति देता है। एक आजीवन सीखने वाले के रूप में, यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप अपने कौशल और क्षमताओं को दूसरों के साथ साझा करें। नेतृत्व कौशल आपको दूसरों के साथ संवाद करने और अपने स्वयं के कौशल विकसित करने के माध्यम से मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं |

6. **नेटवर्किंग (Networking)** नेटवर्किंग नए लोगों से मिलने और आपके पेशेवर संपर्कों में संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया है। यह आजीवन सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि यह आपको ऐसे लोगों से मिलने की अनुमति देता है जो आपको नए कौशल सीखने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अकाउंटेंट हैं और बिक्री के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप एक विक्रेता से मिल सकते हैं जो आपके संचार और व्यावसायिक कौशल को विकसित करने में आपकी सहायता करता है।

7. **आत्म-मूल्यांकन (Self-assessment)** आपकी प्रगति को प्रतिबिंबित करने और उसका सटीक आकलन करने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपके लिए कौन सा कौशल विकसित करना सर्वोत्तम है। यह आपको नए कौशल सीखने की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि आप अपने वर्तमान कौशल स्तर को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, महान आत्म-मूल्यांकन कौशल आपको यह जानने में मदद कर सकते हैं कि मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के बजाय शुरुआती पाठ्यक्रम के लिए कब साइन अप करना है।

8. **पढ़ना (Studying)** अध्ययन कौशल आपको यह जानने में मदद करते हैं कि नई सामग्रियों को कैसे अपनाया जाए और नए कौशल सीखने और हासिल करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं। यह आजीवन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार योजनाएँ बनाने में मदद करता है। जब आप कक्षा या प्रमाणन पाठ्यक्रम ले रहे हों तो अध्ययन सहायक हो सकता है, लेकिन यह तब भी सहायक होता है जब आप नई जानकारी सीखना चाहते हैं या किसी कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं।

9. **टीम वर्क (Team Work)** टीम वर्क दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने की क्षमता है। एक आजीवन सीखने वाले के रूप में, ऐसे कई कौशल हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं जिनके लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप नाव चलाना सीखना चाहते हैं या फ़ुटबॉल जैसा कोई टीम खेल खेलना चाहते हैं, तो सहयोग और टीम वर्क आवश्यक है।

10 . तकनीकी निपुणता (Technical Proficiency) तकनीकी दक्षता एक शब्द है जो कंप्यूटर और एप्लिकेशन का उपयोग करने की आपकी क्षमता को संदर्भित करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट नई सामग्री और नए कौशल हासिल करने के बेहतरीन स्रोत हैं। उच्च तकनीकी दक्षता होने से आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन और निःशुल्क कार्यक्रमों का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।

11. ऑनलाइन शिक्षा – ऑनलाइन शिक्षा लचीली है | यदि व्यक्ति किसी नई भूमिका या नए करियर के लिए खुद को तैयार करने के लिए हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स विकसित करना चाहता हो तो ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतरीन विकल्प है। शिक्षार्थी को किसी खास समय पर क्लास लेने के लिए कैंपस में जाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षार्थी को बस एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, और वो कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो वह ऑनलाइन डिग्री हासिल कर सकते हैं| लेकिन कभी-कभी एक पेशेवर प्रमाणपत्र हासिल करना या ऑनलाइन कोर्स पूरा करना ही वह सब हो सकता है

जिसकी शिक्षार्थी को मूल्यवान कौशल हासिल करने के लिए ज़रूरत होती है जिसे वे नौकरी पर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं।

10.4 आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास की आवश्यकता एवं **महत्व**

(Need and importance of skill development through lifelong learning)

भारतीय सन्दर्भ में आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास आवश्यकता एवं महत्व क्रमशः इस प्रकार से है -

1. समस्या समाधान कौशल- समस्या समाधान कौशल वे कौशल होते हैं वो व्यक्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों अथवा कार्य पर कठिन चुनौतियों को सँभालने में सक्षम बनाते हैं। समस्या समाधान कौशल को कार्यस्थल एवं व्यक्तिगत स्थितियों के लिए आवश्यक कौशल माना गया है। इसके अंतर्गत अनेक व्यक्तिगत समस्या समाधान रणनीतियां आती हैं, जिसमें अनुभव की जाने वाली कठिनाई एवं परिणामी भावात्मक प्रतिक्रियाओं के मध्य सहसम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु समस्या समाधान कौशल को विकसित करने पर बल दिया जाता है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस कौशल के विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है जिसमें लचीलेपन के साथ अधिगम व रचनात्मक क्रियाकलापों पर महत्व दिया गया है।

2. अन्य आवश्यक कौशल- विद्यार्थियों के सन्दर्भ में अन्य आवश्यक जीवन कौशल के अंतर्गत निर्णय लेने से सम्बन्धित कौशल, स्वावलंबन, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति, चातुर्यता, मृदुभाषीपन, स्वयं की देखभाल व स्वस्थ दिनचर्या से सम्बन्धित कौशल को सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों के विचारों अथवा भावों को ऊंचा उठाकर उनके दृष्टिकोण को और अधिक सकारात्मक बनाया जा सकता है |

21वीं सदी के श्रम बाजार में सफल होने के लिए एक व्यापक कौशल सेट की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित हैं -

1. **मूलभूत और उच्च क्रम के कौशल**-यह संज्ञानात्मक कौशल हैं जिनमें जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के लिए प्रभावी ढंग से अनुकूलन करने, अनुभव और तर्क से सीखने की क्षमता शामिल है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ-साथ समस्या-समाधान, संचार और सूचनात्मक विश्लेषण संज्ञानात्मक कौशल हैं।

2. सामाजिक-भावनात्मक कौशल – यह कौशल रिश्तों, भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रबंधित करने की क्षमता का वर्णन करता है। इन कौशलों में पारस्परिक और सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम होना, साथ ही नेतृत्व, टीम वर्क, आत्म-नियंत्रण और धैर्य शामिल हैं।

3. विशिष्ट कौशल- यह कौशल किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आवश्यक अर्जित ज्ञान, विशेषज्ञता और इंटरैक्शन को संदर्भित करता है, जिसमें आवश्यक सामग्री, उपकरण या प्रौद्योगिकियों की महारत शामिल है। इस श्रेणी में विशिष्ट तकनीकी और संज्ञानात्मक कौशल के साथ-साथ उद्यमिता कौशल भी शामिल हैं।

4. डिजिटल कौशल- ये कौशल क्रॉस-कटिंग हैं जो उपरोक्त सभी कौशलों पर आधारित हैं | सुरक्षित और उचित रूप से जानकारी पहुंचने, प्रबंधन समझने, एकीकृत करने, संचार करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता का वर्णन करते हैं।

5.हरित-डिजिटल परिवर्तन के लिए कौशल –इस कौशल का विकास रोजगार क्षमता और श्रम उत्पादकता को बढ़ाकर और देशों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करके संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास में योगदान देने में उपयोगी है।

6. बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और सामाजिक-भावनात्मक कौशल -- बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और सामाजिक-भावनात्मक कौशल के लिए उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि बुनियादी साक्षरता और कामकाजी उम्र की आबादी की संख्यात्मकता में भारी अंतर है | यह अंतर 15+ आयु वर्ग के 750 मिलियन लोग वैश्विक आबादी का 18 प्रतिशत है जो पढ़ने और लिखने में असमर्थ हैं | अनुमान है कि अगर साक्षरता कम है तो लगभग 23 प्रतिशत कंपनियां कार्यबल कौशल को अपने परिचालन में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में बताती हैं।

7. अनुकूलनशीलता: तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और विकसित होते श्रम बाजार तकनीकी और विशिष्ट कौशल को जल्दी पुराना बना सकते हैं। इसके विपरीत, आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुकूलनशीलता जैसे ट्रांसवर्सल कौशल, नौकरी बाजार में बदलाव के लिए अधिक हस्तांतरणीय और लचीले बन जाएंगे।

8. गुणवत्ता (Quality) कई युवा बुनियादी साक्षरता कौशल हासिल किए बिना स्कूलों में जाते हैं, जिससे वे नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो लोग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके लिए विशेषज्ञता प्राप्त करना आसान हो सकता है।

9. प्रासंगिकता (Relevance) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जो छह महीने से लेकर तीन साल तक चल सकता है - युवाओं, विशेषकर महिलाओं को बेहतर भुगतान वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कौशल दे सकता है।

10.5 आजीवन सीखने के माध्यम से कठिन कौशल विकास

(Hard skills development through lifelong learning)

प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कठिन कौशल के समुचित विकास की आवश्यकता होती है | कठिन कौशल वह तकनीकी क्षमता और ज्ञान है जिसे प्रशिक्षण, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें 'तकनीकी कौशल, 'शैक्षणिक कौशल' और 'योग्यता कौशल' के रूप में भी जाना जाता है। कठिन कौशल जिसे तकनीकी कौशल भी कहा जाता है किसी विशिष्ट कार्य या स्थिति से संबंधित एक कौशल है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित एवं विशिष्ट गति में समझ और प्रवीणता दोनों सम्मिलित होती हैं। कुछ व्यावसायिक तकनीकी अथवा शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करके इस प्रकार के कौशलों का विकास किया जा सकता है। कठिन कौशल या तकनीकी कौशल व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से भी सीखे जाते हैं। ये ठोस मापने योग्य योग्यताएँ हैं जो अक्सर किसी नौकरी के लिए भी विशिष्ट रूप से वांछनीय होती हैं। एक शिक्षार्थी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों पोर्टफोलियो कौशल मूल्यांकन परीक्षणों और पूर्ण किए गए कार्य के माध्यम से कठिन कौशल में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसायों के लिए जैसे कि वकील और डॉक्टर हार्ड स्किल्स को साबित करने के लिए उन्नत डिग्री और कठोर परीक्षण की आवश्यकता होती है। अन्य व्यवसायों के लिए, जैसे कि वेब डेवलपर्स या कॉपीराइटर इत्यादि के लिए कोई भी व्यक्ति या शिक्षार्थी स्वयं के द्वारा कठोर कौशल विकास के शीलगुणों को अर्जित कर सकता है। अत: कठिन कौशल किसी नौकरी के लिए ज़रूरी तकनीकी कौशल हैं। वे शिक्षा और अनुभव के ज़रिए हासिल की गई और बढ़ाई गई योग्यताएँ हैं। यह कौशल व्यक्ति के रिज्यूमे के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नियोक्ता नियुक्ति करते समय इन्हें देखते हैं। इस प्रकार कठिन कौशल विशेष कौशल का एक समूह है जो वर्षों के अभ्यास या सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ***आजीवन सीखते रहने के माध्यम द्वारा कठिन कौशल के कुछ*** उदाहरण निम्नलिखित इस प्रकार से हैं-

1. **मूर्त और सीखा जा सकने वाला कौशल :** -कठिन कौशल आम तौर पर मूर्त होते हैं और इन्हें औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों या व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से सीखा जा सकता है। उदाहरणों में प्रोग्रामिंग भाषाएँ, डेटा विश्लेषण, चिकित्सा प्रक्रियाएँ और तकनीकी विशेषज्ञता शामिल हैं।

2. **वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन** : हार्ड स्किल्स का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सकता है। नियोक्ता प्रमाणन, मूल्यांकन और नौकरी-विशिष्ट प्रदर्शन मीट्रिक के माध्यम से हार्ड स्किल्स का आकलन कर सकते हैं।

3. **नौकरी की प्रासंगिकता** : वे सीधे नौकरी के प्रदर्शन से संबंधित हैं और विशिष्ट कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, एक वेब डेवलपर को वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग भाषाओं में दक्षता की आवश्यकता होती है।

4. कठिन कौशल के महत्व को समझना करियर विकास और आजीवन सीखने में एक बुनियादी कदम है जो निम्नलिखित हैं-

5. **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ** :- कठिन कौशल रखने से व्यक्तियों को नौकरी के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। यह उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग करता है और नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

6. **अनुकूलनशीलता** :- कठिन कौशल समय के साथ सीखे और विकसित किए जा सकते हैं। यह अनुकूलनशीलता हमेशा विकसित होने वाले नौकरी बाजार में महत्वपूर्ण है, जहां नई तकनीकें और उद्योग की मांगें लगातार उभरती रहती हैं।

7. **करियर ग्रोथ** :- कठिन कौशल हासिल करने और उन्हें निखारने से करियर में उन्नति के द्वार खुलते हैं। इससे पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अधिक विशिष्ट भूमिकाओं में नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं।

8. **समस्या समाधान** : कई कठिन कौशलों में समस्या समाधान क्षमताएं शामिल होती हैं, जो कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करने और नवीन समाधान ढूंढने में अत्यधिक मूल्यवान होती हैं। समस्या-समाधान कौशल को नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वे संगठनों के भीतर दक्षता, नवाचार और प्रभावी निर्णय लेने में योगदान देते हैं।

9. **.दक्षता और गुणवत्ता** :- कठिन कौशल दक्षता बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले काम को अंजाम देने में योगदान देते हैं। वे व्यक्तियों को सही और सटीक तरीके से काम करने में सक्षम बनाते हैं।

10. **व्यावसायिक विश्वसनीयता** : कठिन कौशल से संबंधित प्रमाणपत्र या योग्यता प्राप्त करने से व्यक्ति की व्यावसायिक विश्वसनीयता बढ़ती है और उसकी विशेषज्ञता मान्य होती है।

10.5.1 कठिन कौशल को विकसित करने के संसाधन (Resources to Develop Hard Skills)

कठिन कौशल विशिष्ट, मात्रात्मक योग्यताएं और ज्ञान हैं जिन्हें सिखाया, मापा और निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। ये कौशल अक्सर तकनीकी या कार्य-उन्मुख होते हैं और वे व्यक्तियों को उनकी नौकरी की भूमिकाओं में विशिष्ट कार्य या कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। हार्ड स्किल्स आम तौर पर मूर्त होते हैं और शिक्षा, प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं | हार्ड स्किल्स में विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में कई तरह की योग्यताएँ शामिल हो सकती हैं। वे अक्सर नौकरी-विशिष्ट होते हैं और किसी विशेष भूमिका से जुड़े कार्यों और जिम्मेदारियों से सीधे संबंधित होते हैं। हार्ड स्किल्स के उदाहरणों में सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएँ, वित्तीय विश्लेषकों के लिए लेखांकन सिद्धांत और विनिर्माण श्रमिकों के लिए मशीन संचालन शामिल हैं।

कठिन कौशल को विकसित करने के साधन निम्नलिखित हैं –

1. **ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म-** प्रमुख ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों में कोर्सेरा, ईडीएक्स, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग और स्किलशेयर शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की एक विशाल सूची प्रदान करता है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों को उनके कठिन कौशल को विकसित करने और बढ़ाने में मदद करने के लिए कई तरह के पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करते हैं। मुख्य बातों में शामिल हैं-

2. **पाठ्यक्रम विविधता** :- ये प्लेटफॉर्म विभिन्न कठिन कौशल को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जिससे व्यक्तियों को अपने कैरियर के लक्ष्यों और रुचियों के आधार पर चयन करने की सुविधा मिलती है।

3. **लचीलापन :-** ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म समय-सारिणी और स्थान के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी गति और सुविधानुसार सीखने में सक्षम हो जाता है।

4. **प्रमाणन :-** कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाणन प्रदान करते हैं, जो बायोडाटा में कठिन कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए मूल्यवान हो सकते हैं।

5 . कौशल प्रगति : -कई प्लेटफॉर्म संरचित शिक्षण पथ प्रदान करते हैं जो विशिष्ट कठिन कौशल में शुरुआती से लेकर उन्नत स्तर तक व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। मुख्य विशेषताएं और विचार निम्न हैं:-

1 . **आवेदक ट्रैकिंग** : इन प्रणालियों में अक्सर आवेदक ट्रैकिंग क्षमताएं शामिल होती हैं, जो व्यक्ति को उम्मीदवार पाइपलाइन और मूल्यांकन का प्रबंधन करने में मदद करती हैं।

2 **. एकीकरण** : कौशल मूल्यांकन सॉफ्टवेयर जैसे अन्य उपकरणों और संसाधनों के साथ एकीकरण, मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया को सरल बना सकता है।

3. डेटा एनालिटिक्स : एचआर सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग सुविधाएं प्रदान करता है जो व्यक्ति को अपनी मूल्यांकन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को ट्रैक और मापने की अनुमति देता है।

4 . अभ्यर्थी का अनुभव :- सॉफ्टवेयर में अभ्यर्थी के अनुभव एक सुचारू और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया नियोक्ता ब्रांड पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। मूल्यांकन उपकरण पसंदीदा एचआर और भर्ती सॉफ्टवेयर के साथ सहजता से एकीकृत होते हैं ताकि आप अपने सभी डेटा को एक ही स्थान पर सिंक कर सकें। इन उपकरणों और संसाधनों को अपनी हार्ड स्किल्स मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करने से उम्मीदवारों और कर्मचारियों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने की आपकी क्षमता बढ़ सकती है। चाहे पूर्व-रोजगार स्क्रीनिंग हों या चल रहे कौशल मूल्यांकन, ये संसाधन यह सुनिश्चित करने में मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं कि क्या कर्मचारियों के पास अपनी भूमिकाओं में सफलता के लिए आवश्यक हार्ड स्किल्स हैं।

10.6 आजीवन सीखने के माध्यम से **कोमल कौशल विकास (Soft skills development through lifelong learning)**

कोमल कौशल को नरम कौशल एवं शीतल कौशल भी कहा जाता है। कोमल कौशल लोगों के मध्य पारस्परिक सामाजिक कौशल, संचार कौशल, चरित्र लक्षण, दृष्टिकोण इत्यादि का एक संयोजन होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कौशल वे गुण भी होते हैं जो लोगों से जुड़ने के माध्यम होते हैं तथा जिन्हें व्यक्ति अपने पूरे जीवन में विकसित करते हैं। कोमल कौशल यह बताते हैं कि आप कुछ खास काम करने के लिए कैसे और क्यों प्रेरित होते हैं। इस प्रकार के कौशल प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े रहते हैं। इन पारस्परिक कौशलों को परिभाषित करना या मापना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वे कार्यस्थल में मूल्यवान हैं। जहां तकनीकी कौशल आवश्यक हैं, वहीं कौशल विकास में सॉफ्ट स्किल भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं| सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत विशेषताओं और गुणों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। संचार, टीम वर्क, समस्या-समाधान, अनुकूलन क्षमता और नेतृत्व जैसे कौशल को नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने से युवाओं को मजबूत रिश्ते बनाने, संघर्षों को सुलझाने और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने में

मदद मिलती है। सॉफ्ट स्किल्स पारस्परिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक कौशल हैं जो प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति दूसरों के साथ कैसे बातचीत करता है | रिश्तों को कैसे संभालता है और अपने कार्य वातावरण को कैसे संचालित करता है। सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में समान रूप से आवश्यक हैं। जहां तकनीकी कौशल आवश्यक हैं, वहीं कौशल विकास में सॉफ्ट स्किल भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में समान रूप से आवश्यक हैं। सॉफ्ट स्किल्स के मुख्य पहलू और उदाहरण निम्न्लिखित हैं:-

1. **पारस्परिक क्षमताएँ** :- सॉफ्ट स्किल्स में संचार, टीमवर्क, सहानुभूति और पारस्परिक संबंध शामिल हैं। वे सहयोग और सकारात्मक कार्य संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. **अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान** :- अनुकूलनशीलता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल व्यक्तियों को परिवर्तन का सामना करने, चुनौतियों पर विजय पाने और नवप्रवर्तन करने में सक्षम बनाते हैं।

3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता :- भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित सॉफ्ट स्किल्स में आत्म-जागरूकता, सहानुभूति और भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है। ये कौशल प्रभावी नेतृत्व और संघर्ष समाधान में योगदान करते हैं।

4 . प्रभावी संचार :- प्रभावी संचार कौशल में सक्रिय श्रवण, मौखिक और गैर-मौखिक संचार, तथा विचारों को स्पष्ट और प्रेरक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता शामिल है।

5.नेतृत्व और प्रबंधन :- प्रबंधकीय या नेतृत्व पदों पर व्यक्तियों के लिए नेतृत्व, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान जैसे कौशल महत्वपूर्ण हैं।

10.6.1 कोमल कौशल को विकसित करने के उपाय (Ways to develop soft skills)

1. संचार कौशल - प्रभावी संचार कौशल लगभग हर पेशे में महत्वपूर्ण हैं। इनमें स्पष्ट रूप से जानकारी देने, दूसरों से जुड़ने और संबंध बनाने की क्षमता शामिल है। संचार कौशल के मुख्य तत्वों में शामिल हैं-

2. मौखिक संचार : विचारों, अवधारणाओं और सूचनाओं को मौखिक भाषा में स्पष्ट और प्रेरक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता, चाहे वह प्रस्तुतियों, चर्चाओं या सार्वजनिक भाषण के माध्यम से हो।

3. लिखित संचार : अच्छी तरह से संरचित रिपोर्ट, ईमेल, ज्ञापन और दस्तावेज बनाने सहित लिखित संचार में दक्षता, पेशेवर तरीके से जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है।

4. सुनने का कौशल : सक्रिय सुनने में सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि समझना, सहानुभूति रखना और दूसरे जो कह रहे हैं उस पर उचित प्रतिक्रिया देना भी शामिल है, जिससे प्रभावी पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है।

5. बातचीत कौशल : बातचीत कौशल व्यापार और संघर्ष समाधान में आवश्यक है, जो पेशेवरों को पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

6. पारस्परिक कौशल : तालमेल बनाना, टीमवर्क और सहानुभूति प्रभावी संचार के प्रमुख घटक हैं, जो पेशेवरों को सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करने में सक्षम बनाते हैं। संचार कौशल को बढ़ाने से कैरियर की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह पेशेवरों को विचारों को स्पष्ट करने, प्रभावी ढंग से सहयोग करने और आत्मविश्वास के साथ विवादों को सुलझाने में सक्षम बनाता है।

7. आलोचनात्मक सोच : आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में जानकारी का विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, तथा साक्ष्य और तर्क के आधार पर ठोस निर्णय लेना शामिल है।

8. रचनात्मक सोच : रचनात्मक समस्या समाधान में अक्सर लीक से हटकर सोचकर और अपरंपरागत तरीकों की खोज करके चुनौतियों के लिए नवीन समाधान उत्पन्न करना शामिल होता है।

9. निर्णय लेना : प्रभावी निर्णय लेने का कौशल पेशेवरों को जोखिमों और संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्यवाही का चयन करने में सक्षम बनाता है।

10 .मूल कारण विश्लेषण : समस्याओं के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने से उनकी उत्पत्ति का पता लगाकर बार-बार होने वाली समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है |

11. समय प्रबंधन :-परियोजना की समय-सीमा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय और संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना सफल परियोजना प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

12. कार्य प्रत्यायोजन :- टीम के सदस्यों को उनकी क्षमता और विशेषज्ञता के आधार पर कार्य सौंपने से यह सुनिश्चित होता है कि परियोजना के प्रत्येक पहलू को प्रभावी ढंग से संभाला जाए।

13 . जोखिम प्रबंधन :- संभावित जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए रणनीति विकसित करना परियोजना व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

14 . टीम नेतृत्व :- प्रभावी नेतृत्व में टीम के सदस्यों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना, सहयोग को बढ़ावा देना, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि परियोजना के लक्ष्य पूरे हों।

10.7 कठिन कौशल और कोमल कौशल में अंतर (Difference between hard Skill and soft Skill)

कठिन कौशल विशिष्ट, सीखने योग्य योग्यताएँ और दक्षताएँ हैं जो व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कठिन कौशल का महत्व उनकी व्यावहारिकता और व्यक्तियों को उनकी नौकरी के मुख्य कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने में उनकी भूमिका में निहित है। नियोक्ता कठिन कौशल को महत्व देते हैं क्योंकि वे सीधे उत्पादकता, दक्षता और संगठन के भीतर कार्यों के सफल निष्पादन में योगदान करते हैं, जबकि संचार, टीम वर्क, समस्या-समाधान, अनुकूलन क्षमता और नेतृत्व जैसे कोमलकौशल को नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने से युवाओं को मजबूत रिश्ते बनाने, संघर्षों को सुलझाने और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। आज के जॉब मार्केट में कठिन कौशल के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। क्यों कि नियोक्ता और व्यक्ति दोनों ही कठिन कौशल को बहुत महत्व देते हैं , जबकि कौशल विकास में सॉफ्ट स्किल भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी तकनीकी कौशल आवश्यक हैं। सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत विशेषताओं और गुणों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं | कठिन कौशल विशिष्ट सिखाने योग्य और मात्रात्मक क्षमताएं हैं जैसे कोडिंग या अकाउंटिंग जो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल की जाती हैं। इसके विपरीत सॉफ्ट स्किल्स में पारस्परिक और संचार कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमताएं शामिल होती हैं जो कार्यस्थल में प्रभावी सहयोग और समस्या-समाधान के लिए आवश्यक हैं । प्राथमिक अंतर उनकी मूर्तता और मूल्यांकन की विधि में निहित है | कठिन कौशल आसानी से मापने योग्य होते हैं, जबकि सॉफ्ट कौशल व्यक्तिपरक होते हैं और उन्हें मापना कठिन होता है।

अर्थात् कठिन कौशल नौकरी से जुड़ी योग्यताएँ और क्षमताएँ हैं जो काम पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं| यह एक निश्चित करियर के लिए लागू होते हैं, जबकि सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत गुण और लक्षण हैं जो व्यक्ति के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफल करियर के लिए कठिन और कोमल दोनों कौशल ज़रूरी हैं क्योंकि एक नए बाजार में कठिन कौशल व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक कॉर्पोरेट परियोजना में ठोस विश्लेषण और योजना प्रदान करके आधार तैयार करते हैं। जबकि सॉफ्ट स्किल एक सामंजस्यपूर्ण और कुशल टीम को गतिशील बनाए रखते हुए प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करते हैं और संघर्षों को हल करते हैं तथा एक सहयोगी और उत्पादक वातावरण को बढ़ावा देते हैं | हार्ड स्किल्स और

सॉफ्ट स्किल्स सीखी जा सकती हैं। हार्ड स्किल्स डिग्री हासिल करके ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पूरी करके या कोर्स करके हासिल की जा सकती हैं | सीखने की यात्रा पर निकले लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, नौकरी पर प्रशिक्षण और निरंतर सीखना कौशल विकास के लिए मूल्यवान मार्ग हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुद को नेतृत्व की भूमिका में पाता है, लेकिन प्रबंधक के रूप में कोई अनुभव नहीं है वह कोर्स कर सकता है और नेतृत्व करना सीख सकता है। सॉफ्ट स्किल्स जन्मजात होते हैं कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर संचारक या अधिक समयनिष्ठ होते हैं। कठिन कौशल और कोमल कौशल में अंतर निम्नतालिका द्वारा समझा जा सकता है -

तुलनात्मक तालिका: हार्ड स्किल्स बनाम सॉफ्ट स्किल्स

(Comparative Table: Hard Skills vs Soft Skills)

	Hard Skills	**Soft Skills**
परिभाषा **(Definition)**	विशिष्ट, सिखाने योग्य और मूर्त योग्यताएँ जिन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से सीखा जा सकता है ।	व्यक्तिगत गुण और पारस्परिक कौशल जो संचार और टीम वर्क को बढ़ाते हैं।
उदाहरण (Examples)	प्रोग्रामिंग भाषाएं, सॉफ्टवेयर दक्षता, लेखांकन, विदेशी भाषाएं, चिकित्सा प्रक्रियएं| कोडिंग, डेटा विश्लेषण, मशीन संचालन।	संचार, टीम वर्क, नेतृत्व, समस्या-समाधान, समय प्रबंधन, आलोचनात्मक सोच।
सीखने का माध्यम (Medium of learning)	स्कूलों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है; नौकरी पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखा जाता है		जीवन के अनुभवों, व्यक्तिगत संबंधों और आत्म-चिंतन के माध्यम से विकसित होता है	
उपयोग करना (To use)	विशिष्ट कार्य करना और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना।	दूसरों के साथ बातचीत करना और एक सकारात्मक और

		उत्पादक कार्य वातावरण बनाना।
महत्व (Importance)	**कई कार्य करने और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कठिन कौशल आवश्यक हैं**।	दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने और अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स आवश्यक हैं।
मापनीयता **(Measurability)**	मात्रात्मक रूप से मापा और परीक्षण किया जा सकता है।	मात्रात्मक रूप से मापना कठिन है।
अधिग्रहण **(Acquisition)**	शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्राप्त किया गया।	अनुभव, आत्मनिरीक्षण और पारस्परिक बातचीत के माध्यम से विकसित।
बायोडाटा में समावेशन (R**esume Inclusion)**	उम्मीदवार अक्सर इन कौशलों को अपने बायोडाटा में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं।	उम्मीदवार आमतौर पर इन कौशलों को अपने बायोडाटा में दर्शाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें साक्षात्कार में या दिए गए संदर्भों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं।
प्रशिक्षण (**Training)**	प्रशिक्षण औपचारिक और संरचित होता है।	प्रशिक्षण अनौपचारिक और असंरचित हो सकता है।
आकलन **(Assessment)**	परीक्षणों, प्रमाणपत्रों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है।	बातचीत, फीडबैक और व्यवहार संबंधी टिप्पणियों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।
प्रयोग (Application)	विशिष्ट कार्यों और समस्याओं पर लागू।	विभिन्न स्थितियों और इंटरैक्शन में व्यापक रूप से लागू किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

प्र.1 आजीवन सीखने के माध्यम से शिक्षार्थियों को ---------- कौशल सिखाए जाते हैं।

प्र.2 सॉफ्ट स्किल्स पारस्परिक, भावनात्मक और ---------- कौशल हैं |

प्र.3 कठिन कौशल नौकरी से जुड़ी ---------- हैं |

प्र.4 विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ काम करने की क्षमता कठिन कौशल है | सत्य / असत्य

प्र.5 कुछ प्लेटफ़ॉर्म या सॉफ़्टवेयर का अनुभव कोमल कौशल है | सत्य / असत्य

प्र.6 कठिन कौशल और कोमल कौशल में अंतर है?

10.8 सारांश (Summary)

आजीवन सीखने के माध्यम से कठिन और कोमल कौशल विकास के द्वारा शिक्षार्थी निरंतर सीखने में अधिक कुशल और समर्थवान होकर स्वयं को किसी निश्चित व्यावसायिक क्षेत्र के लिए तथा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए बेहतर रूप से तैयार कर पाएंगे। कठिन कौशल विशेष कौशल का एक समूह है जो वर्षों के औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण अभ्यास या सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अच्छे कठिन कौशल प्राप्त करने का अर्थ है उच्च IQ (इंटेलिजेंस कोशेंट) । इसमें तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक सोच, प्रोग्रामिंग, समझ, रणनीतिक सोच, योजना आदि । कुछ क्षेत्रों में योग्यता या स्नातकोत्तर जैसे गणित, लेखा, वित्त, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, आदि | इसे प्रमाणित किया जा सकता है या उस विषय में डिग्री हासिल कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स संचार, अनुकूलन क्षमता, भावनात्मक इंटेलिजेंस और समस्या-समाधान जैसे विभिन्न भूमिकाओं और उद्योगों में हस्तांतरणीय होते हैं। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स अलग-अलग हैं, वे परस्पर अनन्य नहीं हैं। ये एक दूसरे के पूरक और संवर्धित होते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर (हार्ड स्किल) पर विचार करता है जिसके पास प्रभावी रूप से टीम का नेतृत्व करने और परिणाम देने के लिए मजबूत संचार और नेतृत्व क्षमता (सॉफ्ट स्किल्स) भी होनी चाहिए। आज के कार्यस्थल में, नियोक्ता हार्ड और सॉफ्ट स्किल के संयोजन को अधिक महत्व देते हैं। एक आदर्श कौशल सेट जिसमें तकनीकी दक्षता (हार्ड स्किल) के साथ-साथ प्रभावी संचार, टीमवर्क और अनुकूलनशीलता (सॉफ्ट स्किल) शामिल है, व्यक्तियों को विविध भूमिकाओं और चुनौतियों के लिए

अधिक बहुमुखी और अनुकूलनीय बनाता है। अत: आदर्श कौशल सेट में हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के कौशल शामिल होते हैं, जो तकनीकी क्षमता और पारस्परिक प्रभावशीलता के बीच संतुलन बनाना आधुनिक कार्यस्थल के गतिशील और सहयोगी वातावरण में में महत्वपूर्ण होता है |

10.11 **शब्दावली (Glossary)**

उद्योग-विशिष्ट हार्ड स्किल:- उद्योग और नौकरी की भूमिका के अनुसार हार्ड स्किल अलग-अलग होते हैं। एक क्षेत्र में जो मूल्यवान हार्ड स्किल माना जाता है, वह दूसरे क्षेत्र में प्रासंगिक नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर में प्रवीणता ग्राफ़िक डिज़ाइनरों के लिए ज़रूरी है, लेकिन एकाउंटेंट के लिए नहीं।

10.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

उत्तर- 1 समस्या समाधान और विभिन्न कौशल सिखाए जाते हैं।

उत्तर -2. और संज्ञानात्मक कौशल हैं |

उत्तर -3. योग्यताएँ और क्षमताएँ हैं |

उत्तर -4. सत्य

उत्तर -5. असत्य

उत्तर -6. हार्ड स्किल्स आम तौर पर मूर्त होते हैं और शिक्षा, प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं | इसके विपरीत सॉफ्ट स्किल्स में पारस्परिक और संचार कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमताएं शामिल होती हैं जो कार्यस्थल में प्रभावी सहयोग और समस्या-समाधान के लिए आवश्यक हैं।

10.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1.https://futurefocusedlearning.net/blog/learner-agency/the-most-beneficial-lifelong learning-skills-to-have-and-why

2. https://fastercapital.com/hi/content

3. https://www.ilo.org/topics/skills-and-lifelong-learning

4. linkedin.com/pulse/skill-development-lifelong-learning-emmanuel-jesuyon-dansu/

5. https://www.assessfirst.com/en/hard-skills-definition-examples/

6. #ejdansu #ChatGPT #BoundlessKnowledge #TheFutureOfWork

7. https://www.hipeople.io/glossary/hard-skills

8.https://www.icims.com/hiring-insights/for-employers/ebook-the-soft-skills-job-seekers-need-now

9. https://nextsteps.idaho.gov/resources/skills-hard-technical-vs-soft-professional

10. https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/hard-skills-vs-soft-skills

11. https://www.shiksha.com/online-courses/articles/difference-between-hard-skills-and-soft-skill

10.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

प्र.1 आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास की सविस्तार व्याख्या कीजिए |

प्र.2 आजीवन सीखने के माध्यम से कौशल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए |

प्र.3 आजीवन सीखने के माध्यम से कठिन कौशल विकास का वर्णन कीजिए |

प्र.4 कठिन कौशल को विकसित करने के संसाधनों की चर्चा कीजिए |

प्र.5 आजीवन सीखने के माध्यम से कोमल कौशल विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए|

प्र.6 कठिन कौशल विकास और कोमल कौशल विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए |